लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ३७, १९५९/१८८१ (शक)

[१४ से २२ दिसम्बर १९५९/२३ अग्रहायण से १ पौष १८८१ (शक)]

2nd Lok Sabha

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

नवां सत्र, १९५९/१८८१ (शक)

(खण्ड ३७ में अंक २१ से २७ तक हैं)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची पृष्ठ

[द्वितीय माला, खण्ड ३७—अंक २१ से २७—१४ से २२ दिसम्बर, १९५९/२३ अग्रहायण से १ पौष १८८१ (शक)]

अंक २१—सोमवार, १४ दिसम्बर, १९५९/२३ अग्रहायण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२७ से ८३४, ८३६ से ८३९, ८७३ और ८४० २३२१—४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८३५, ८४१ से ८७२ और ८७४ २३४२—५६

अतारांकित प्रश्न संख्या १३४८ से १४०४ २३५७—८८

स्थगन प्रस्ताव—

हैदराबाद में विस्फोट २३८२—८८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २३८६—८८

राज्य-सभा से सन्देश २३८८

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति २३८९

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

सत्रहवां प्रतिवेदन २३८९

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

दो पुलिस सिपाहियों का अपहरण २३८९—९०

विनियोग (संख्या ८) विधेयक—पुरःस्थापित २३९०

भारतीय सांख्यिकीय संस्था विधेयक—

विचार करने के लिये प्रस्ताव २३९०—२४०५

खंड २ से १२ और १ २४०९—१८

पारित करने के लिये प्रस्ताव २४०५—१८

त्रिपुरा भू-राजस्व तथा भूमि-सुधार विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने के लिये प्रस्ताव २४१८—२२

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित २४२२

हसन-मंगलौर रेलवे लाइन के बारे में आधे घंटे की चर्चा २४२२

दैनिक संक्षेपिका २४२६

विषय	पृष्ठ
अंक २२—मंगलवार, १५ दिसम्बर, १९५९/२४ अग्रहायण, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८७५ से ८८७, ८८९, ८९१ और ८९२	२४१३—५६
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ७	२४५६—६०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८८८, ८९० और ८९३ से ९१९	२४६०—७२
अतारांकित प्रश्न संख्या १४०५ से १४९१	२४७२—२५०७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२५०७—०९
अविलम्बनीय लोक-महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय	२५०९—११
निष्क्रांत सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित	२५११
विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) दूसरा संशोधन विधेयक— पुरस्थापित	२५११
विनियोग (संख्या ८) विधेयक—पारित	२५१२
त्रिपुरा भू-राजस्व तथा भूमि-सुधार विधेयक— संयुक्त समिति को सौंपने के लिये प्रस्ताव	२५१२—१८
नियम के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव	२५१८–१९
मनीपुर भू-राजस्व तथा भूमि-सुधार विधेयक— संयुक्त समिति को सौंपने के लिये प्रस्ताव	२५१९—३१
दिल्ली जोत (अधिकतम सीमा) विधेयक— संयुक्त समिति को सौंपने के लिये प्रस्ताव	२५३५—५०
दैनिक संक्षेपिका	२५५१—५७
अंक २३—बुधवार, १६ दिसम्बर, १९५९/२५ अग्रहायण, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९२० से ९३०, ९३२ और ९३३	२५५९—८०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९३१ और ९३४ से ९६७	२५८०—९०
अतारांकित प्रश्न संख्या १४९२ से १५८३	२५९७—२६४०

विषय	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	२६४०–४१
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२६४१–४२
सभा में व्यवस्था के बारे में	२६४२–४४
गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों तथा विधेयकों सम्बन्धी समिति—चौवनवां प्रतिवेदन	२६४४–४५
खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) विधेयक—पुरःस्थापित	२६४५
दिल्ली जोत (अधिकतम सीमा) विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने के लिये प्रस्ताव	२६४५-४८
राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन के बारे में वक्तव्य	२६४८
खाद्य स्थिति के बारे में प्रस्ताव	२६४८
सभा का कार्य	२६९२–९३
दैनिक संक्षेपिका	२६९४
अंक २४—गुरुवार, १७ दिसम्बर, १९५९/२६ अग्रहायण, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९६८ से ९७९ और ९८२ से ९८४	२७०१–२३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८०, ९८१, ९८५ से १०१४	२७२३–३६
अतारांकित प्रश्न संख्या १५८४ से १६५२	२७३६–६८
डा० बी० पट्टाभि सीतारमय्या का निधन	२७६८
विशेषाधिकार का प्रश्न	२७६८–६३
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२७६३–६५
राज्य सभा से सन्देश	२७६५–६६
अविलम्बनीय लोक-महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
युवक समारोह, मैसूर में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना	२७६६–६७
समिति के लिए निर्वाचन—	
प्राक्कलन समिति	२७६७–६८

विषय	पृष्ठ
चीनी (विशेष उत्पादन शुल्क) अध्यादेश के बारे में संविहित संकल्प तथा चीनी (विशेष उत्पादन शुल्क) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	
खण्ड १ से ५	२७७६
पारित करने के लिये प्रस्ताव	२७७६
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने के लिये प्रस्ताव	२७७७–७८
खण्ड १ और २	२७८०
पारित करने के लिये प्रस्ताव	२७८०–८१
सभा का कार्य	२७८१–८२
गन्ने तथा चीनी के मूल्य के बारे में प्रस्ताव	२७८२–२८०७
वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	२८०८–१८
दैनिक संक्षेपिका	२८१९–२६

अंक २५—शुक्रवार, १८ दिसम्बर, १९५९/२७ अग्रहायण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०१५, १०१७ से १०२७, १०२९, १०३२ और १०३४	२८२७–५०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८	२८५०–५१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०१६, १०२८, १०३०, १०३१, १०३३, १०३५ से १०५२, १०५२-क, १०५२-ख, १०५३ से १०६८, १०६८-क और १०६९ से १०७५	२८५१–७४
अतारांकित प्रश्न संख्या १६५३ से १७७०, १७७०-क, १७७०-ख, १७७०-ग, १७७०-घ, १७७०-ङ और १७७०-च	२८७४–२९२८
विशेषाधिकार के प्रस्ताव के बारे में	२९२८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२९२८–३१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
बैठकों की कार्यवाही-सारांश	२९३१

विषय	पृष्ठ
याचिका समिति--	
बैठकों के कार्यवाही सारांश	२९३१
सदस्य की गिरफ्तारी तथा निरोध	२९३१
आठवां प्रतिवेदन	२९३१
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
आकाश सीमा का अतिक्रमण	२९३१–३३
भारत-पाक वित्तीय वार्ता के बारे में वक्तव्य	२९३३
सभा का कार्य	२९३३–३४
खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) संशोधन विधेयक--	
विचार करने के लिये प्रस्ताव	२९३४–४१
खण्ड १ से ४ .	२९४१
पारित करने के लिये प्रस्ताव	२९४१–४२
मत विभाजन के परिणाम में शुद्धि . . .	२९४२
विवाहित स्त्रियों की सम्पत्ति (विस्तार) विधेयक--	२९४१
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने के लिये प्रस्ताव	२९४२
खण्ड १ से ५ . .	२९४४
पारित करने के लिये प्रस्ताव .	२९४४
वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	२९४४–४९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
चौवनवां प्रतिवेदन . . .	२९५०
औषधि उद्योग के सरकारी उपक्रम के रूप में विकास के बारे में संकल्प	२९४९–६२
शिक्षा संस्थाओं में अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण के बारे में संकल्प	२९६२–६८
दैनिक संक्षेपिका	२९६९–७८
अंक २६--सोमवार, २१ दिसम्बर, १९५९/३० अग्रहायण, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १०७६, १०७७, १०७९ से १०८१, १०८३ से १०८७, ११२०-क, १०८८, १०९० और १०९२ से १०९५	२९७९–३००१
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १०७८, १०८२, १०८९, १०९१, १०९६ से ११०४, ११०४-क, ११०५ से ११०८, ११०८-क, ११०९ से १११७, १११७-क, १११८ से ११२०, ११२०-ख, ११२१ से ११२४, ११२४-क, ११२४-ख	३००१–१८
अतारांकित प्रश्न संख्या १७७१ से १७८५, १७८७ से १८९८, १८९८-क, १८९८-ख, १८९८-ग और १८९८-घ	३०१८–७९

विषय	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव—	
निजामुद्दीन के नाले की दुर्घटना	३०७९—८१
विशेषाधिकार का प्रश्न	३०८१—८२
भारत-चीन सम्बन्धों के बारे में वक्तव्य	३०८२—८६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३०८६—८९
राज्य सभा से सन्देश	३०८९
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति	३०८९
लोक लेखा समिति—	
इक्कीसवां प्रतिवेदन	३०८९
प्राक्कलन समिति—	
पैंसठवां, सड़सठवां और इकहत्तरवां प्रतिवेदन	३०८९—९०
बचाव स्टेशन समिति के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य	३०९०
सदस्य की गिरफ्तारी	३०९०—९१
अनुपस्थिति की अनुमति	३०९१
समवाय (संशोधन) विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में सदस्य की नियुक्ति	३०९१
खाद्य स्थिति के बारे में प्रस्ताव	३०९२—३१२९
कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान के बारे में आधे घण्टे की चर्चा	३१२९—३३
दैनिक संक्षेपिका	३१३४—४४
अंक २७—मंगलवार, २२ दिसम्बर, १९५९/१ पौष १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११२५ से ११३७	३१४५—६५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११३८ से ११६०, ११६२ से ११६४, ११६४-क, ११६४-ख, ११६५ से ११६८, ११६८-क, ११६८-ख, ११६९ से ११७५ और ११७५-क	३१६५—८३
अतारांकित प्रश्न संख्या १८९९ से २०१७	३१८३—३२२९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	३२२९—३१

विषय	पृष्ठ
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति—	
सोलहवीं बैठक के कार्यवाही-सारांश	३२२९—३१
सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	
सत्रहवीं बैठक के कार्यवाही-सारांश	३२३१
राज्य सभा से सन्देश	३२३१
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—	
सातवां प्रतिवेदन	३२३१
प्राक्कलन समिति—	
अड़सठवां, उनहत्तरवां और सत्तरवां प्रतिवेदन	३२३२
तारांकित प्रश्न संख्या ५८५ के उत्तर की शुद्धि	३२३२—३४
मोटरगाड़ी (संशोधन) विधेयक—पारित	३२३४—३६
कोयला खान बचाव नियमों के बारे में प्रस्ताव	३२३६—४४
पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियमों के बारे में प्रस्ताव	३२४४—४९
उड़ीसा खनन निगम के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव	३२४९—५५
भारत-चीन सम्बन्धों के बारे में प्रस्ताव	३२५५—८१
दैनिक संक्षेपिका	३२८१—९१
नवें सत्र की कार्यवाही का संक्षेप	३२९१—९४

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

सोमवार, १४ दिसम्बर, १९५९

२३ अग्रहायण, १८८१ (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अंदमान में उच्च शिक्षा

८२७. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अंदमान और निकोबार द्वीप समूह में उच्च शिक्षा देने के लिये कोई व्यवस्था की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): अंदमान और निकोबार द्वीप समूह में अभी केवल माध्यमिक शिक्षा तक की ही व्यवस्था है। उच्च शिक्षा के लिये विद्यार्थियों को भारत में भेजा जाता है और उनको अपनी शिक्षा पूर्ति के लिये छात्रवृत्ति दी जाती है। द्वीप समूह में छात्रों की संख्या इतनी नहीं है कि उनके लिये वहां उच्च शिक्षा के लिये कालेज खोले जायं।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि इस द्वीप को उन्नत करने की दृष्टि से जहां तमाम विभागों की ओर से योजनायें बनाई जा रही हैं, शिक्षा विभाग की ओर से कोई योजना इस द्वीप के सम्बन्ध में बनाई गई ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, पहले वहां हाई स्कूल था, उस को अब मल्टी-परपज हायर सेकेन्डरी स्कूल किया जा रहा है, और जैसा मैंने आप से निवेदन किया जो योग्य विद्यार्थी होते हैं उन को छात्रवृत्ति देते हैं ताकि वे देश में आ कर अपना विद्याध्ययन कर सकें।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि अंदमान निकोबार द्वीप के ऐसे कितने छात्र हैं जिन को दूसरे प्रदेशों में भेज कर शिक्षा दी जा रही है और छात्रवृत्तियां केन्द्र से दी जा रही हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : पिछले चार सालों में जो छात्र वृत्तियां दी गई वे इस प्रकार हैं :—

१९५६-५७	. .	६
१९५७-५८	. .	१४
१९५८-५९	. . .	४१
१९५९-६०	(सितम्बर तक) . .	२५

कीरीबूरू की लोहा अयस्क खान

†*८२८. **श्री पाणिग्रही :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की कीरीबूरू की लौह-अयस्क की खानों के लिये किन्हीं मशीनों का आयात किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये अभी तक कितनी कीमत की मशीनरी और उपकरणों का आयात किया गया है ;

(ग) जापानी सलाहकारों को अभी तक कितनी राशि अदा की गयी है ; और

(घ) इस परियोजना पर अभी तक कुल कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा):** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) ६२,९९० रुपये ३३ नये पैसे ।

(घ) ३०-११-५९ तक कुल ११,३०,३६० रुपये ५७ नये पैसे ।

†**श्री पाणिग्रही :** इन खानों के लिये मशीनरी मंगवाने में क्या कठिनाई है ? क्या उसके लिये मांगा गया ऋण दे दिया गया है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** मशीनरी मंगवाने के सम्बन्ध में तो कोई कठिनाई नहीं है । परामर्शदाताओं की अन्तिम रिपोर्ट दिसम्बर के अन्त तक तैयार हो जायेगी । उसके बाद मशीनरी की आवश्यकता का अनुमान लगाया जायेगा । अनुमान लगाने से पहले ही मशीनरी के लिये आर्डर कैसे दिये जा सकते हैं ।

†**श्री पाणिग्रही :** इस परियोजना की पूर्ति तक जापानी परामर्शदाताओं को कुल कितनी राशि देना मंजूर किया गया है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** जापानी परामर्शदाताओं को कुल १६·१८ लाख रुपये दिये जायगे । उसमें से उन्हें अभी तक ६२·९९ हज़ार रुपये दिये जा चुके हैं ।

†**श्री सूपकार :** यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ? अभी तक जो ११·३० लाख रुपयों की राशि खर्च की गयी है, उसका ब्योरा क्या है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** जब तक परामर्शदाताओं से प्रारम्भिक रिपोर्ट न प्राप्त हो जाये तब तक यह बताना कठिन है कि उन खानों में कब तक कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ।

†**श्री सूपकार :** और खर्च का ब्योरा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : यह राशि सड़कों, दफ्तरों की इमारतों बस्तियों, पुलों आदि के निर्माण पर खर्च की गयी है। यदि माननीय सदस्य अधिक विस्तार पूर्वक ब्योरे जानना चाहते हैं तो इसके लिये पूर्वसूचना की आवश्यकता है।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या जापानी परामर्शदाताओं को कार्य सौंपने से पहले भारतीय परामर्श-दाताओं से टेण्डर मांगे गये थे और यदि हां, तो क्या ये टेण्डर सब से कम कीमत का था ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : खनन कार्य में पर्याप्त अनुभव प्राप्त परामर्शदाता संभवत : देश में उपलब्ध नहीं थे। फिर भी हमने जापानी परामर्शदाताओं द्वारा की गयी सिफ़ारिशों के बारे में समय समय पर सरकार को परामर्श देने के लिये एक भारतीय दल को नियुक्त कर देने के सुझाव पर विचार किया है।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या सरकार को ज्ञात है कि जापान तो अभी तक केवल लौह अयस्क ही मंगवाता रहा है और उसे खानों का काम करने का कुछ भी अनुभव नहीं है ? पर फिर भी उन्हें सर्वोत्तम परामर्शदाता कैसे समझा गया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जापानी परामर्शदाताओं को केवल खनन कार्यों के लिये ही नियुक्त नहीं किया गया है, अपितु उन्हे और भी कई कार्यों के लिये नियुक्त किया गया है जैसे कि विशेष प्रकार के उपकरणों का संभरण आदि।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का प्रश्न यह था कि जापान में एक भी लौह अयस्क खान नहीं है और इस सम्बन्ध में उन्हे कुछ भी अनुभव नहीं है। तो फिर उन्हें किस लिये नियुक्त किया गया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं नहीं कह सकता कि जापानी लोगों को खानों के कार्य में कुछ भी अनुभव नहीं हैं। जापानी परामर्शदाताओं को मंगवाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि उन से उपयुक्त किस्म की मशीनरी और सामान प्राप्त किया जा सके। और वे ऋण भी दे रहे हैं, इसलिये उन्हें परामर्शदाताओं के रूप में बुलाया जा रहा है ताकि बाद में बात चीत में अधिक समय नष्ट न हो।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : और मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जापानी लोगों को लौह अयस्क खानों में काम करने का पर्याप्त ज्ञान है।

रूसी अन्तरिक्ष राकेट

\+

†*८२९. **श्री वाजपेयी :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री आसर :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश की अन्तरिक्ष अनुसन्धान कार्य सम्बन्धी वेधशालायें तथा रेडियो स्टेशन सितम्बर, १९५९ में चांद को भेजे गये प्रथम रूसी अन्तरिक्ष राकेट को देख सके थे और उसका अध्ययन कर सके थे; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री वाजपेयी** : हमारी वेधशालायें इसे रिकार्ड करने में असफल क्यों रही हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : हमने केवल दर्शन यन्त्रों से ही उपग्रहों का अध्ययन करने में सहयोग देना स्वीकार किया था। परन्तु यह राकेट बिना पूर्व सूचना के ही छोड़ा गया था और इसलिये दर्शन यंत्रों से उसका अध्ययन करना सम्भव नहीं था। हमारी वेधशाला रेडियो द्वारा श्रव्य वेधशाला नहीं है। जब उस राकेट की सूचना मिली, उस समय वह इतना ऊंचा जा चुका था कि दर्शन यंत्रों द्वारा देखा नजा सका।

†**श्री वाजपेयी** : क्या यह सच है कि रूस ने रूसी राकेटों के बारे में अध्ययन करने के लिये भारतीय वैज्ञानिकों को वहां पर आमन्त्रित किया है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : मेरे लिये यह नयी जानकारी है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि हमारी बेध शालाओं में उपयुक्त मशीनरी नहीं है, जिससे सभी प्रकार के उपग्रहों का अच्छी प्रकार से अध्ययन किया जा सके ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : मैं नहीं समझ सका कि माननीय सदस्य का 'उपयुक्त मशीनरी' से क्या तात्पर्य है। वैसे हमने इस विशेष भू-भौतिकीय वर्ष के लिये 'बेकर-नन कैमरा' नामक मशीनरी प्राप्त की है। सारे विश्व में ऐसी कुल १२ मशीनें हैं और उनके में से एक हमारे पास है जो कि नैनीताल में लगायी गयी है। हां यह सच है कि हमारे पास 'जोडरेल बैंक कैमरा' या 'माउण्ट विलसन कैमरा' नहीं है, परन्तु वैसा कैमरा हम खरीद भी नहीं सकते।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या हमने इस बात का कोई अनुमान लगाया है कि हमारी वेधशालाओं में क्या क्या कमी है ? पूर्वी देश तथा पाश्चात्य देश दोनों ही हमारे दोस्त हैं। क्या हम उनकी सहायता से अपनी वेधशालाओं में मशीनें नहीं मंगवा सकते हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : यद्यपि इसका मेरे मंत्रालय से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है, तथापि मैं यह सूचित कर देना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में प्रयत्न किये जा रहे हैं और आशा है कि यह कार्य तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में हो जायेगा।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या भारत की वेधशालाओं में अभी तक किसी भी अन्तरिक्ष राकेट या किसी भी उपग्रह को देखा गया है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : जी, हां। अमरीका तथा रूस दोनों के उपग्रहों को कई बार देखा गया था।

†**श्री तंगामणि** : रुसके अतिरिक्त अन्य देशों में जैसे कि पेरिस में ऐसी वेधशालायें हैं जो कि किसी भी अन्तरिक्ष राकेट की गति का रिकार्ड ले सकती हैं। नैनीताल में जो वेधशाला है क्या वह भी ऐसा करने में समर्थ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हुमायून् कबिर** : जैसा कि मैंने पहले बताया है, हमने केवल दर्शन यंत्रों से उन्हें देखने का कार्य किया है रेडियो ट्रैकिंग नहीं। वैसे तो राष्ट्रीय मैट्रिक प्रयोगशाला में, ऑल इण्डिया रेडियो, प्रतिरक्षा मन्त्रालय के बेतार आयोजन तथा समन्वय यूनिट और भारतीय ऋतु विज्ञान विभाग तथा समुद्र पार संचार सेवा द्वारा इस सम्बन्ध में प्रयत्न किये गये हैं परन्तु क्योंकि यहां पर अत्यधिक शक्तिशाली दर्शन यन्त्र नहीं हैं, इसलिये कमी रह जाती है।

हिन्दू धार्मिक न्यास

+

†*८३०. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री वारियर :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम राज :

क्या **विधि** मंत्री १३ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धार्मिक न्यासों की प्रबन्ध व्यवस्था और उनकी निधियों के उपयोग के सम्बन्ध में विचार करने और उनके धर्मस्वों के उचित प्रबन्ध तथा उनकी निधियों के उपयुक्त उपयोग के सम्बन्ध में सिफारिशें करने के लिये एक समिति स्थापित करने के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस सम्बन्ध में विधान कब तक पेश किया जायेगा ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)**: (क) समिति के निर्देश पदों तथा इस समिति के सदस्यों के सम्बन्ध में अभी तक विचार किया जा रहा है और आशा है कि इस बारे में शीघ्र ही निर्णय कर दिया जायेगा।

(ख) यह कहना सम्भव नहीं है कि क्या इस बारे में कोई कानून बनाना ही आवश्यक है। क्योंकि यह तो उस समिति की सिफारिशों पर निर्भर करता है।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या इन धार्मिक न्यासों तथा धर्मार्थ संस्थाओं की कुल निधियों का अनुमान लगाने के सम्बन्ध में कोई योजना है।

†**अध्यक्ष महोदय** : समिति स्थापित करने का यही तो उद्देश्य है।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)**: मैं नहीं समझता कि हमारे पास उन संस्थाओं के आंकड़े हैं।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या माननीय मंत्री को याद है कि इस सम्बन्ध में सब से पहला प्रश्न २९ सितम्बर, १९५५ को आज से सवा चार वर्ष पहले पूछा गया था तो अभी तक भी कमेटी की नियुक्ति में जब इतना विचार किया जा रहा है तो कब तक आशा की जाये कि इस बारे में कोई कदम उठाया जायगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० कु० सेन :** मैं नहीं समझता कि १९५५ में इस प्रकार की समिति नियुक्त करने के सम्बन्ध में कोई योजना थी, यदि कोई थी भी तो मुझे उस बारे में पता नहीं है। इस सम्बन्ध में सब से पहले अप्रैल, १९५९ में प्रश्न उठाया गया था। केबिनट ने भी इस पर विचार किया है। वास्तव में इस सम्बन्ध में केबिनेट की एक उप-समिति पहले से ही कार्य कर रही है। उसने इस पर विचार कर लिया है और मुझे आशा है कि शीघ्र ही इस बारे में फैसला कर दिया जायेगा।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या सरकार को ज्ञात है कि जमींदारी उन्मूलन के बाद कई राज्यों में कई सम्पत्तियां धार्मिक संस्थाओं को दे दी गयी थीं ; और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रकार की सम्पत्तियों के बारे में कोई अनुमान लगाया है ?

†**श्री अ० कु० सेन :** सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। परन्तु वह समिति इन सभी बातों पर विचार करेगी।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या यह सच नहीं है कि कुछ एक राज्यों में इस प्रकार के कानून विद्यमान हैं ; यदि हां, तो फिर केन्द्र की ओर से इस प्रकार का कानून बनाने में क्या लाभ है ?

†**श्री अ० कु० सेन :** यह सच है और निश्चित रूप से इस बात पर विचार किया जा रहा है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या व्यक्तिगत अधिकार के मन्दिरों और आश्रमों पर भी सरकार यह विधान लागू करने का विचार रखती है ?

†**श्री अ० कु० सेन :** केवल सार्वजनिक धार्मिक न्यासों पर ही उसे लागू करने का विचार है।

†**श्री हेम राज :** क्या इस सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया गया है कि देश में जितने भी मन्दिर और मस्जिद हैं, उनकी कुल कितनी आय है और क्या उन पर यह कानून लागू किया जायेगा ?

†**श्री अ० कु० सेन :** मैं यह पहले ही बता चुका हूं कि इन संस्थाओं की निधियों के सम्बन्ध में अभी तक कुछ भी हिसाब नहीं लगाया गया है। जहां तक मस्जिदों का सम्बन्ध है, वे वक्फ अधिनियम के अधीन आती हैं जो कि अधिकांश राज्यों में लागू है। हम फिलहाल मस्जिदों के लिये कोई भी विधान बनाने का इरादा नहीं रखते।

†**श्री बासप्पा :** क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों के विचार जान लिये गये हैं ; और यदि हां, तो उनके विचार क्या हैं ?

†**श्री अ० कु० सेन :** उनसे निश्चित रूप से पूछा जायेगा।

†**श्री तंगामणि :** फरवरी, १९५९ में केबिनेट की उप समिति के सामने जो विधेयक रखा गया था, उसमें क्या क्या निहित था और क्या उसके निर्देश पद में केवल हिन्दू धर्म के ही नहीं अपितु सभी धर्मों के न्यास सम्मिलित होंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० कु० सेन** : केबिनेट द्वारा जिस विधेयक पर विचार किया गया था, उसका ब्यौरा अभी नहीं बताया जा सकता। इस बारे में निर्णय कर लेने पर उसे सभा में प्रस्तुत कर दिया जायगा। जहां तक अन्य धर्मों के न्यासों का संबंध है, उनके बारे में विधान बनाने का फिलहाल हमारा कोई इरादा नहीं है।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : देश में इस प्रकार के कुल कितने न्यास हैं, उनके पास कितनी निधि है और उस धन का उपयोग कैसे किया जाता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसी के लिये तो समिति नियुक्त की जा रही है।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : परन्तु उनकी संख्या तो बतायी जा सकती है।

†**श्री अ० कु० सेन** : यह प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता। इसके लिये एक अलग प्रश्न की सूचना दी जाये।

†**श्री तिरुमल राव** : सरकार की उन न्यासों और मन्दिरों के संबंध में क्या नीति होगी जो कि इस समय राज्य सरकारों के अधिनियमों के अधीन आते हैं ? क्या सरकार उन्हें भी इस नये विधान के अन्तर्गत ले आयेगी ?

†**श्री अ० कु० सेन** : सरकार इस बारे में अभी विचार कर रही है और विधान बनाने से पहले निश्चित रूप से इस पर अच्छी प्रकार से विचार कर लिया जायेगा।

पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता उच्च न्यायालय की बेंच

+

†*८३१. { **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान और निकोबार द्वीप कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच नहीं है कि असुविधाजनक संचार व्यवस्था और वहां के व्यक्तियों के हित को देखते हुये यह निर्णय किया गया था कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक बेंच वर्ष में तीन महीनों तक पोर्ट ब्लेयर में लगा करेगी ; और

(ग) यदि हां, तो वह बेंच कितनी बार वहां लग चुकी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी, हां।

(ख) अन्दमान और निकोबार में दर्ज होने वाले मामलों के संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा बनाये गये नियमों में यह व्यवस्था की गयी है कि समय समय पर मुख्य न्यायाधिपति द्वारा भेजे जाने पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक या दो न्यायाधिपति अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में जाया करेंगे जो कि संविधान द्वारा उस न्यायालय को दी गयी शक्ति के अधीन वहां के मामलों को निपटाया करेंगे। वे वर्ष में कम से कम दो बार वहां अवश्य जायेंगे। परन्तु केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से मुख्य न्यायाधिपति इस अवधि को बदल भी सकता है।

(ग) वह सर्केट न्यायालय वहां पर केवल एक बार फरवरी, १९५४ में गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री स० चं० सामन्त : क्या इन द्वीपों के लिये कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन ही पृथक् न्यायाधीश नियुक्त करने की योजना कार्यान्वित कर दी गयी है ?

†श्री गो० ब० पन्त : ये द्वीप बहुत छोटे से हैं, और उनकी कुल आबादी लगभग ३०,००० है। इसलिये मैं नहीं समझता कि उनके लिये अलग न्यायाधीश स्थापित करने की कोई आवश्यकता है।

†श्री सुबोध हंसदा : सर्किट कोर्ट ने अभी तक वहां कितने मामले निपटाये हैं ?

†श्री गो० ब० पन्त : मेरा अनुमान है कि इस समय ७ मामले सुनवायी के लिये तैयार हैं। और सर्किट कोर्ट फरवरी, १९६० में वहां जायेगी।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या सरकार को वहां के कमिश्नरों, सत्र न्यायाधीशों और डी० एम० कार्यकारी जजों से वहां की कठिनाइयों के बारे म कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

†श्री गो० ब० पन्त : प्रश्न तो केवल कलकत्ता उच्च न्यायालय के संबंध में था। छोटे न्यायालयों के संबंध में मुझे निश्चित रूप से तो स्मरण नहीं है। परन्तु मेरा अनुमान है कि उन्हे किसी गम्भीर समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

टेक्निकल अध्यापक प्रशिक्षण प्रोग्राम

+

†*८३२. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की चुनी हुई टेक्निकल संस्थाओं मे अध्यापकों के प्रशिक्षण की योजना निश्चित हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब कार्यान्वित हुई ; और

(ग) आजकल कितने अध्यापक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और किन संस्थाओं में ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) १७ अगस्त, १९५९ को।

(ग) ५ दिसम्बर, १९५९ को १०७ प्रशिक्षणार्थी थे और उनके वितरित आंकड़े निम्न हैं :—

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, खड़गपुर	३१
रुड़की विश्वविद्यालय रुड़की	२४
इंजीनियरिंग कालिज, पूना	११
कालिज आफ इंजीनियरिंग, गिन्डी, मद्रास	२०
बंगाल इंजीनियरिंग कालिज, शिवपुर, हावड़ा	२१
कुल	१०७

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुबोध हंसदा** : अध्यापकों का संभरण कैसे किया जाता है ? क्या वे साधारण व्यक्तियों में से लिये जाते हैं या विद्यमान अध्यापकों में से ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : संवरण का आधार यह है : प्रथम श्रेणी के स्नातकों के बारे में विचार किया जाता है और यदि उन्हें कुछ व्यवस्थित व्यावहारिक प्रशिक्षण या औद्योगिक अनुभव और/या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और/या कुछ अनुसंधान कार्य और/या अध्यापन का अनुभव हो तो उन्हें प्राथमिकता दी जाती है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या उनके प्रशिक्षण की समाप्ति पर उन्हें सरकारी सेवा करनी होगी और, यदि नहीं, तो क्या सरकार उनकी सेवायें मांग सकती है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : वास्तव में उन्हें एक बांड भरना पड़ता है कि वे पूर्ण शिशिक्षा प्राप्त करेंगे जो दो से तीन वर्ष तक की हो सकती है और उसके बाद यदि आवश्यक हो तो वे किसी संस्था में नौकरी अवश्य करेंगे ।

सेठ गोविन्द दास : यह जो शिक्षक वहां शिक्षित किये जा रहे हैं, यह किस किस स्थान से आ रहे हैं, वहीं के हैं या कहीं बाहर के भी आये हैं, और अगर बाहर के आये हैं तो कहां के आये हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : विद्यार्थी हमारे ही विद्यार्थी हैं । हमने वास्तव में १४६ चुने थे जिनमें से १०७ वास्तव में आ गये हैं । आशा है छः और उम्मीदवार शीघ्र आ जायेंगे । शेष ३३ उम्मीदवार गायब हो गये प्रतीत होते हैं ।

सेठ गोविन्द दास : मैं यह जानना चाहता था कि आपने जो चुने हैं यह कहां कहां के हैं, क्या यह कुछ आप बता सकते हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : मैं राज्यवार वितरण नहीं बता सकता परन्तु मैं यह जानकारी दे सकता हूं । लगभग ३७ अध्यापक राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों ने चुने थे और शेष अखिल भारतीय आधार पर चुने गये थे । १२०० प्रार्थनापत्र थे । इनमें ८०० विचार किये जाने थे । ३७४ उम्मीदवारों की मौखिक परीक्षा हुई और १०९ को वास्तव में छात्रवृत्ति दी गई ।

†**श्री च० द० पांडे** : क्या सरकार का ध्यान प्रशिक्षण संस्थाओं में अध्यापक रूप में नियुक्ति के लिये उपयुक्त व्यक्ति प्राप्त करने की कठिनाई की ओर आकर्षित किया गया है क्योंकि लेक्चरार का प्रारम्भिक वेतन २७५ या ३०० रु० है जबकि कम योग्यता वाले फोरमेन को ५०० रु० मिलते हैं और इस प्रकार अब अध्यापकगण निम्न कोटि के हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : नहीं, श्रीमान् । इन छात्रवृत्तियों के संबंध में हमने उम्मीदवारों को गारन्टी दी है कि यदि वे अपना प्रशिक्षण सन्तोषजनक रूप में पूरा करेंगे तो उन्हें प्रारम्भ में ४१० रु० वेतन दिया जायेगा ।

†**श्री ना० नि० पटेल** : इन उम्मीदवारों में कितने उम्मीदवार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी** : क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद उत्पन्न होने वाली मांग की पूर्ति के लिये चुने गये उम्मीदवारों की संख्या पर्याप्त है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : आरम्भ में हमारा विचार केवल ७५ छात्रवृत्ति देने का था। हमने यह संख्या बढ़ाकर १४६ कर दी है और आगामी वर्ष हम स्थिति पर पुनः विचार करेंगे और उसके अनुसार ही छात्रवृत्तियां देंगे ।

†**श्री पी० रा० रामकृष्णन्** : विद्यमान संस्थाओं ने कितने उम्मीदवार भेजे थे और इन अध्यापक प्रशिक्षणार्थियों को विद्यमान कालिजों में नियुक्त करने की सरकार की क्या योजना है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : मैंने अभी आंकड़े बताये थे । कदाचित माननीय सदस्य ने नहीं सुने। राज्य सरकारों और अन्य संस्थाओं द्वारा चुने हुये व्यक्तियों को ३७ छात्रवृत्तियां दी गईं।

†**श्री बासप्पा** : क्या किये गये चुनाव के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : कोई विशिष्ट शिकायत तो नहीं मिली है परन्तु स्वभावतः जो नहीं चुने गये हैं उन्होंने कहा गया है वे छात्रवृत्ति प्राप्त करना चाहते हैं ।

जम्मू तथा काश्मीर में लिग्नाइट व कोयला

+

†*८३३. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामेश्वर टांटिया

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १० अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४६० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर राज्य में पाये गये लिग्नाइट और कोयला के निक्षेपों का अनुमान लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इन निक्षेपों के लाभ प्रद प्रयोग के लिए क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)**: (क) और (ख) जम्मू तथा काश्मीर में लिग्नाइट और कोयले के निक्षेपों का आंशिक अनुमान लगाया गया है । अभी कार्य हो रहा है । जिन क्षेत्रों में लिग्नाइट और कोयले के निक्षेप पाये गये हैं वहां कुल उपलब्ध मात्रा का ठीक अनुमान लगाने से पहिले पर्याप्त कार्य होने की आवश्यकता है । अब तक किये गये कार्य के आधार पर लिग्नाइट निक्षेप का ४५ लाख टन का कोयला निक्षेप का २५ लाख टन का अनुमान लगाया है ।

मूल अंग्रेजी में

(ग) इन निक्षेपकों के लाभप्रद प्रयोग की संभावनायें ढूंढ़ी जा रही हैं परन्तु अभी इस बारे में कोई अन्तिम योजनायें नहीं बताई जा सकतीं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या सरकार इन निक्षेपों का प्रयोग इन्हें सरकारी क्षेत्र में लाने की दृष्टि से कर रही है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: इन सब मामलों पर विचार किया जाता है । अधिकतर योजनाओं के निश्चित होने पर वे सरकारी क्षेत्र में रख दिये जायेंगे ?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या खोजें और सर्वेक्षण केवल केन्द्रीय सरकार कर रही है या ये राज्य सरकारों के सहयोग व समन्वय से किये जा रहे हैं ? इस मामले में राज्य सरकार का कितना हाथ है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : सर्वेक्षण और खोज करना केन्द्रीय उत्तरदायित्व है । यह चाहे काश्मीर में हो या और कहीं, यह केन्द्रीय सरकार करती है । परन्तु अब हम राज्य सरकारों को अपना संघ बनाने का प्रोत्साहन दे रहे हैं परन्तु व्यक्तियों की उपलब्धि में टैक्निकल और वित्तीय कठिनाइयों के कारण उनका काम धीरे धीरे होता है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या इस विषय पर काश्मीर सरकार का मत ले लिया गया है कि यह सरकारी क्षेत्र में हो या गैर-सरकारी क्षेत्र में ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : हम निरन्तर ही परस्पर परामर्श कर रहे हैं जो कुछ भी होता है वह उनके परामर्श से होता है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : इन खानों का लाभप्रद प्रयोग कब से आरम्भ होगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं नहीं कह सकता ।

†**श्री नरसिंहन्** : ये निक्षेप साधारणतया कितने गहरे और मोटे हैं ? क्या वे निवेली के निक्षेपों की अपेक्षा अधिक गहरे हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं समझता हूं कि मैं इसकी तुलना और कहीं के निक्षेपों की मोटाई से कर सकता हूं । ये १२५ फीट से अधिक गहराई से निकाले जायेंगे । मैं मोटाई के बारे में कुछ नहीं कह सकता । मैं अन्य निक्षेपों से तुलना नहीं कर सकता । यदि माननीय सदस्य चाहें तो पृथक् प्रश्न की पूर्व सूचना दे सकते हैं ।

भारतीय गजेटियरों का पुनरीक्षण

\+

*८३४. **श्री पद्म देव :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम राज :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २७ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ८४५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय गजेटियर सलाहकार बोर्ड ने भारतीय गजेटियरों के पुनरीक्षण की योजना के प्रारूप पर विचार कर लिया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ है, और

(ग) उसको कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** :(क) जी, हां।

(ख) ५ सितम्बर १९५९ की बैठक में बोर्ड ने पहिली वोल्यूम के ड्राफ्ट प्लान पर विचार करके फैसला कर लिया है। बोर्ड ने उन विशेषज्ञों के नामों की सिफारिश की है जिन से विभिन्न अध्याय लिखवाये जायें।

(ग) सिफारिशें मंजूर कर ली गई हैं, और लेखकों से कहा गया है कि वे मई १९६० के आखिर तक सम्पादक को अपनी पाण्डुलिपियां भेज दें।

सेठ गोविन्द दास : अभी मंत्री जी ने कहा कि पहली वाल्यूम का अभी निर्णय हुआ हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सारी वाल्यूम्स को तैयार करने में कितना समय लगेगा और क्या यह काम अंग्रेजी भाषा में ही हो रहा है ?

श्री हुमायून् कबिर : मामूली तौर पर चारों वाल्यूम्स का प्लान २५ सितम्बर १९५८ को एप्रूव किया गया था। लेकिन उसके बाद जब किताब लिखने का मामला आया तो उसके लिए डिटेल में जाना पड़ा, और इस डिटेल का खाली पहली वाल्यूम के बारे में ही फैसला किया गया है और उसके चेप्टर बांटे गए हैं। बाकी दूसरी वाल्यूम्स की डिटेल्ड प्लान उम्मीद है आयन्दा साल के शुरू में हम फाइनलाइज करेंगे, और चारों वाल्यूम्स को तैयार करने में तीन चार साल लगेगा। इसका ठीक समय बतलाना मुश्किल है क्योंकि इस में एक्सपर्ट्स पर निर्भर करना पड़ता है और कुछ सबजेक्ट भी ऐसा है कि ठीक समय नहीं बतलाया जा सकता है। यह तो इस पर निर्भर करेगा कि एक्सपर्ट कब देंगे। उम्मीद है कि किताब के खत्म होने के बाद हम उसके संक्षिप्त ऐडीशन हिन्दुस्तानी भाषाओं में भी प्रकाशित करेंगे।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान, जहां तक मुझे ज्ञात है, इंडियन गैजेटियर्ज के संशोधत के बारे में कई वर्षों से प्रत्यन किया जा रहा है। पहली पंच-वर्षीय योजना में भी शायद इस के लिए कुछ रुपया रखा गया था। अतः क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस मामले में इतनी देरी क्यों हो रही है ?

श्री हमायुन् कबीर : यह सवाल तीन चार साल पहले जरूर उठा, लेकिन काम शुरु हुआ जनवरी, १९५८ से। इस किस्म के काम में जल्दी नहीं होनी चाहिए। मेरा इरादा था कि पहली वाल्यूम १९६० में निकाल दें, लकिन सैन्सेस कमीशन ने बताया कि उनके पास जब यह माल आयगा, तो वह तैयार होते होते शायद मई, जून, १९६१ हो जायगा। इस किताब का पचास साल में एक बार रिविजन होता है, इसलिए बेहतर है कि एक साल इन्तजार करें और पक्का काम करें, बिजाय इस के कि कोई कच्ची चीज निकाल दें।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : ये गजेटियर अन्तिम बार कब छपे थे जो अब हम उनका पुनरीक्षण करेंगे ? क्या इन गजेटियरों का पुनरीक्षण करने की कोई साधारण योजना है या कोई निर्धारित काल है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हुमायून् कबिर : इस पर मत भेद होंगे। यह पुनरीक्षण ५० से अधिक वर्षों बाद हो रहा है। कुछ विद्वानों का मत है कि पुनरीक्षण प्रति १० वर्ष के बाद होना चाहिये। मेरा अपना मत यह है कि ५० वर्ष बाद पुनरीक्षण होना पर्याप्त है।

भारत विद्या केन्द्र[1]

+

†*८३६. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पांगरकर :
श्री कोडियान :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री ८ सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १२२० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-विद्या केन्द्र स्थापित करने में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो यह केन्द्र कहां खुलेगा ;

(ग) क्या इसके नक्शे तथा प्राक्कलन तैयार हो गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो योजना पर कुल कितना व्यय होगा ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): (क) से (घ). केन्द्र के खोलने की पहिली कार्यवाही पर्याप्त संख्या म विद्वानों को प्रशिक्षण देने की है और यह कार्य आरम्भ हो गया है। इस प्रश्न में पूछी गई अन्य बातें अभी आरम्भ नहीं की गई हैं।

†श्री दी० चं० शर्मा : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस योजना का कौनसा अंग पूरा होगा और कौन सा तृतीय योजना काल में ?

†श्री हुमायून् कबिर : ८ सितम्बर के माननीय सदस्य के ऐसे ही प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमारा विचार केवल विद्वानों को प्रशिक्षण देने का है।

†श्री हेम बरुआ : इस दृष्टि से सभी भारतीय विश्वविद्यालयों में भारतीय विद्या विभाग और भारतीय विद्या के अध्ययन की व्यवस्था है; क्या इस केन्द्र के खुलने पर इसका कार्य विश्वविद्यालयों के कार्य में समन्वित होगा या एक स्वाधीन डिवीजन होगा ?

†श्री हुमायून् कबिर: विश्वविद्यालयों में कुछ कार्य हो रहा है परन्तु भारतीय-विद्या बोर्ड और ओरियेन्टल कान्फ्रेंस जिस में सभी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि हैं, बार बार सिफारिश करते रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में हो रहे कार्य के समन्वय और उसकी अनुपूर्ति के लिए एक केन्द्रीय संस्था होनी चाहिए।

†श्री कोडियान : इस केन्द्र को खोलने के लिए सरकार के विचारानुसार कितने विद्यार्थियों का होना पर्याप्त होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में
[1]Indology institute.

†**श्री हुमायून् कबिर** : अस्थायी योजनायें बताती हैं कि हमें चार विषय अवश्य रखने चाहिये, अर्थात् दक्षिण-पूर्व, तिब्बत, नैपाल विभाग और कुछ पश्चिमी एशिया सबंधी व्यवस्था। मेरा ख्याल है कि संस्था खोलने के पहिले हमारे पास १५ या २० विद्वान अवश्य होने चाहियें।

सेठ गोविन्द दास : अभी इस सवाल की धारा (बी) में यह पूछा गया है कि इस संस्था की स्थापना कहां की जायेगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी को यह बात मालूम है कि एस० आर० सी० ने यह सिफ़ारिश की थी कि मध्य प्रदेश की राजधानी जबलपुर बनाई जाये और जबलपुर में बहुत अधिक कालेज और विद्यालय हैं, ऐसी हालत में क्या इस संस्था की स्थापना जबलपुर में किये जाने का विचार किया जा रहा है।

श्री हुमायून् कबिर : इस बारे में जब ग़ौर किया जायगा, तो दूसरी जगहों, जैसे बनारस, उज्जैन के साथ साथ जबलपुर को भी विचार में लाया जायगा।

†**श्री वी० चं० शर्मा** : क्या सरकार को विदित है कि अनेकों देशों में इसी प्रकार के भारतीय-विद्या के केन्द्र है और यदि हां, तो क्या सरकार इस केन्द्र और उन केन्द्रों में कोई सहयोग स्थापित करने का प्रयत्न करेगी ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : प्रत्यक्ष में इस केन्द्र के खोलने में हमें उनकी सहायता अवश्य मिलनी चाहिये क्योंकि कुछ क्षेत्रों में प्रशिक्षण केवल उन्हीं केन्द्रों में लिया जा सकता है।

श्री राघे लाल व्यास : क्या मैं जान सकता हूं कि यह इंस्टीच्यूट आफ़ इंडालोजी कायम करने के लिये क्या राज्य सरकारों को लिखा गया है कि कौन सी बातें वे करें, जिन से इस को उन के यहां कायम करने का विचार किया जा सकता है ? क्या ऐसा कोई सुझाव रियासतों को भेजा गया है और अगर नहीं, तो क्या शासन इस पर विचार करेगा ?

श्री हुमायून् कबिर : मैंने पहिले बतलाया कि अभी हमें स्कालर्ज़ ट्रेन करने चाहिये। जब तक स्कालर्ज़ नहीं हैं, खाली बिल्डिंग से कोई इंस्टीच्यूट नहीं बनेगा। इस सवाल पर अभी कोई फ़ैसला नहीं किया है। यदि हम अभी राज्यों से सुझाव मांगे, तो प्रत्येक राज्य यह मांग करेगा कि केन्द्र उसी राज्य में खोला जाये।

तेल छिद्रण उपकरण का निर्माण

+

†*८३७. { **श्री नागी रेड्डी** :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्री वारियर :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी विशेषज्ञों ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को देश में तेल के लिये छेद करने की मशीन तथा पुर्जों के निर्माण का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या हेवी इंजिनियरिंग कारपोरेशन (प्रा०) लि०, रांची में ऐसे सामान का निर्माण आरम्भ करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** (क) हां, श्रीमान्। भारतीय और रूसी दोनों विशेषज्ञों ने भारत में छिद्रण उपकरण और पुर्जों का यथासम्भव निर्माण करने का प्रस्ताव किया है ?

(ख) हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन (प्रा०) लि०, रांची ने अपने कार्य के द्वितीय दौर के निर्माण कार्यक्रम में कुछ भारी छिद्रण उपकरणों को सम्मिलित कर लिया है।

(ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने भारत में छिद्रण उपकरण के निर्माण के प्रश्न पर विचार करने और ठोस प्रस्ताव तैयार करने के लिये वरिष्ट इंजीनियरों की एक समिति बनाई है।

†**श्री नागी रेड्डी** : क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये आवश्यक मशीनों का कोई अनुमान लगाया गया है; और यदि हां, तो क्या सरकार ने रांची के हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की आवश्यक उपकरण बनाने की क्षमता का अनुमान लगाया है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : तृतीय पंचवर्षीय योजना की आवश्यकता का अनुमान लगा लिया गया है, परन्तु कारपोरेशन की उत्पादन क्षमता अभी ज्ञात नहीं है। यह प्रश्न विचाराधीन है।

†**श्री नागी रेड्डी** : तृतीय योजना में हमारे देश में तेल छिद्रण के लिये आवश्यक मशीनरी के लिये कुल कितनी अनुमानित विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने कुछ प्रस्ताव तैयार किये हैं। उन्हें अभी सरकार की स्वीकृति नहीं मिली है। अतः अभी मैं आवश्यकता के बारे में नहीं बता सकता क्योंकि आवश्यकताओं का निश्चय उन्हें क्रय करने की क्षमता को देखते हुये लिया जाता है।

†**श्री हेम बरुआ** : माननीय सभा सचिव ने कहा था कि रूसी और भारतीय विशेषज्ञों ने छिद्रण उपकरण का यथा संभव देश में निर्माण करने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही माननीय मंत्री कहते हैं कि सरकरण ने कुछ प्रस्ताव तैयार किये हैं जिन पर सरकार विचार करेगी। सरकार इन दो भिन्न बातों का समन्वय कैसे करेगी और क्या रूसी विशेषज्ञ हमें टेक्निसियनों की या वित्तीय सहायता भी ेंगे ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : इन दोनों के समन्वय में मुझे कोई कठिनाई दिखाई नहीं देती। हमें कुछ सामान की आवश्यकता है। यदि हम उसे देश में नहीं बना सकते, तो आयात करेंगे। आवश्यक साज़ सामान प्राप्त करने की व्यवस्था करना एक चीज़ है और उसका देश में निर्माण करने के प्रश्न पर विचार करना एक दूसरी चीज़ है। निर्माण करने, डिज़ाइन बनाने, आदि की कठिनाइयां हैं। जब कभी हम उनका डिज़ाइन बना लेंगे और उनका निर्माण अपने कारखानों में करने योग्य होंगे, तब हम उनका निर्माण करेंगे। इन सब प्रश्नों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और रूस या किसी भी अन्य देश के साथ सहयोग बहुत ही अच्छा होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

राउरकेला में कच्चा लोहा ढालने की मशीन

†*८३८. **श्री मुरारका :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राउरकेला में कच्चा लोहा ढालने की मशीन टूट गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके टूटने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या संभरणकर्ताओं से क्षतिपूर्ति की कोई मांग की जा रही है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) :** (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री रंगा :** वास्तविक स्थिति क्या है ? कुछ अवश्य हुआ होगा । क्या कुछ खराबी हो गई थी क्या उत्पादन आशा से कम रहा ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** वास्तव में यह कहना ठीक नहीं है कि कच्चा लोहा ढालने की मशीन टूट गई थी । कुछ प्रारम्भिक कठिनाइयां थीं और समय समय पर उनकी देख भाल की गई ।

†**श्री रंगा :** क्या इसके परिणामस्वरूप कोई हानि हुई ? क्या टेक्निकल दोष पाया गया है और उसका उत्तरदायी कौन है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** आरम्भ में उत्पादन आशातीत न था क्योंकि टिल्टिंग मशीन में कुछ खराबी प्रारम्भ से ही थी । बाद में, कुछ और कठिनाइयां हो गईं । जब भी कोई खराबी हुई उसे आवश्यक टेक्निकल कर्मचारियों ने दूर कर दिया ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इससे कितनी हानि हुई ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** हानि का पता लगाना बहुत कठिन है । उत्पादन हमारी आशानुसार न था : परन्तु हानि के ठीक आंकड़े देना असम्भव है ।

†**श्री रंगा :** क्या इसके बारे में टैक्निकल परामर्शदाताओं से परामर्श किया गया था ? उनका परामर्श क्या था ? इस दोष के लिये कौन उत्तरदायी हैं और क्या इस बारे में किसी पर कार्यवाही की गई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** यह प्रश्न टेक्निसियनों पर किसी भी रूप में दोष देने का नहीं है । हमने स्वयं देखा है कि उसमें कुछ दोष थे जो ठीक किये गये । कुछ हानि भी हुई । क्योंकि उत्पादन कम हो गया था । इन सब बातों की जांच हो रही है कि ये दोष ठेकेदारों द्वारा किये काम में दोष होने के कारण थे या कुछ अन्य कारणों से थे । यदि अन्त में इन हानियों के लिये ठेकेदार उत्तरदायी सिद्ध होता है, तो कदाचित हम इसके लिये क्षतिपूर्ति मागेंगे ।

†**श्री रंगा :** माननीय मंत्री ने "कदाचित" शब्द का प्रयोग किया है । क्या अब भी उन्हें इसमें सन्देह है कि इसके लिये कोई उत्तरदायी हराया जाये ? "कदाचित" शब्द का क्या महत्व है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय :** किसी के लिये यह सरल बात नहीं है कि वह बैं कर किसी को उत्तरदायी घोषित करदे । सारी परिस्थितियों का विचार रखना है । फिर करार पर इस दृष्टि से विचार करना है कि क्या किन्हीं विशिष्ट टेक्निसियनों या ठेकेदार को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है । इन सब बातों के होने पर प्रतिकर का प्रश्न उत्पन्न होता है ।

†**श्री मुरारका :** उत्पादन में ,बिलम्ब का क्या कारण है ? यह धमन भट्टी स्थापित हूये आठ मास हो गये परन्तु उत्पादन क्षमतानुसार नहीं हो रहा है । इसका क्या कारण है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** मैं पूर्व-सूचना चाहता हूं ।

†**श्री नागी रेड्डी :** क्या यह सच है कि हानि लगभग एक करोड़ रु० की हुई है, क्योंकि कच्चे लोहे का उत्पादन अनुमानित क्षमता के अनुसार नहीं हुआ ? अतः कच्चा लोहा ढलने की मशीन के टूटने या और किसी भी अन्य कारण से हुई हानि उससे कहीं अधिक है जो माननीय मंत्री यहां बताने को तैयार हैं ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** मुद्रा रूप में हानि के ठीक आंकड़े बतान की असमर्थता मैंने अभी प्रकट की थी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न कई सदस्यों ने पूछा है । अतः सभा सचिव यह बता सकते हैं कि उत्पादन मात्रा कितनी कम रही ।

†**श्री के० दे० मालवीय :** उत्पादन की निर्धारित क्षमता लगभग १००० टन प्रति दिन है । कुछ समय तक उत्पादन ४००, ५०० या ६०० टन रहा । आरम्भ में, कोई भी यह आशा नहीं करता कि उत्पादन एकदम १००० टन हो जायेगा । अतः यह ठीक से बताना बहुत कठिन है कि कितनी हानि हुई यद्यपि हम कह सकते हैं कुछ हानि हुई होगी । कुछ समय बाद ही अनुकूलतम उत्पादन की आशा की जा सकती है ।

†**श्री तंगामणि :** क्या सरकार का विचार हानि का पता लगाने और उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिये एक जांच समिति बनाने का है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** यदि माननीय सदस्य लिखित सुझाव भेजें, तो सरकार निश्चय ही उस पर विचार करेगी ।

†**श्री नरसिंहन् :** माननीय मंत्री ने कहा था कि हानि का पता लगाने की जांच करनी होगी । क्या उनका विचार जांच करने का है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** हमारे विचार में जांच की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसकी जांच करने के लिये हमारी पहले ही पर्याप्त व्यवस्था है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री कह सकते हैं कि उत्पादन कम होने का कोई कारण विशेष नहीं है और निर्धारित क्षमता तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा । अन्यथा उन्हें यह कहना चाहिये कि दोष होने के कारण उत्पादन कम हो गया है ।

†**श्री के० दे० मालवीय :** मैं यह नहीं कहूंगा कि कोई दोष नहीं है और कोई व्यक्ति इसके लिये दोषी नहीं है । इन सब बातों पर निरन्तर विचार किया जा रहा है । परामर्शदाताओं से

---

†मूल अंग्रेजी में

जाकर उनकी जांच करने को कहा गया है। इन बातों का निश्चित रूप से पता लग जाने पर ही क्षतिपूर्ति की मांग करने या किसी को उत्तरदायी ठहराने का प्रश्न उत्पन्न होगा। इसमें कुछ समय लगेगा।

बम्बई में तेल छिद्रण

+

†*८३९. **श्री हेम राज :**
श्री पांगरकर :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री विभूति मिश्र :
श्री सूपकार :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री कोडियान :
श्री पटेलकर :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैम्बे व बड़ौदा क्षेत्रों में और सूरत जिले के महेज गांव में तेल सम्बन्धी सर्वेक्षण में अद्यतन क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में तेल और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता का कोई निर्धारण हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) महेज सहित कैम्बे-बड़ौदा-सूरत क्षेत्र के अधिकतर भाग में गुरुत्वाकर्षण और चुम्बकीय सर्वेक्षण समाप्त हो गये हैं। तारापुर के दक्षिण में और साबरमती तथा महीसागर नदियों के बीच स्थित क्षेत्र और अंकलेश्वर तथा मेहज सहित जम्बूसार बड़ौच क्षेत्र में भू-कम्पीय कार्य हो गया है।

(ख) अभी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

ज्वालामुखी में तेल छिद्रण

+

†*८७३. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री पांगरकर :
श्री हेम राज :
श्री चुनीलाल :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ८ सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १२४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ज्वालामुखी के तेल के लिये छिद्रण में और कोई प्रगति हुई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या परिणाम प्राप्त हुआ है ;

(ग) क्या क्षेत्रों में पाई गई प्राकृतिक गैस का और अनुमान लगाया गया है ;

(घ) क्षेत्र में प्राकृतिक गैस तथा तेल की संभावनाओं का पता लगाने के लिये और कुएं खोदने का क्या प्रोग्राम बनाये गये हैं ; और

(ङ) अब तक योजना पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) गहराई की जांच के बाद कुआं संख्या १ ३०६७ मीटर गहरा खोदा गया था और उत्पादन परीक्षा हो रही है। संरचना छेद क्रमानुसार ८५०, ८५८, १००७, १०४८ और ९५८ मीटर गहरे खोदे गये ।

(ख) संरचना छेद संख्या १ से ४ में, जिनकी परीक्षण हो चुकी है, तेल या गैस नहीं मिली। गहरा कुआं संख्या १ की परीक्षा हो रही है ।

(ग) नहीं, श्रीमान । अभी नया निर्धारण नहीं किया जा सकता ।

(घ) दूसरे गहरे कुएं का स्थान निर्धारित हो गया है । कुआं संख्या १ भी परीक्षा के बाद इस स्थान पर छेद किया जायेगा ।

(ङ) मूल्यांकन पूर्ण होने पर आंकड़े बता दिये जायेंगे ।

†**श्री हेम राज** ज्वालामुखी में गहरा कुआं संख्या २ का काम कब तक आरम्भ होगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : ज्वालामुखी में गहरा कुआं संख्या २ का काम आयोग को गहरा कुआं संख्या १ के पूर्ण परिणाम प्राप्त होने पर आरम्भ होगा । उन परिणामों के प्राप्त होने में अब कुछ सप्ताह और लगेंगे ।

†**श्री हेम राज** : क्या यह कुआं संख्या २ रूमानियों द्वारा बनाया जायेगा या रूसियों द्वारा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा ।

†**श्री पु० र० पटेल** : गुजरात में, अर्थात्, सूरत, केम्बे और अन्य स्थानों में कितने कुएं खोदे गये हैं और उनमें से कितने सफल रहे हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : समूचे गुजरात में उथले व गहरे कुल लगभग एक दर्जन कुएं अब तक खोदे गये हैं । उनमें से कुछ में गैस और तेल मिला है । परन्तु अभी यह नहीं कहा जा सकता कि ये खोजें सफल रहेंगी या नहीं क्योंकि इस क्षेत्र की विशेषता यह प्रतीत होती है कि तेल और गैस भूतत्वीय-काल में उथली गहराई पर रह गई हैं और जब कभी हम छेद करते हैं तो दबाव पर कुछ मिलता है । लगभग दो दर्जन छेद करने पर ही हम मात्रा का कुछ प्रारम्भिक अनुमान लगा सकते हैं ।

†**श्री सूपकार** : बम्बई राज्य में सारे स्थानों पर तेल के सर्वेक्षण पर कुल कितना व्यय हुआ है और इस क्षेत्र में वास्तव में कब तेल उपलब्ध होने की आशा है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : कदाचित मैं गुजरात में तेल की खोज का पृथक व्यय न बता सकूं परन्तु यह किसी भी स्थिति में दो करोड़ रु०से अधिक न होगा। वास्तविक मात्रा का अनुमान अभी नहीं बताया जा सकता । कदाचित सामान्य आय-व्ययक सत्र में मैं इस बारे में अधिक स्पष्ट बता सकूं कि वहां कितना तेल मिल सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आसार** : क्या यह सच है कि सरकार ने अब एकदम यह महसूस किया है कि गत वर्ष के तेल सम्बन्धी बड़े बड़े दावे गलत थे ? यदि हां तो क्या सरकार सही स्थिति बतायेगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : नहीं, श्रीमान । सरकार यह महसूस नहीं करती ।

†**श्री याज्ञिक** : आजकल वास्तव में कितने कुएं खोदे जा रहे हैं और सरकार को वाणिज्यिक आधार पर तेल शोधन की संभावनाओं का अनुमान लगाने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : ये बहुत ही विस्तृत प्रश्न हैं और मेरा विचार है कि ये पृथक होने चाहियें। प्रश्न के प्रथम भाग के बारे में मैं यह कह सकता हूं कि हम तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा देश भर में छः गहरे छेद खोदने की तैयारी कर रहे हैं। ये छः छेद अब से तीन चार महीनों में पूरे हो जायेंगे। मैं शीघ्र काम करने का प्रयत्न कर रहा हूं ताकि मुझे आगामी वर्ष सामान्य आय-व्ययक पर चर्चा होने से पहले कुछ अनुमान हो जाये ।

†**श्री नाना पाटिल** : क्या सरकार को अंकलेश्वर के पास हाल में किये गये छिद्रण-कार्य सम्बन्धी प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गये हैं और यदि हां, तो यह कहां तक सफल रहा है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : हां, सरकार के अंकलेश्वर में हुई प्रगति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। एक छेद उथला है जिसकी गहराई ११०० मीटर है, अर्थात् ३३००, या ३४,०० फीट है। दूसरा तैयार हो रहा है। आशा है कि छिद्रण आगामी मास आरम्भ हो जायेगा ।

†**श्री पु० र० पाटिल** : गुजरात में कितने कुओं में तेल मिला है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : अब तक खोदे गये दोनों कुओं में 'लूनेज स्ट्रक्चर' तेल मिला है ।

उच्च शिक्षा सम्बन्धी निर्धारण समिति

†*८४०. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रत्येक अध्ययन-विषय की उच्च शिक्षा की कोटि निर्धारण करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त की गई विशेषज्ञ समितियों का कार्य-क्षेत्र क्या है ; और

(ख) उनके प्रतिवेदन कब प्रस्तुत होने की संभावना है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). एक विवरण पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त की गई पुनरीक्षण समितियों का कार्य भारतीय विश्वविद्यालयों में विशेषकर स्नातकोत्तर स्तर पर—अध्यापन तथा अनुसन्धान संबंधी विद्यमान स्थिति का नियमित मूल्याकन करना और सुविधाओं के और विकास की सिफारिश करना हैं ताकि इन विषयों में प्रशिक्षण के स्तर ऊंचे हो सकें। इन समितियों के निर्देश-पदों में निम्न बातें हैं:—

(१) उल्लिखित विशिष्ट वैज्ञानिक क्षेत्र में विकास तथा प्रगति के वर्तमान स्तरों का मूल्यांकन करना;

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) चल रही अनुसन्धान योजनाओं के बारे में यह पता लगाना कि वे किस प्रकार की है और उनमें कितना हो रहा है एवं देश की आवश्यकताओं के लिए उनका उपयोगिता की दष्टि से क्या मूल्य हैं;

(३) अनुसन्धान की प्रवृतियां, उसकी संभाव्यतायें और सुविधाओं के अधिक विस्तार के लिए की जाने वाली कार्यवाही ;

(४) पाठ्यक्रमों तथा विभिन्न स्तरों पर परीक्षा-प्रणाली की जांच करना तथा स्तर निर्धारित करने व सुधार करने के ढंगों का सुझाव देना;

(५) अध्यापन व अनुसन्धान की विश्वविद्यालय संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं में समन्वय के ढंगों का सुझाव देना ।

यदि समितियों को सौंपे गये कार्य के हित में हो तो वे इन पदों में परिवर्तन कर सकती है।

(ख) इन प्रतिवेदनों के प्रस्तुत किये जाना का विश्वविद्यालय आयोग ने कोई समय निर्धारित नहीं किया है परन्तु आशा है कि वे दिसम्बर १९५९ में प्राप्त होने लगेंगे।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** विवरण से विदित होता है कि समिति सौंपे गये कार्य के हित में निर्देश पदों में परिवर्तन कर सकती हैं। क्या समिति विश्वविद्यालयों में पुरातत्व शास्त्र और संग्रह शास्त्र जैसे विषयों के विभागों के खोलने का सुझाव दे सकती है और इस्पात, सामान तथा कर्मचारियों के लिए अनुदान की सिफारिश कर सकती है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** ये समितियां विभिन्न विज्ञानों में स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापन व अनुसन्धान के संबंध में नियुक्त की गई हैं जैसा कि विवरण में उल्लेख है एवं इनके निर्देश पद निश्चित कर दिये गये हैं । समितियां थोड़ा परिवर्तन कर सकती हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उनसे यही कहा था। मैं नहीं समझता कि समितियां अपने सारे निर्देश पद बदल सकती हैं।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या समितियों के सदस्यों का संवरण तदर्थ आधार पर या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तालिका से किया गया है? यदि हां, तो ऐसे संवरण की अर्हतायें और सिद्धान्त क्या हैं?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** सदस्य-सूची मेरे पास नहीं है। रसायन शास्त्र, पक्षी-शास्त्र, जीव-रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, भौतिकी, आदि जैसी विभिन्न समितियां हैं। इन समितियों के चुने जाने वाले अधिकतर व्यक्ति विश्वविद्यालयों के प्राख्यापक होंगे जिन्हे इन विषयों का ज्ञान होगा और जो अनुसन्धान तथा अनुसन्धान तक्नीकों की समस्या समझ सकेंगे।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या इन समितियों से स्नातक व स्नातकोत्तर परीक्षाओं के पाठ्यक्रम निश्चित करने को कहा जायेगा ताकि एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्व-विद्यालय में जाने वाले विद्यार्थियों को कठिनाई न हो?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं माननीय सदस्य का ध्यान विवरण में उल्लिखित निर्देशपदों की ओर आकर्षित करता हूं ।]

---

†मूल अंग्रेजी में

सेठ गोविन्द दास : जहां तक इस कमेटी का सम्बन्ध है क्या यह कमेटी हमारी शिक्षा पद्धति में किस प्रकार के परिवर्तनों की जरूरत है और इस सम्बन्ध में जो भिन्न विश्वविद्यालयों के उपाधि वितरण उत्सवों में कहा गया है और जिन परिवर्तनों की आवश्यकता शिक्षा विशेषज्ञ समझते हैं, उन पर भी विचार करेगी?

डा० का० ला० श्रीमाली : इसके टर्म्स आफ रिफरेंस बड़े सीमित हैं और इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो स्टेटमेंट और टर्म्स आफ रिफरेंस हैं उन्हें देखें।

†**श्री तंगामणि :** पुनरीक्षण समिति अपना कार्य दिसम्बर, १९५९ में आरम्भ कर रही है। कार्य समाप्त करने में इसे कितना समय लगेगा? क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गई है, अर्थात्, पुनरीक्षण प्रतिवेदन देने में इसे तीन मास या छः मास लगेंगे?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** विवरण में उल्लेख है कि प्रतिवेदन दिसम्बर, १९५९ में आने लगेंगे। ऐसे कार्य में अधिक समय नहीं लगेगा। स्वाभाविक है कि आयोग कोई समय-सीमा निर्धारित न कर सका। आशा है कि प्रतिवेदन कुछ मासों में उपलब्ध हो जायेंगे।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** इस दृष्टि से कि इन समितियों को बहुत विस्तृत सांख्यिकीय सर्वेक्षण करना होगा, क्या भारतीय सांख्यिकीय संस्था इस निर्धारण से सम्बद्ध कर दी गई है?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** नहीं, श्रीमान।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** आजकल इन सब विषयों के शिक्षण का कोई विशेष दोष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को बताया गया है?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यह प्रश्न माननीय सदस्य के मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का काम स्तर निर्धारित करना तथा बनाये रखना है। ये समितियां आयोग संविहित उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए नियुक्त की गई है?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

शतरंज

*८३५. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय खेल-कूद समिति ने शतरंज के खेल को मान्यता प्रदान नहीं की है और न उसे सरकारी संरक्षण ही प्राप्त है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). मान्यता प्राप्ति के लिये की गई अखिल भारतीय शतरंज संघ की प्रार्थना अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद के विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में बम विस्फोट

*८४१. डा० राम सुभग सिंह :
श्री वै० चं० मलिक :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार अब इस बात का निश्चय कर सकी है कि दिल्ली में बम विस्फोटों में किन-किन का हाथ था?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : दिल्ली में पटाखे और दूसरे विस्फोटों के सिलसिले में कई एक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और उनमें से बहुतों को सजा हो गई लेकिन इन वारदातों के पीछे किसी खास गिरोह का हाथ मालूम नहीं हुआ दिल्ली में हाल में कोई बम विस्फोट नहीं हुए हैं।

कोणार्क मन्दिर

†*८४२. **श्री नरसिंहन्** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोणार्क मन्दिर का मंडप समुद्री रेत से भरा हुआ है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्षा के पानी से समुद्री रेत का नमक धुल जाता है और पत्थरों को नुक्सान पहुंचाता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या पुरात्व विभाग ने समुद्री रेत के स्थान पर नया रेत डालने की कार्यवाही की है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) से (ग) चालू शताब्दी के प्रथम बीस वर्षों में जबकि मन्दिर की मरम्मत आरम्भ की गई, तो मंडप बहुत ही खतरनाक हालत में था। अतः मंडप के अन्तरिम भागों के चारों ओर पन्द्रह फुट चौड़ी दीवारें बनाई गईं और रेत ऊपर से डाला गया। इस प्रकार प्रत्यक्ष है कि इस के पूर्व कि रेत का नमक स्मारक की दीवारों से लगे उसे आधुनिक दीवारों को पार करना होगा जिसकी संभावना नहीं है। इसी प्रकार वर्षा का पानी मूल दीवारों की बहुत अधिक मोटाई तथा आधुनिक दीवारों की पन्द्रह फुट की मोटाई को पार करके ही रेत तक पहुंच सकता है और उसका नमक धुल सकता है।

विद्युत भट्टियां

†*८४३. श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री मो० व० ठाकुर :
श्री ओझा :
श्री क० उ० परमार :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री १९ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ५४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानीय रूप से उपलब्ध कबाड़ का उपयोग करने के लिये विद्युत भट्टियां बनाने के लाइसेंस दिये गये हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो राज्यवार उनकी संख्या क्या है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) एक विवरण पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत ६ विद्युत भट्टियों को लाइसेन्स दिये गये हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्न उन्नीस भट्टियों के लाइसेन्स और दिये जायेंगे :—

राज्य	लाइसेन्स दिये गये	लाइसेन्स दिये जायेंगे
आन्ध्र	—	१
बम्बई	२	३
दिल्ली	२	—
मद्रास	—	१
मैसूर	—	१
पंजाब	—	३
उत्तर प्रदेश	१	२
पश्चिमी बंगाल	१	८

इन के अतिरिक्त, लोहा तथा इस्पात नियन्त्रण आदेश के अन्तर्गत ५० से कम मजदूर रखने वाली दो छोटी भट्टियों की पंजाब में और एक विद्युत भट्टी की बम्बई में अनुमति दी गई है ।

ये सब —२८—देश में चल रही १३ विद्युत भट्टियों और १६ विभिन्न स्थितियों में बन रही भट्टियों के अतिरिक्त हैं ।

बर्मा के भारतीय पेंशनर

†*८४४. **श्री आचार :**
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बर्मा के भारतीय पेंशनरों से शिकायत मिली है कि उन्हें मिलने वाली राशि आय कर के कारण आधी रह जाती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) हां, श्रीमान । हाल में कुछ शिकायतें मिली हैं कि बर्मा सरकार बर्मा के उन पेंशन पाने वालों की पेंशनों से ५० प्रतिशत आय कर ले रही है जो भारतीय हैं और बर्मा के निवासी नहीं हैं ।

(ख) सरकार कोई कार्यवाही करने से पहले तथ्य निर्धारण करने के लिये शिकायतों के विषय पर विचार कर रही है ।

†मूल अंग्रेजी में

विकास ऋण निधि

†*८४५. { **श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :**
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अमरीकी सरकार के इस निश्चय का क्या प्रभाव होगा कि विकास ऋण निधि के ऋणों को अमरीका में ही क्रय करने पर व्यय किया जाये ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : अमरीकी सरकार के उक्त निश्चय का भारत सरकार और अमरीकी विकास ऋण निधि के बीच हुए पिछले करारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा परन्तु भावी ऋणों पर पड़ेगा । भारतीय हित की विभिन्न प्रकार की पूंजीगत-वस्तुओं के मूल्य साधारणतया अमरीका में अधिक हैं, अतः नई नीति का अर्थ यह होगा कि वस्तुओं के रूप में सहायता कम मिलेगी ।

प्रविधिक पुस्तकों का अनुवाद

†८४६. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रविधिक पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद कराने के लिये शिक्षा विभाग द्वारा जो योजना बनाई गई थी उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) उक्त योजना कब तक पूर्ण-रूपेण कार्यान्वित हो जायेगी ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) योजना पर राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और प्रकाशकों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है ।

(ख) ऐसी आशा की जाती है कि अगले वित्त-वर्ष में इस योजना को अमल में लाया जा सकेगा ।

भूतत्व शास्त्र का प्रशिक्षण

†*८४७. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रति वर्ष 'इंडियन वीरो आफ माइन्स' द्वारा स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को भूतत्व शास्त्र का प्रशिक्षण देने की योजना निश्चित हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निश्चय किया गया है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) प्रशिक्षण योजना वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय की 'व्यावहारिक प्रशिक्षण छात्रवृति योजना' के अन्तर्गत कार्यान्वित की जा रही है। योजना में २०स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को व्यवहृत भूतत्वशास्त्र/खनन का एक वर्ष तक प्रशिक्षण देना सम्मिलित है । प्रशिक्षण काल में प्रशिक्षार्थियों को १५० रु० प्रति मास छात्रवृति दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिवेन्द्रम के संग्रहालय के संचालन के खिलाफ जांच

†*८४८. { **श्री कुमारन :**
श्री ईश्वर अय्यर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम (केरल राज्य) के संग्रहालय के निदेशक जांच की रिपोर्ट केरल सरकार को मिल गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी हाँ ।

(ख) रिपोर्ट केरल सरकार के विचाराधीन है ।

विश्वविद्यालयों में ग्राम शिशिक्षा योजना [१]

†*८४९. **श्रीमती इला पालचौधरी** : : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम शिक्षा योजना के बारे में, जो १९५६–५७ में लागू की गयी थी, उन भारतीय विश्वविद्यालयों से, जिन्होंने इस के क्रियान्वय में दिलचस्पी दिखाई थी, कोई मूल्यन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना को और भी बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २०]**

(ग) और (घ). विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्र-सेवा की अग्रिम परियोजनाओं का ब्यौरा तैयार करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त समिति इस मसले पर गौर कर रही है ।

त्रिपुरा में आग बुझाने वाला दस्ता

†*८५०. **श्री दशरथ देब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के डिविजनों में अक्सर अग्निकांड होते रहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो त्रिपुरा के डिवीजनों के नगरों में आग बुझाने वाले दस्तों की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० व० पन्त)** : (क) पिछले तीन वर्षों में त्रिपुरा के सब डिवीजनों में आग लगने की कुछ घटनायें हुई हैं । उस राज्य क्षेत्र में मकान जिस चीज के बने होते हैं वह आग जल्दी पकड़ लेती है । इसके अलावा उस राज्य क्षेत्र का काफी बड़ा भाग वनों से ढका हुआ है । इन दोनों के कारण आग का खतरा बढ़ जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१]Village Apprenticeship Scheme

(ख) अगरतला में एक आग बुझाने वाला दस्ता पहले से मौजूद है दो और आग बुझाने वाले दस्तों की मंजूरी दी जा चुकी है, एक उत्तर के धर्म नगर के लिये और दूसरी दक्षिण में उदयपुर के लिये। इन की स्थापना शीघ्र ही कर दी जायेगी।

उड़ीसा में बवंडर से क्षति

†*८५१. **श्री वै० च० मलिक :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर और अक्तूबर, १९५९ में उड़ीसा के चंडीपुर समुद्र तट पर प्रुफ और एक्सपेरिमेंट हाउस को बवंडरों से कोई क्षति पहुंची है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) जी हां।

(ख) उस क्षेत्र की अधिकांश इमारतों और सड़कों को घोर क्षति पहुंची है। कुल हानि लगभग ४ लाख रुपये कूती गयी है। किसी की जान जाने की खबर नहीं है।

नहर काटिया-बरौनी पाइप लाइन

†*८५२. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नहर काटिया बरौनी पाइप लाइन परियोजना के प्रथम चरण के लिये पाइपों के संभरण का ठेका एक ब्रिटिश फर्म को दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जी हां।

(ख) प्रथम चरण के लिये १,८९८,३९८ पौंड की कीमत के ३१,००० टन लाइन पाइपों के संभरण का आर्डर लन्दन के मेसर्स स्टिवार्टस एंड लायड्स को दिया गया है। १६ इंच व्यास के इन पाइपों की कुल लम्बाई २५५ मील होगी।

चीन के स्वर्ण डालरों का पकड़ा जाना

†८५३. **श्रीमती मफीदा अहमद :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ६ नवम्बर, १९५९ को भू-सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों ने ८१,००० रुपयों के चीनी स्वर्ण डालर पास रखने के अपराध में एक व्यक्ति को अम्बरी फलकाना हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो मोटे तौर पर इस घटना का ब्यौरा क्या है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** (क) और (ख) यह सच है कि चीनी और तिब्बती चांदी के (सोने के नहीं) लगभग ८,१०० रुपयों के (८१,००० रुपयों के नहीं) सिक्के रखने के कारण ६ नवम्बर, १९५९ को अम्बरी फलकाना हवाई अड्डे पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार

†मूल अंग्रेजी में

किया गया था। इस व्यक्ति को बिना लाइसेंस अथवा शुल्क दिये चांदी के डालर भारत में लाने के सन्देह में पकड़ लिया गया था। इस मामले में और आगे जांच चल रही है।

निशान लगा कर मत देने की प्रणाली

†*८५४. **श्री झूलन सिंह** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य विधान सभाओं और लोक-सभा को अब तक हुये कितने निर्वाचनों और निर्वाचन क्षेत्रों में निशान लगाकर मतदान की पद्धति का प्रयोग किया गया ;

(ख) दोषपूर्ण ढंग से मांग लगाने के कारण कितने प्रतिशत मत व्यर्थ हो गये ; और

(ग) यह प्रतिशत संख्या उस पद्धति से मतदान में जो निशान लगाने वाली पद्धति से पहले चालू थी, व्यर्थ जाने वाले मतों की प्रतिशत की तुलना में कैसी ठहरती है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)**: (क) और (ख). यह जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २१]**

(ग) निशान लगाकर मत देने की पद्धति में अवैध होने वाले मतों की प्रतिशत संख्या की तुलना पुरानी पद्धति से नहीं की जा सकती क्योंकि दोनों पद्धतियां में मत देने के तरीके में बिल्कुल अन्तर है। इसलिये इस प्रकार तुलना करने से दोनों पद्धतियों की सापेक्ष उपायेयना के बारे में कोई वैध निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते।

सरकारी कर्मचारियों के आचरण नियम, १९५५

†*८५५. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री तंगामणि :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ के अधीन 'श्रमिक' के वर्ग में आने वाले केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के आचरण नियम, १९५५ की धारा ४क, ४ख आदि से बरी कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४९ के अधीन 'श्रमिक' की श्रेणी में आने वाले अधिकांश केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को केन्द्रीय सेवायें (आचरण) नियम, १९५५ की धारा ४क, ४ख आदि से बरी कर दिया गया है। लेकिन यह छूट कुछ श्रेणियों, विशेषरूप से डाक-तार विभाग व असैनिक उड्डयन विभाग के कर्मचारियों पर लागू नहीं होती क्योंकि वे काफी समय पहले से अनौद्योगिक सरकारी कर्मचारियों पर लागू नियमों और विनियमों से शासित होते चले आ रहे हैं।

तेलुगु उपन्यास 'नारायण राव'

†*८५६. **डा० सामन्त सिंहार**: क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहित्य अकादमी ने तेलुगु उपन्यास का अनुवाद उड़िया भाषा तथा अन्य कुछ प्रादेशिक भाषाओं में करने की सिफारिश की है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि उस उपन्यास में उड़िया लोगों पर कुछ आक्षेप और कुछ विकृत बातें लिखी गयी हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्यमंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). तेलुगु मंत्रणा बोर्ड ने अन्य भारतीय भाषाओं में अनूदित कराने के लिये इस पुस्तक की सिफारिश की थी। उड़िया मंत्रणा बोर्ड के एक सदस्य ने इस बीच इस पुस्तक के बारे में कुछ आपतियां उठायी हैं और यह मसला अकादमी के विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश में तेल सर्वेक्षण

*८५७. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ३१ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ९८६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में तेल की खोज के लिये जो सर्वेक्षण किया जा रहा था, इस बीच उस कार्य में और क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) अब तक किये गये सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**:(क) लगभग सारे उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों की तलहटियों में भूमीक्षण भूगर्भीय सर्वेक्षण[1] का कार्य हुआ है।

(ख) परिणामों का अनुमान लगा सकने से पहले अधिक विस्तार से काम का होना आवश्यक है ।

घाना सरकार द्वारा भारतीय विमानों की खरीद

†*८५८. **प्र० गं० देव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट द्वारा निमित कुछ विमान घाना सरकार को बेचे गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कीमत ली गयी है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) : जी हां।

(ख) यह जानकारी देना लोक हित में नहीं है।

अफीम की खेती

*८५९. **श्री वाजपेयी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के नीमच और रतलाम जिलों में अफीम की खेती करने वाले किसानों को रेलवे लाइन के समानान्तर १५ मील की दूरी तक अफीम की खेती करने से रोक दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि इस विषय में मध्य प्रदेश सरकार से सलाह नहीं ली गई थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Reconnaissance Geological Survey.

(घ) क्या इस संबंध में किसानों की ओर से कोई अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त हुये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

(घ) पोस्त की खेती के लिये पहले से ज्यादा ज़मीन देने के लिये इस साल मंदसौर और रतलाम जिलों के किसानों की कुछ दरख्वास्तें आयी थीं ।

(ङ) उसके बाद इन जिलों में पोस्त की खेती के लिये करीब २,००० बीघा ज़मीन और दी गयी है ।

इम्फाल में चोरियां और डाके

†*८६०. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ महीनों में इम्फाल में चोरियां और डाकों की वृद्धि हुई है और मनीपुर की अपराध संबंधी स्थिति बदतर हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) और (ख). चालू वर्ष में चोरियों में तो कुछ वृद्धि हुई है लेकिन इम्फाल में डाके पड़ने के मामले की कोई सूचना नहीं है। विधि तथा व्यवस्था को बेहतर तरीके से लागू करने के लिये पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ नये पुलिस थानों की स्थापना की गयी है ।

बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण) अधिनियम, १९५६

†*८६१. **श्री फ० गो० सेन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण) अधिनियम १९५६ के अधीन स्थानांतरित अधिकारियों का अंतिम रूप से आवंटन तय हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ अधिकारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और उन्होंने केन्द्रीय सेवाओं में विलीनीकरण के लिये आवेदन किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण) अधिनियम, १९५६ के अधीन स्थानांतरित कर्मचारियों में से १३२ को छोड़ कर शेष सभी का अंतिम रूप से आवंटन निश्चित हो गया है। इन १३२ सरकारी कर्मचारियों का मामला बिहार तथा पश्चिम बंगाल सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) बिहार तथा पश्चिम बंगाल सरकारों से विचाराधीन मामलों को दिसम्बर, १९५९ के अंत तक अंतिम रूप प्रदान कर देने का अनुरोध किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ). भारत सरकार को आवंटन में सामान्य आधारों पर परिवर्तन करने के संबंध में १७ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उनमें किसी विशिष्ट कठिनाई का संकेत नहीं किया गया था। भारत सरकार से केन्द्रीय सेवाओं में ले लेने का कोई अनुरोध नहीं किया गया है। यदि यह अनुरोध किया भी गया तो भी उसे स्वीकार करना संभव न होगा।

भारत के लोक-गीत

*८६२. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने भारत के लोक-गीतों का संग्रह करने और उन्हें प्रकाशित करने के सम्बन्ध में क्या प्रयत्न किये हैं; और

(ख) क्या कुछ ऐसे लोक-गीत हैं जिनमें प्राचीन भारतीय सभ्यता और इतिहास का कुछ पुट है?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) नीचे लिखी कार्रवाई की गई है :--

१. लोक-गीतों का संग्रह, उनको रिकार्ड करना और प्रसारित करना,

२. लोक-गीतों का प्रकाशन,

३. जहां सम्भव है, वहां लोक-गीतों का संग्रह और प्रकाशन करने वाले संगठनों को वित्तीय सहायता देना।

(ख) जी, हां।

मद्य-निषेध सम्बन्धी केन्द्रीय समिति

†*८६३. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री सूपकार :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ५ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मद्य निषेध संबंधी केन्द्रीय समिति के सदस्यों और कृत्यों आदि संबंधी ब्यौरा राज्य सरकार के परामर्श से इस बीच तैयार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) और (ख). राज्य सरकारों के उत्तर आ गये हैं और यह आशा की जाती है कि इस मसले को शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिया जायगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयला खनन सम्बन्धी उपकरणों का आयात

†*८६४. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला उद्योग की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कोयले के खनन संबंधी उपकरणों और मशीनों के आयात के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है;

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में इनकी मांग पूरी करने के लिये कुल कितनी विदेशी मुद्राओं की आवश्यकता पड़ेगी ;

(ग) क्या कोयला खनन उद्योग को कच्चे लोहे, इस्पात आदि कच्चे माल के संभरण के लिये भी कार्यवाही की जाती हैं; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की जाती है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के कोयला खनन उद्योग की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कोयले के खनन संबंधी मशीनों के आयात के लिये पर्याप्त विदेशी मुद्राओं का उपबं करने के लिये प्रयास किया जाता है।

(ख) ३६.६१ करोड़ पये ।

(ग) जी हां।

(घ) इस्पात और सीमेंट की संभरण की स्थिति और उद्योग की वास्तविक आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए कोयला उद्योग के लिये इनका एकमुश्त कोटा निर्धारित कर दिया जाता है । यह कोटा अलग-अलग कोलियरियों में वितरित किये जाने के लिये कोयला नियंत्रक को सौंपा दिया जाता है। लेकिन, कच्चे लोहे के संबंध में यह आवंटन नहीं किये जाते और कोलियरियां लोहा और इस्पात नियंत्रक से सीधे इसकी मांग कर सकती हैं।

प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति

*८६५. **श्री भक्त दर्शन**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री मुरारका :
श्री सूपकार :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री ५ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ९२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति की रिपोर्ट इस बीच मिल गई हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या रिपोर्ट को एक प्रति टेबल पर रखी जायेगी?

वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) हां। इस समय रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है। सरकार का इरादा है है कि ज्योंही इस पर विचार कर लिया जाय और कम से कम इसकी अधिक महत्वपूर्ण सिफारिशों के बारे में निश्चय कर लिये जांय त्योंही उसे सभा की मेज पर रख दिया जाय।

टैगोर जन्म शताब्दी समारोह

†*८६६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ८ सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १२२६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री रविन्द्र नाथ टैगोर की जन्म शताब्दी समारोह पर उनकी कृतियों के प्रकाशन के सिलसिले में और कितनी प्रगति हुई है?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : अनूदित होने अथवा छपने वाली पुस्तकों पर कार्य जारी रहा लेकिन अभी कोई भी संस्करण रिलीज नहीं किया गया। लेखों और प ों के संकलन को शीघ्र ही अंतिम रूप प्रदान कर लेने की आशा की जाती है।

सरकारी सम्पत्ति पर दिल्ली नगर निगम कर

*८६७. **श्री राम सुभग सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकारी सम्पत्ति पर दिल्ली नगर निगम का लगभग एक करोड़ रुपये का कर अभी वसूल करना बाकी है; और

(ख) यदि हां, तो इसे वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) और (ख). दिल्ली कारपोरेशन एक्ट, १९५७ की, धारा ११९ के मुताबिक सरकारी सम्पत्ति सम्पत्ति-कर से बरी है। यह कर उसी सम्पत्ति पर लग सकता है जिस पर २६ जनवरी, १९५० से पहले टैक्स लगता था। जो सम्पत्ति बरी है उसमें जो कारपोरेशन की तरफ से सेवाएं की जाती हैं उसका खर्चा वाजिब होता है। भारत सरकार २६ जनवरी, १९५० से पहले की बनी हुई इमारतों पर लगने वाले सही सम्पत्ति-कर और दूस ी इमारतों के सेवा कार्य पर जो रकम लागू हो उसकी जांच कर रही है।

पंजाब में जूनियर टेक्निकल स्कूल

†८६८. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब सरकार ने जूनियर टेक्निकल स्कूलों की स्थापना के लिये कोई सहायता मांगी है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता दी गयी है; और

(ग) किस प्रकार की योजनाओं का अनुमोदन किया गया है?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां।

(ख) यह तय हो गया है कि केन्द्रीय सहायता ६० प्रतिशत अनुमोदित अनावर्त्तक व्यय और आवर्त्तक व्यय का ६० प्रतिशत घाटा पूरा कर देगी लेकिन प्रत्येक संस्था को कितनी सहायता मिलेगी इसका पता अगले वर्ष ही लग सकेगा।

(ग) तीन स्कूलों, कांगड़ा, कपूरथला और गुड़गांव में एक एक स्कूल की स्थापना। स्कूलों ने इस वर्ष कार्य आरम्भ कर दिया है।

नेपाल सीमा पर सीमाशुल्क सम्बन्धी जांच

†*८६९. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक तो रक्सौल (भारत) और दूसरे बीरगंज (नेपाल) के सीमाशुल्क कार्यालयों द्वारा दोहरी जांच की पद्धति लागू कर दी गई है; और

(ख) क्या यह पद्धति सफलतापूर्वक चल रही है?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) नेपाल को भेजे जाने वाले सामान की दोहरी जांच एक बार तो भारत की ओर रक्सौल की सीमा-चौकी पर और दुबारा नेपाल में बीरगंज में तत्रभवान नरेश की नेपाल सरकार द्वारा कराने की पद्धति १९५४ से चल रही है।

(ख) जी हां।

नागा विद्रोही

†*८७०. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री सैं० अ० मेहदी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागा विद्रोहियों ने २० नवम्बर, १९५९ को मनीपुर के आयजुरम थाने पर हमला कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अधिकारियों ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) से (ग). २० नवम्बर, १९५९ को मनीपुर में अजुरम पुलिस थाने पर २० नागा विद्रोहियों ने हमला किया था। १५ मिनट तक दोनों ओर से गोलियां चलने के बाद पुलिस कर्मचारियों ने हमले को विफल कर दिया। पीछे हटते हुये विद्रोहियों का पुलिस ने पीछा किया और एक विद्रोही को पकड़ लिया और दो विद्रोही बाद में गिरफ्तार

†नून अंग्रेजी में

कर लिये गये। पुलिस का कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। मुकदमा कायम कर तफ़तीश की जा रही है। पुलिस थाने की इमारत अथवा सम्पत्ति को कोई क्षति नहीं पहुंची है।

उस क्षेत्र में छान बीन के लिये अतिरिक्त जवानों को तैनात कर दिया गया है।

हिन्दुस्तान स्टील लि० को घाटा

†*८७१. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री उस्मान अली खां :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री भंजदेव :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उसकी-लौह अयस्क की खानों और राउरकेला व दुर्गापुर के इस्पात कारखानों के कार्य में समन्वय न होने के कारण हिन्दुस्तान स्टील लि० को भारी घाटा होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का घाटा हुआ है ; और

(ग) लौह अयस्क की खानों और इस्पात के कारखानों के कारखानों में सामंजस्य लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई अथवा की जाने वाली है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

आसाम में प्राकृतिक गैस

†*८७२. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ३ सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ११२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम की प्राकृतिक गैस के उपयोग के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई अथवा की जाने वाली है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध की किसी योजना को अंतिम रूप प्रदान किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) सरकार ने प्राकृतिक गैस का दो चरणों में उपयोग करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की थी। समिति ने अगस्त, १९५९ में सरकार को दी गई अपनी अंतरिम रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि सम्बन्धित गैस के उपयोग के लिये प्रथम चरण उर्वरक, सीमेंट और बिजली के कारखानों की स्थापना की जानी चाहिये। यह निर्णय किया गया है कि प्रस्तावित उर्वरक और सीमेंट के कारखानों की स्थापना की जिम्मेदारी वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय पर और बिजलीघर की स्थापना की जिम्मेदारी सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के प्रविधिक मार्ग दर्शन के अधीन आसाम के राज्य विद्युत् बोर्ड पर होनी चाहिये। यह भी निश्चय किया गया है कि उर्वरक का कारखाना वर्ष ५०,००० टन अमोनियम सल्फेट और ५०,००० टन यूरिया तैयार करेगा; बिजलीघर की अधिष्ठापित क्षमता ५०,००० किलोवाट होगी, और सीमेंट का कारखाना एक दिन में ३०० टन का उत्पादन करेगा।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने उर्वरक परियोजना के बारे में एक परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया है। सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय बिजली घर की स्थापना के बारे में आसाम सरकार के परामर्श से, जो परियोजना को क्रियान्वित करेगी, परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर रहा है।

(ख) ये योजनायें तैयार हो रही हैं; अभी इन्हें अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कर्मचारियों की भर्ती

†*८७४. **डा० राम सुभग सिंह:**
श्री प्रकाश वीर शास्त्री:
श्री दी० चं० शर्मा:
श्री राधा रमण:
श्री रामेश्वर टांटिया:
श्री रामजी वर्मा:
श्री मोहम्मद इमाम:
श्री हेम बरुआ:
श्री जाधव:

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नव सृजित कार्यों के लिये कर्मचारियों की भर्ती के सम्बन्ध में विभिन्न मंत्रालयों को कोई हिदायतें दी हैं; और

(ख) क्या सरकार ने उन कर्मचारियों के बारे में अन्दाज़ लगाया है, जो फालतू हों और जिन्हें नव-सृजित कार्यों में खपाया जा सके ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) यह निर्णय किया गया है कि ऐसे प्रशासनिक, कार्यपालिका संबंधी अनुसचिवीय कुशल और अकुशल पदों पर, जो योजना से सम्बन्ध नहीं अथवा जिनकी सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों में आवश्यकता नहीं, भर्ती एक वर्ष तक बन्द रखी जाय। आवश्यक आदेश जारी हो रहे हैं।

(ख) जी नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

बम्बई राज्य में टेक्निकल शिक्षा

†१३४८. **श्री पांगरकर :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई राज्य को टेक्निकल शिक्षा के विकास के लिये १९५८-५९ में कितनी राशि सहायतानुदान के रूप में दी गई; और

(ख) किन शीर्षों के लिये यह राशि दी गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायुन कबिर)** : (क) २८,५८,४८९ रुपये ।

(ख) निम्न संस्थाओं के विस्तार और/अथवा विकास के लिये अनुदान दिया गया है :—

१. विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, बम्बई ।
२. वालचन्द कालेज आफ इंजीनियरिंग, संगली ।
३. इन्स्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग टेक्नालाजी, धूलिया ।
४. सर सुसरो वाडिया इन्स्टीट्यूट आफ इलेक्ट्रिकल टेक्नोलाजी, पूना ।
५. बिड़ला विश्वकर्मा महाविद्यालय, आनन्द ।
६. भइयालाल भइया ऐण्ड भीखाभांई पोलीटेक्नीक, आनन्द ।
७. कालेज आफ इंजीनियरिंग, पूना ।
८. एल० डी० कालेज आफ इंजीनियरिंग, अहमदाबाद ।
९. गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कालेज, नागपुर ।
१०. गवर्नमेंट पोलीटेक्नीक, पूना ।
११. गवर्नमेंट पोलीटेक्नीक, अहमदाबाद ।
१२. गवर्नमेंट ट्रैनिंग इन्स्टीट्यूट, खार ।
१३. आर० सी० टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, अहमदाबाद ।
१४. गवर्नमेंट पोलीटेक्नीक, औरंगाबाद ।
१५. गवर्नमेंट पोलीटेक्नीक, अमरावती ।
१६. इंजीनियरिंग कालेज, मोरवी ।
१७. ए० वी० पारीख टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, राजकोट ।
१८. सर भवसिंह जी पोलीटेक्निक, भावनगर ।
१९. गवर्नमेंट पोलीटेक्नीक, शोलापुर ।
२०. गवर्नमेंट पोलीटेक्नीक, नागपुर ।
२१. गवर्नमेंट पोलीटेक्नीक, करांद ।
२२. डा० एस० एस० गांधी कालेज आफ इंजीनियरिंग ऐण्ड टेक्नालाजी, सूरत
२३. स्कूल आफ प्रिंटिंग टेक्नालाजी, बम्बई ।
२४. सर जे० जे० स्कूल आफ आर्ट, बम्बई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बम्बई की संस्थाओं को संगीत नाटक अकादमी के अनुदान

†१३४९. **श्री पांगरकर :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई के उन संगठनों के नाम क्या हैं जिन्हें १९५८–५९ में संगीत नाटक अकादमी से अनुदान मिला था और उस अनुदान की राशि कितनी थी ;

(ख) क्या संगीत नाटक अकादमी ने १९५९–६० में मराठी ड्रामा को बढ़ावा देने के लिये अनुदान देना तय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो वह राशि कितनी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) :** (क) संगीत नाटक आकादमी ने बम्बई राज्य के लिये १९५८–५९ में सांस्कृतिक संगठनों को निम्न अनुदान मंजूर किये :—

	रुपये
१. कालेज आफ इण्डियन म्यूजिक, डान्स ऐण्ड ड्रामा, बड़ौदा	५,५३९
२. नाट्य संघ, बम्बई	१९,५००
३. रंगभूमि	३,५७५
४. इण्डियन नेशनल थियेटर, बम्बई	१०,०००
५. लिटिल बैलेट ट्रुप, बम्बई	२२,०००
६. बैलेट यूनिट, बम्बई	७,५००
७. स्कूल आफ इण्डियन म्यूज़िक, बम्बई	२,५००
८. सौराष्ट्र संगीत नाटक अकादमी, राजकोट	५,०००
९. दर्पण, अहमदाबाद	१०,०००
१०. गुजरात नाट्य मण्डल, बम्बई	१८,५००
११. महाराष्ट्र कलोपासक, पूना-२	२,५००

(ख) और (ग). विषय विचाराधीन है ।

बम्बई में समाज कल्याण विस्तार परियोजनायें

†१३५०. **श्री पांगरकर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई राज्य में १९५९–६० में अब तक समाज कल्याण विस्तार परियोजनाओं और सामाजिक एवं नैतिक सदाचार एवं 'बाद की देखभाल' कार्यक्रमों के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** बताया जाता है कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड और सामुदायिक विकास मंत्रालय द्वारा बम्बई की समाज कल्याण विस्तार परियोजनाओं के लिये १९५९–६० में अब तक १२,९१,३९५ रुपये (बारह लाख इक्यानवे हज़ार तीन सौ पच्चानवे) दिये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

२. जहां तक सामाजिक तथा नैतिक सदाचार 'बाद की देखभाल कार्यक्रम' का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सहायता जारी करने के बारे में सरकार की विद्यमान प्रक्रिया यह है कि भुगतान पहली तीन तिमाहियों के वास्तविक व्यय और चौथी तिमाही के प्राक्कलित व्यय के आधार पर वित्तीय वर्ष की आखिरी तिमाही में मंजूर किया जायेगा। १९५९-६० के कार्यक्रम के लिये केन्द्रीय सहायता राशि ४ लाख रुपये आवंटित की गई है।

बम्बई के छात्रों के लिये छात्रावास

†१३५१. **श्री पांगरकर :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में अब तक बम्बई में छात्रों के लिये छात्रावास बनाने पर भारत सरकार ने कितना धन व्यय किया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** ४४,५९,००० रुपये।

दिल्ली विश्वविद्यालय

†१३५२. **श्री राम जी वर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली की उन गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाओं को मान्यता देने के पक्ष में नहीं है जो कालेज न जाने वाली महिलाओं और यहां तक कि विनियमित महिला छात्राओं को शिक्षा देती हैं ;

(ख) इन छात्रों के अध्ययन में सुविधा देने के लिये और क्या वैकल्पिक उपाय किये जा रहे हैं ; और

(ग) क्या उनकी शिक्षा की व्यवस्था करने के लिये नये कालेज खोलने का विचार है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी हां।

(ख) महिला (कालेज न जाने वाली) शिक्षा मंत्रणा बोर्ड ने, जो कालेज न जाने वाली महिला छात्रों की पढ़ाई का प्रबन्ध करने के लिये उत्तरदायी है, १९५७ से प्रवेशिका[1] और बी० ए० प्रथम वर्ष की कक्षाओं के छात्रों के लिये सांध्य कक्षाओं की व्यवस्था की है। चूंकि छात्रों ने कक्षा में जाना आरम्भ नहीं किया, इस कारण बोर्ड ने पारिश्रमिक पर प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा सुविधाजनक समय में कुछ व्याख्यानों का प्रबन्ध किया है।

(ग) इस वर्ष नई दिल्ली में लड़कियों का एक नया कालेज खोला गया है। फिलहाल कोई और नया कालेज खोलने का विचार नहीं है।

पाकिस्तान को भेजा गया कोयला

†१३५३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जून से नवम्बर, १९५८ तक की तुलना में १९५९ में इन्हीं महीनों में पाकिस्तान को कुल कितने टन कोयला भेजा गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Preparatory.

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : जून से नवम्बर, १९५८ और १९५९ में पाकिस्तान को भेजे गये कुल कोयले की मात्रा निम्न प्रकार से थी :

	टन
१९५८ (जून से नवम्बर) . . .	५८१,१६७
१९५९ (जून से नवम्बर)* .	३२७,२२१

* नवम्बर, १९५९ के जो आंकड़े इसमें शामिल किये गये हैं वे अस्थायी हैं ।

प्रतिरक्षा सामान का आयात

†१३५४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ में अब तक कितने प्रतिरक्षा सामान का आयात किया गया ; और

(ख) इस सम्बन्ध में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिये क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) १९५९–६० में ३० सितम्बर, १९५९ तक विदेशों से लगभग २६.५१ करोड़ रुपये के कुल मूल्य का प्रतिरक्षा स्टोर खरीदा गया था ।

(ख) देश को आत्म-निर्भर बनाने के लिये की गई अथवा की जाने वाली कार्रवाई को बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

विदेश से खरीदे गये प्रतिरक्षा सामान की सूची की बराबर छान-बीन टेक्निकल प्राधिकारियों द्वारा इसलिये की जाती है कि क्या यह सामान देश में तैयार किया जा सकना संभव होगा और आयात में कमी हो सकेगी । ऐसी प्रक्रिया लागू कर दी गई है जिस से विदेश को कोई भी वस्तु-आदेश भेजने से पहले इस बात का सुनिश्चय कर लिया जाता है कि क्या इसका उत्पादन देश में होने की कोई संभाव्यता है । आयुध कारखानों में जितना माल तैयार होता है उस सबका इस्तेमाल हो जाता है और उत्पादन में प्रावस्थावद्ध कार्यक्रम के अनुसार आधुनिकीकरण / विद्यमान मशीनों में तब्दीली करके वृद्धि की जा रही है । देश के भिन्न-भिन्न भागों में जो गवेषणा और विकास एवं उत्पादन तथा निरीक्षण संस्थान स्थापित हैं वे ग़ैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों से उनकी उत्पादन क्षमता और प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं को पूरी करने की दृष्टि से उत्पादन को बढ़ाने में सहायता देने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिये उन से घनिष्टतम सम्पर्क बनाये रखते हैं । प्रतिरक्षा स्टोरों के विशेष विवरण पर भी लगातार ध्यान रखा जाता है जिस से उनमें रूप भेद किया जा सके और उनके स्थान पर दूसरे सामान का उपयोग किया जा सके जिससे देश में बने सामान का इस्तेमाल हो सके और देश में इस प्रकार के स्टोर का और अधिक विकास भी हो सके । जब कभी विदेश से नया सामान खरीदा जाता है तो संभरण कर्ताओं द्वारा निर्माण लाइसेंस की मंजूरी के लिये संविदा में उपयुक्त शर्तें रख दी जाती हैं । इस प्रबन्ध के अन्तर्गत अनेक नई परियोजनाओं ने पहले ही से उत्पादन आरम्भ कर दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान के लिये पवन चक्कियां

†१३५५. **श्री कर्णीसिंहजी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक गवेषणा-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ऊंचे स्थानों पर सिंचाई करने के काम के लिये वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद द्वारा नये ढंग की बनाई गई पवन चक्कियों का राजस्थान के रेगिस्तान इलाकों में इस्तमाल करने का कोई विचार है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उप मंत्री (डा० म० मो० दास)** : राजस्थान के कुछ भागों में हवा के वेग का सर्वेक्षण किया गया है और यह निश्चित पता लग गया है कि जोधपुर प्रदेश में इसकी संभाव्यता विद्यमान है हवा से चलने वाली चक्कियों को लगाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

दिल्ली स्कूलों में पाठ्य पुस्तकें

†१३५६. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली सरकारी सहायता प्राप्त और निगम के स्कूलों की सभी कक्षाओं के सारे विषयों की पाठ्य पुस्तकें निर्धारित हो गई हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ स्कूलों में उन पुस्तकों से पढ़ाई होती है जिनको पाठ्य पुस्तकें नहीं माना गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) दिल्ली के स्कूलों में पाठ्य-पुस्तकें निर्धारित करने के संबंध में निम्न प्रक्रिया लागू है :—

(१) **प्राइमरी और मिडिल कक्षायें (कक्षा १ से ८)**

इन कक्षाओं में पढ़ाये जाने वाले सभी विषयों के लिये पाठ्य-पुस्तकें शिक्षा निदेशालय द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

(२) **उच्च तथा उच्चतर माध्यनिक कक्षायें (९ से ११)**

(क) विशिष्ट पाठय-पुस्तकें निम्न विषयों के लिये निर्धारित की जाती हैं : —

(१) अंग्रेजी

(२) आधुनिक भारतीय भाषायें, और

(३) प्राचीन भाषायें

(ख) अन्य विषयों के लिये '(विज्ञान और टेक्निकल विषयों को छोड़कर) पुस्तकें मंजूर की जाती हैं ।

(ग) विज्ञान और टेक्निकल विषयों के लिये न तो कोई पुस्तक निर्धारित की जाती है और न उसकी सिफारिश की जाती है किन्तु स्कूलों के अध्यक्ष को यह अधिकार होता है कि वह कोई भी ऐसी पुस्तक चुन सकता है जिस में सारा पाठ्य-क्रम आ जाता हो।

---

†तूल अंग्रेजी में

जहां तक प्राइमरी और मिडिल कक्षाओं का संबंध है, विद्यमान पाठ्य-क्रम के अनुसार पाठ्य-पुस्तकें पहले ही निर्धारित की जा चुकी हैं। बुनियादी और गैर-बुनियादी स्कूलों के लिये एक सम्मिलित पाठ्य-क्रम इस समय तैयार किया जा रहा है और उस पर अंतिम निर्णय हो जाने के पश्चात् नये पाठ्य-क्रम के अनुसार पाठ्य-पुस्तकें निर्धारित कर दी जायेंगी ।

जहां तक उच्चतर माध्यमिक स्कूलों का संबंध है, अंग्रेजी, आधुनिक भारतीय भाषाओं और प्राचीन भाषाओं के लिये पाठ्य-पुस्तकें पहले ही निर्धारित की जा चुकीं हैं। अन्य विषयों के बारे में जो स्थिति है वह उपर्युक्त (ख) और (ग) भाग की मद संख्या (२) में बताई गई जा चुकी है ।

(ख) जी नहीं, जहां तक मुझे विदित है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

व्यय-कर

†**१३५७. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९५९ से ३० नवम्बर, १९५९ तक (राज्यवार) व्यय–कर की हिसाब लगाई गई कुल राशि , वसूल की गई और बकाया राशि कितनी थी ; और

(ख) बकाया व्यय-कर वसूल करने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) व्यय-कर का हिसाब लगाने के परिणाम स्वरूप १ अप्रैल, १९५९ से ३१ अक्तूबर , १९५९ तक कुल मांग बढ़ कर ४१.७४ लाख रुपये हो गई थी। २९.४१ लाख रुपये की राशि को छोड़ कर जो कि वसूल की जानी थी इस काल में १२.३३ लाख रुपये जमा किये गए थे। ३० नवम्बर, १९५९ तक के राज्यवार आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं जो यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दिये जायेंगे ।

(ख) अक्तूबर, १९५९ में जो मांग हुई थी उस से बकाया राशि का पता लगता है । वर्ष के शेष महीनों में सामान्य रूप से उसके जमा हो जाने की आशा की जाती है किन्तु यदि आवश्यकता हुई तो जैसा कि अधिनियम में उपबन्ध है, वसूली के लिये कार्रवाई की जायेगी ।

यूनेस्को सचिवालय में भारतीय

†**१३५८. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनिस्को सचिवालय में कितने भारतीय पदाधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं ;

(ख) उक्त कार्यालय में किस देश के राष्ट्रजन सब से अधिक संख्या में नौकर हैं ;

और

(ग) भारतीयों एवं अन्य देशों के लोगों में कितने का अनुपात है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) सात ।

(ख) फ्रांस

(ग) यह अनुपात लगभग १:५० है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यिकीय सेवा

†१३५९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री ३१ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८१५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा की स्थापना करने के संबंध में अब तक कितनी प्रगति की गई है ?

†**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : दोनों सेवाओं के लिये प्रारूप नियम लगभग अन्तिम रूप से बन चुके हैं किन्तु संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से कुछ ब्योरे अभी तैयार किये जा रहे हैं । सारा ब्योरा अन्तिम रूप से तैयार हो जाने पर सेवाओं का गठन कर दिया जायेगा ।

प्रबन्ध में श्रमिकों का भाग लेना

†१३६०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत इलेक्ट्रानिक्स के प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग लेने की योजना जारी करने की वांछनीयता पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां ।

(ख) एक कार्य समिति जिस में प्रबन्धक और मज़दूरों के प्रतिनिधि बराबर-बराबर होंगे, कर्मचारी और मालिकों के बीच शान्ति बनाये रखने और अच्छे संबंध स्थापित करने के लिये बनाई गई है ।

वर्तमान प्रारम्भिक अवस्था और पुनर्गठन के समय प्रस्तावित कार्रवाई करने का उपयुक्त समय नहीं है किन्तु इस पर प्रबन्ध और सरकार दोनों ही निरन्तर पुनर्विचार कर रहे हैं ।

राष्ट्रमंडलीय शिक्षा सम्मेलन

†१३६१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने , जिसने हाल ही में लन्दन में हुए राष्ट्र मंडलीय शिक्षा सम्मेलन में भाग लिया था, वहां से वापस लौटने पर कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या २२]** ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दुष्कृति[1] में सरकार का दायित्व

†१३६२ { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **विधि** मंत्री ११ सितम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दुष्कृति में सरकार के दायित्व के सम्बन्ध में शेष राज्यों से उत्तर प्राप्त हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो दुष्कृति में सरकार के दायित्व सम्बन्धी विधि की परिभाषा निश्चित करने के सम्बन्ध में संसद् में विधेयक पुरःस्थापित करने के प्रश्न की क्या स्थिति है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) जी नहीं। तब से उन्हें स्मरण करा दिया गया है ।

(ख) मामले की अभी जांच की जा रही है। चूंकि अन्तर्ग्रस्त मामले ऐसे हैं जिन पर ध्यान से विचार करने की आवश्यकता है, अतः निर्णय करने में कुछ समय लगेगा ।

भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड

†**१३६३. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा विज्ञान संगठन को भारत इलेक्ट्रानिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड के निदेशालय से सम्बद्ध करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की स्थिति क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड और प्रतिरक्षा विज्ञान संगठन द्वारा डिजाइन और विकास कार्य में पर्याप्त समायोजन किया है। यह काम प्रतिरक्षा उत्पादन बोर्ड की विद्युत् विकास तालिका द्वारा किया जाता है इससे प्रतिरक्षा विज्ञान संगठन और भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड के निदेशालय और प्रबन्ध में पर्याप्त सम्पर्क स्थापित होना निश्चित हो गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रिपब्लिक फोर्ज कम्पनी, लिमिटेड

†**१३६४. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री १० अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रिपब्लिक फोर्ज कम्पनी लिमिटेड में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा १५ लाख डालर विनियोजन करने के सम्बन्ध में विधिक औपचारिकतायें पूरी करने के बारे में अब तक किस प्रकार की प्रगति की गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : सरकार ने कम्पनी को १५ लाख डालर अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम से ऋण लेने के प्रस्ताव पर अपनी औपचारिक स्वीकृति बता दी है। कम्पनी से पता

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Torts

चला है कि उस ने अभी तक अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम और उस के टेक्निकल सहयोगी, अमरीका की स्टील इम्प्रूवमेण्ट फ़ोर्ज कम्पनी से अन्तिम करार नहीं किया है ।

आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरण

†१३५६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **विधि** मंत्री १३ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरण को दृढ़ बनाने के प्रस्ताव की क्या स्थिति है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरण की एक अतिरिक्त बेंच बना दी गई है । यह कलकत्ता में स्थित है ।

दिल्ली में केन्द्रीय बुनियादी स्कूल

†१३६६. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री कोडियान :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **शिक्षा** मंत्री ५ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में एक केन्द्रीय बुनियादी स्कूल स्थापित करने के प्रस्ताव पर अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या स्थान का चुनाव किया जा चुका है; और

(ग) उसकी स्थापना करने के लिये किस प्रकार की कार्रवाई की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). जी नहीं । अब केन्द्रीय सहायता से ऐच्छिक संगठन के तत्वाधान में एक स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव है और इस विषय में गांधी स्मारक निधि (दिल्ली शाखा) से बात-चीत की जा रही है ।

साक्षरता

†१३६७. **श्री रा० च० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री च० का० भट्टाचार्य :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस वर्ष हुए सीमित सर्वेक्षण के अनुसार साक्षरता में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ख) महिलाओं में कितने प्रतिशत साक्षरता की वृद्धि हुई है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). इस वर्ष भारत में कोई भी साक्षरता का सीमित सर्वेक्षण नहीं किया गया है । १९६१ के लिये जनगणना की प्रश्नावली के प्रथम प्रारूप

---

†मूल अंग्रेजी में

की पूर्व-परीक्षा के परिणामों की सारणी से पता लगा है कि १९५१ की जनगणना में १६.६ प्रतिशत साक्षरता को तुलना में ४०.७ प्रतिशत हो गई है। महिलाओं की उपर्युक्त पूर्व-परीक्षा के परिणाम सम्बन्धी आंकड़े, जो उसी काल के हैं, ७.९ प्रतिशत के बजाय २८.८ प्रतिशत है। हां इन आंकड़ों से किसी भी प्रकार यह पता नहीं चलता कि वे सम्पूर्ण भारत के हैं अथवा किसी राज्य के हैं।

न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में विधि आयोग की सिफारिशें

†१३६८. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में विधि आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के बारे में कोई कार्यवाही की गयी है; और यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : वह रिपोर्ट बहुत बड़ी है और उस में अनेक सिफारिशें की गयी हैं और उन पर भारत सरकार राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों द्वारा विचार किया जाना है। उस पर पर्याप्त समय रलगेगा। वह रिपोर्ट सभी राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के पास भेज दी गयी है ताकि वे उस सम्बन्ध में अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करें। रिपोर्ट में एकीकृत विधिजीवी सभा के सम्बन्ध में जो बातें कही गयी थी, उन्हें विधि व्यवसायी विधेयक द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। आयोग ने दो प्रक्रिया संहिताओं के सम्बन्ध में संशोधन के जो सुझाव दिये हैं, वे उस आयोग को वापिस सौंप दिये गये हैं ताकि उन पर संहिताओं के सामान्य पुनरीक्षण के साथ ही साथ विचार किया जा सके और वह कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। यह भी विचार है कि आगामी विधि मंत्री सम्मेलन में रिपोर्ट की महत्वपूर्ण सिफारिशों पर चर्चा की जाये।

उड़ीसा राज्य में कुएं

†१३६९. **श्री वै० च० मलिक :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना की है कि अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये केन्द्र की ओर से प्रारम्भ की गयी योजनाओं के अधीन दी जाने वाली सहायता को बढ़ा कर २००० रुपये प्रति कुआं कर दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

जालसाजी निरोधी दस्ता[1]

†१३७०. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री पाणिग्रही :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १९ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ५५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर और अक्तूबर, १९५९ में जालसाजी निरोधी दस्ते ने समवाय विधि के कितने मामलों की जांच की थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Anti Fraud Squad.

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : इस अवधि में दस्ते द्वारा दो मामलों की जांच की गयी थी। कोई भी नया मामला दर्ज नहीं किया गया।

युद्ध सामग्री कारखानों में उत्पादन

†१३७१. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :
श्री पाणिग्रही :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९ में युद्ध सामग्री कारखानों में सैनिक और असैनिक दोनों प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो ये आंकड़े १९५८ की तुलना में कैसे हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, हां।

(ख) १९५९ के प्रारम्भिक आठ महीनों म (जनवरी से अगस्त तक) हुआ कार्य १९५८ की उक्त अवधि की तुलना में २५ प्रतिशत अधिक है।

बेकार सैनिक गाड़ियां

†१३७२. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :
श्री पाणिग्रही :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेकार पड़ी हुई सैनिक गाड़ियों की मरम्मत कर दी गयी है ;

(ख) यदि हां, कितनी गाड़ियों की मरम्मत की गयी है ; और

(ग) शेष कितनी गाड़ियों की मरम्मत करनी रह गयी है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). यह जानकारी देना लोकहित में नहीं है।

युद्ध सामग्री कारखाना, भण्डारा

†१३७३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ८ सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १२१९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भंडारा में एक युद्ध सामग्री कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). प्राथमिकता के आधार पर परियोजना की कार्यान्विति के संबंध में विभिन्न कार्यवाहियां की जा रही हैं।

परियोजना के ब्यौरों के संबंध में बताना लोकहित में नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

ताड़ी निर्माताओं की सहकारी समितियां

†१३७४. { **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :**
श्री पुन्नूस :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केरल के उत्पादन पदाधिकारियों ने अगस्त, और सितम्बर, १९५९ में फ्री टेक्स तथा बिक्री कर की वसूली होने में विलम्ब के कारण ताड़ी निर्माता सहकारी समितियों द्वारा चलायी जा रही ताड़ी की दूकानों को बन्द कर दिया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : जी, नहीं ।

पूंजी

†१३७५. **श्री मुरारका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास इस संबंध में कोई आंकड़े हैं कि सरकारी अनुमति के बिना ही कितनी पूंजी लगायी गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इस प्रकार से कुल कितनी राशि लगायी गयी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, हां ।

(ख) गत तीन वर्षों के संबंध में आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

	लाख रुपये
१९५६–५७ .	८९९.२७
१९५७–५८ . . .	९०९.१२
१९५८–५९	९५६.२२

युद्ध सामग्री कारखानों में अप्रयुक्त रेशमी कपड़ा

†१३७६. **श्री मुरारका** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि युद्ध सामग्री कारखानों में २४ लाख रुपयों से अधिक कीमत की वस्तुएं जिनमें रेशमी कपड़ा भी सम्मिलित है, गत ७ वर्षों से बिना किसी इस्तेमाल के पड़ी हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ;

(ग) वे वस्तुएं किस परिस्थितियों में मंगवायी गयी थीं ; और

(घ) उन्हें काम में लाने के लिये क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) से (घ). संभवतः माननीय सदस्य प्रतिरक्षा सेवाओं की १९५९ की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के पैरा २९ में उल्लिखित सामग्री के संबंध में पूछा रहे हैं । यह सच है कि १९५० से १९५४ तक कुछ किस्मों के पैराशूट बनवाने के लिये लगभग २४ लाख रुपये का कच्चा सामान मंगवाया गया था । परन्तु कुछ एक प्रविधिक कठिनाइयों के कारण पैराशूटों के निर्माण में विलम्ब हो गया था । स्वदेशी पैराशूटों के संबंध में अन्तिम परीक्षण गत वर्ष कर लिया गया था और उसके बाद उनका निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया है । उनके निर्माण में १७ लाख रुपयों से अधिक का सामान इस्तेमाल किया जायेगा ।

शेष सामान अन्य प्रयोजनों के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है या किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशों में भारतीय पांडु लिपियां

†१३७७. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा उन भारतीय दुलर्भ तथा प्राचीन पांडु लिपियों की प्रतिलिपियां प्राप्त करने का प्रयत्न किया है, जोकि अन्य देशों द्वारा रक्षित की गयी हैं, परन्तु वे भारत में उपलब्ध नहीं हैं, और

(ख) यदि हां, तो उन प्रयत्नों का क्या परिणाम निकला है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर):** (क) और (ख). जब भी सरकार का ध्यान इस प्रकार के दुर्लभ तथा प्राचीन पांडुलिपियों की विद्यमानता की ओर आकृष्ट किया जाता है, उन्हें प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किया जाता है और सामान्यतया वे पांडु लिपियां बिना अधिक कठिनाई के प्राप्त हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न विश्वविद्यालय, शिक्षा संस्थायें तथा विभिन्न विद्वान अपने प्रयत्नों से भी इस प्रकार की सामग्री की प्रतिलिपियां प्राप्त करते रहते हैं, परन्तु उनका रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। उसका रिकार्ड तैयार करने में जितना समय और परिश्रम लगेगा उसके अनुरूप इससे लाभ नहीं होगा।

दिल्ली नगर निगम का नया हेडक्वार्टर

†१३७८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री ५ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १३७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राम लीला मैदान के निकट दिल्ली नगर निगम का नया हेडक्वार्टर बनाने की प्रस्थापना को अन्तिम रूप देने में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** फोर्ड फाउंडेशन दल द्वारा तैयार किया गया डिजाइन बहुत महंगा था, इसलिये अब दूसरा डिजाइन तैयार किया जा रहा है। डिजाइन के तैयार होते ही आवश्यक प्राक्कलन तैयार कर लिया जायगा। परन्तु सम्पूर्ण कार्य को कुछ एक प्रावस्थाओं में पूरा किया जायगा। आशा है कि सम्पूर्ण निर्माण कार्य १९६३ के अन्त तक पूरा होगा।

हिन्दी विश्वकोष

†१३७९. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री कालिका सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री ५ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १५३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिन्दी विश्वकोष के संकलन तथा प्रकाशन के संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में और कितनी सहायता दी गयी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख). एक विवरण सम्बद्ध है।

विवरण

(क) ५ अगस्त, १९५९ को लोक सभा में तारांकित प्रश्न संख्या १५३ का उत्तर दिये जाने के बाद नागरी प्रचारणी सभा के इस कार्य में और भी प्रगति हुई है। जुलाई से नवम्बर, १९५९ तक खंड १ के लिये ३६५ और लेख सम्पादित किये गये हैं और उनकी प्रेस कापी तैयार की गयी है। आवश्यक चित्र और ब्लाक भी तैयार कर लिये गये हैं।

खंड २ से १० तक के मानव शास्त्रों और भाषा-साहित्य के सेक्शनों में जिन विषयों के लेखों को सम्मिलित करना है, उनकी सूची भी तैयार कर ली गयी है। इन लेखों के लेखकों के नामों की सूची तैयार की जा रही है।

(ख) जुलाई से नवम्बर, १९५९ तक सभा को ५०,००० रुपयों की राशि दी गयी है।

विश्वविद्यालयों में हॉबी वर्कशाप[1]

†**१३८०. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री ५ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १५४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में 'हाबी वर्कशाप' स्थापित करने के संबंध अभी तक में कितनी प्रगति हुई है?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : एक विवरण सम्बद्ध है।

विवरण

बड़ौदा तथा विश्वभारती विश्वविद्यालयों से प्राप्त हुई योजनाओं को मंजूर कर लिया गया है।

विभिन्न विश्वविद्यालयों को इन योजनाओं की कार्यान्विति के लिये दिये गये अनुदानों के आंकड़े इस प्रकार से हैं :—

	रुपये
१. बड़ोदा	८,०००
२. नागपुर	५,०००
३. सागर	३,७४०
४. विश्वभारती	७,०००

दिल्ली रुड़की और कलकत्ता विश्वविद्यालयों की योजनायें अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है।

आयोग ने निम्नलिखित विश्वविद्यालयों से ३९ ऐसे कालेजों को चुना है जो कि 'हाबी वर्कशापों' की योजना की कार्यान्विति की दृष्टि से उपयुक्त शर्तें पूरी करते हैं :—

१. आगरा

२. आंध्र

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Hobby workshops.

३. बम्बई

४. कलकत्ता

५. दिल्ली

६. गौहाटी

७. गुजरात

८. गोरखपुर

९. केरल

१०. मद्रास

११. मैसूर

१२. नागपुर

१३. पंजाब

१४. पूना

१५. राजस्थान

१६. सागर

१७. एल० बी० विद्यापीठ

आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों से निवेदन किया है कि वे अपने अपने कालेजों से आवश्यक योजनायें तथा प्राक्कलन और उनकी कार्यान्विति के लिए आवश्यक आवर्तक तथा अनावर्तक खर्च के ब्यौरे प्राप्त कर लें और उन्हें आयोग के पास भेज दें। उनके उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

सिंगरेनी कोयला

†१३८१. **श्री यांगरकर**: क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंगरेनी कोयला खान के डिपुओं में घटिया दर्जे का कोयला बड़ी मात्रा में पड़ा हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस कोयले को इस्तेमाल करने और स्टाक को समाप्त करने के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) जी हां, । वह कोयला घटिया दर्जे का है। और हाल के कुछ मासों में उसका स्टाक लगभग ४०,००० टन तक रहा है।

(ख) कोयला कण्ट्रोलर यह प्रयत्न कर रहा है कि 'बेसिन ब्रिज' तथा कोला के बिजली घर तथा मेसर्ज एसोसियेटिड सीमेंट कम्पनी लिमिटेड यह कोयला अधिक मात्रा में लें। मद्रास, बम्बई और आन्ध्र प्रदेश के कोयला कण्ट्रोलरों को सलाह दी गायी है कि वे इस कोयले के अधिक से अधिक तदर्थ कोटे जारी करें। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में भी कार्यवाही की जा रही है जिससे उपभोक्ताओं तक कोयला पहुंचाने के लिए अधिक से अधिक माल डिब्बे उपलब्ध किये जा सकें।

---

†मूल अंग्रेजी में

केरल के सरकारी स्कूलों में शुल्क

†१३८२. { **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :**
श्री पुन्नूस :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के सरकारी स्कूलों में इस शिक्षात्मक वर्ष से विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस में कुछ वृद्धि कर देने का कोई विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी,

(ग) क्या इस सम्बन्ध में विद्यार्थियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : केरल सरकार से इस सम्बन्ध में जानकारी मांगी गयी है ।

शाहदरे का बांध

†१३८३. **श्री मोहम्मद इलियास** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहदरे के बांध के अन्दर के ग्रामों के निवासियों को नये शेरपुर में भेज दिया गया है ।

(ख) यदि हां, तो कितने परिवारों को भेज दिया गया है ; और

(ग) उन्हें कितनी वित्तीय सहायता दी गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी, हां । केवल पुराने बिहारीपुर और शेरपुर के निवासियों को नये शेरपुर में भेजा गया है ।

(ख) १६८ ।

(ग) ४०,४५० रुपये ।

नियमित अस्थायी कर्मचारी वर्ग की सूची में ग्रेड १ के क्लर्कों का कोटा

†१३८४. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नियमित अस्थायी कर्मचारी वर्ग के असिस्टेंटों की सूची में ग्रेड १ के क्लर्कों के लिए केवल ५० प्रतिशत का कोटा निर्धारित किया गया है ।

(ख) क्या नियमित अस्थायी कर्मचारी वर्ग के असिस्टेंटों की पहली सूची में ग्रेड १ के क्लर्कों, अर्द्धस्थायी असिस्टेंटों और दूसरी परीक्षा में पास होने वाले असिस्टेंटों को क्रमशः ४:३:१ के अनुपात में रखा गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या सच है कि जब कि सभी अर्द्ध-स्थायी असिस्टेंटों और पास होनेवाले असिस्टेंटों को नियमित अस्थायी कर्मचारी वर्ग के असिस्टेंटों की तृतीय सूची में सम्मिलित कर दिया गया है ; ग्रेड १ के स्थायी क्लर्कों को उस सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी नहीं । नियमित अस्थायी कर्मचारी वर्ग के असिस्टेंटों की नियुक्ति के लिए ग्रेड १ के स्थायी क्लर्कों के लिए केवल २५ प्रतिशत स्थान रक्षित किये गये हैं ।

(ख) माननीय सदस्य का ध्यान ६-१२-५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११६६ के भाग (ग) और (घ) के उत्तर की ओर आकृष्ट किया जाता है । क्योंकि केन्द्रीय सचिवालय क्लर्क सेवा केवल १-५-५४ से ही प्रारम्भ हुई थी, और जिस समय नियमित अस्थायी कर्मचारी वर्ग के असिस्टेंटों की प्रारम्भिक सूची तैयार की गयी थी, उस समय यह सेवा प्रारम्भ ही नहीं हुई थी, इस लिय उस समय ग्रेड १ के स्थायी क्लर्कों के लिये एक अलग कोटा निर्धारित करने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं हुआ था । असिस्टेंटों की दूसरी सूची में ५० प्रतिशत स्थानों पर ग्रेड १ के स्थायी क्लर्कों, अर्द्धस्थायी असिस्टेंटों और दूसरी परीक्षा में पास होने वाले असिस्टेंटों को ४:३:१ के अनुपात में नियुक्त किया गया और शेष ५० प्रतिशत स्थानों पर विभागीय परीक्षा में पास होने वाले असिस्टेंटों को नियुक्त किया गया । इस प्रकार से दूसरी सूची में २५ प्रतिशत स्थान ग्रेड १ के स्थायी क्लर्कों के लिए निर्धारित किये गये हैं ।

(ग) और (घ). तृतीय सूची में सभी अर्द्धस्थायी असिस्टेंटों तथा वित्तीय परीक्षा में पास होने वाले असिस्टेंटों को सम्मिलित किया गया है । इस तृतीय सूची में ग्रेड १ के स्थायी क्लर्कों के लिए भी २५ प्रतिशत स्थान निर्धारित किये गये हैं ।

पी० एल० ४८० के अधीन ऋण

†१३८५. **पण्डित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक विकास की विशेष योजनाओं के लिए पी० एल० ४८० के अन्तर्गत प्राप्त ऋणों के खर्च करने में सरकार का भी कोई हाथ होता है ;

(ख) यदि हां, तो किस किस मद पर यह राशि खर्च की गयी है;

(ग) क्या यह सच है कि निर्यात-आयात बैंक में इस खाते में जो धन जमा है उसका उपयोग नहीं किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, हां । योजनायें भारत सरकार द्वारा चुनी जाती हैं, और उनके बारे में निर्णय अमरीकी प्राधिकारियों के परामर्श से किया जाता है ।

---

†म न अंग्रेजी में

(ख) १७ परियोजनाओं के सम्बन्ध में करार हो गया है और उन पर १४६.२६ करोड़ रुपयों का खर्च आयेगा। अभी तक निम्नलिखित परियोजनाओं के सम्बन्ध में १४.८ करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं :—

परियोजना	राशि
	रुपये
पुनर्वित्त निगम	५,००,००,०००
चम्बल परियोजना	४,०६,४२,८००
हीराकुड परियोजना	१९,२३,८४२
कोसी परियोजना	२,२०,६०,०००
कुंडाजल विद्युत् परियोजना	१,७२,८२,४१९
कोयना जल विद्युत परियोजना	१,६१,४४,१४९
योग	१४,८०,५३,२१०

(ग) और (घ). अमरीका का निर्यात आयात बैंक अमरीकी व्यापारिक फर्मों और उनकी सम्बद्ध भारतीय फर्मों को ऋण पी० ल० ४८० के कूले संशोधन के अधीन देता है। बैंक द्वारा अभी तक केवल १० लाख रुपयों का एक ऋण मंजूर किया गया है। इसके लिए चुने जाने वाले फर्म वे होने चाहिएं जिनके लिए भारत सरकार और बैंक दोनों राजी हों। स्वीकृत प्रक्रिया के अनुसार जिसकी फर्म को ऋण की आवश्यकता हो, उसे बैंक को आवेदन-पत्र भेजना पड़ता है। जिस भी फर्म को बैंक राशि देना चाहता है उसके बारे में वह भारत सरकार से परामर्श ले लेता है। उस कार्य के लिए गैर सरकारी फर्मों को ऋण के लिए आवेदन-पत्र भेजना पड़ता है बैंक उस पर विचार करता है और अन्त में भारत सरकार उस सम्बन्ध में परामर्श देती है।

थल-वायु युद्ध कर्म स्कूल[1]

†१३८६. **श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिकन्दराबाद के थल-वायु युद्ध कर्म स्कूल पर कितना वार्षिक खर्च आयेगा ;

(ख) इस समय भारत में इस प्रकार के कितने स्कूल हैं और कितने और स्कूल चलाये जायेंगे ; और

(ग) क्या ये स्कूल इंगलैंड के स्कूलों के माडल पर स्थापित किये जायेंगे या इनमें कोई और विशेषतायें भी हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) लगभग ४.४ लाख रुपये।

(ख) भारत में यह अपनी किस्म का एक ही स्कूल है। फिलहाल तो और कोई भी स्कूल स्थापित करने का कोई विचार नहीं है।

(ग) यह स्कूल इगलैंड के एक स्कूल के माडल पर ही बनाया गया है।

†मूल अंग्रजी में

[1]Land Air Warfare School.

अन्तःग्रह राकेट[1]

†१३८७. **श्री प्र० चं० बरुआ** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार अन्तरीक्ष की खोज तथा अन्तःग्रह राकेटों के सम्बन्ध में अन्य उन्नत देशों के सहयोग से अनुसन्धान-कार्य का कोई विचार रखती है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिकीय वर्ष के भारतीय कार्यक्रम के भाग के रूप में नैनीताल की वेधशाला में स्मिथसोनियम वेधशाला, अमरीका, द्वारा ऋण के रूप में दिये गये 'बेकर-नन कैमरे' से रूसी तथा अमरीकी उपग्रहों की खोज की गयी है । अन्तःग्रह राकेटों के सम्बन्ध में किसी और देश के सहयोग से कार्य करने का फिलहाल कोई कार्यक्रम नहीं है ।

पैट्रोलियम इंस्टीट्यूट

†१३८८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की स्थापना के सम्बन्ध में इस समय क्या स्थिति है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् की गवर्निंग बाडी ने १७ अक्तूबर, १९५९ को हुई अपनी बैठक में पैट्रोलियम इंस्टीट्यूट स्थापित करने की योजना को मंजूर कर दिया है । उसके व्यौरे अभी तैयार नहीं हुए हैं वह काम बाकी है ।

इम्फाल के डी० एम० कालिज में बी० टी० का कोर्स

†१३८९. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल के डी० एम० कालिज ने बी० टी० कोर्स के लिए एक पृथक् विभाग खोल दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य के लिए शिक्षकों को नियुक्त कर दिया गया है ; और

(घ) डी० एम० कालिज में इस समय कितने पूर्णकालिक लेक्चरार हैं और कितने अंशकालिक लेक्चरार हैं ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) पूर्ण कालिक—३ लेक्चरार

अंश-कालिक—६ लेक्चरार

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Inter-planetary Rockets,

पुलिस कर्मचारियों को आवास-स्थान

†१३९०. **श्री बै० च० मलिक :**
श्री रामजी वर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पर लागू पंजाब पुलिस नियमों के अनुसार सब विवाहित 'अपर सबोर्डिनेटस' और ४१% लोअर सबोर्डिनेट्स को आवास-स्थान देना पड़ता है ;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकांश पुलिस कर्मचारियों को आवास-स्थान नहीं दिया गया है ; और

(ग) आवास-स्थान देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी नहीं । यथासम्भव अधिकाधिक व्यक्तियों को पारिवारिक आवास-स्थान दिये जाते हैं ।

(ख) अधिकांश 'अपर सबोर्डिनेट्स' को आवास-स्थान दे दिया गया है । ऐसे पुलिस कर्मचारियों को, जो मुफ्त आवास-स्थान के अधिकारी हैं, और जिनको अभी आवास-स्थान नहीं दिया गया है, मकान किराया भत्ता दिया जाता है ।

(ग) कुछ आवास-स्थान बनाये जा रहे हैं और अतिरिक्त मकानों के लिए एक कार्यक्रम बनाया जा रहा है ।

केरल में कालिजों के अध्यापक

†१३९१. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री वें० प० नायर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में प्राइवेट कालिजों के अध्यापकों के वेतन-क्रम विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन-क्रमों के बराबर भी नहीं हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि केरल में प्राइवेट कालिजों में न्यूनतम वेतनों में अन्तर है ;

(ग) क्या सेवा की शर्तों, सेवा की सुरक्षा और सेवा-निवृत्ति वयस के बारे में प्राइवेट कालिजों में एक से नियम हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो समानता बनाने में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ). इस बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है । जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जावेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नार्थ और साउथ एवेन्यू में चोरियां

†१३९२. **श्री पांगरकर :**
श्री वै० च० मलिक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली अन्तः सत्र अवधि में साउथ और नार्थ एवेन्यू में कितनी चोरियां हुयीं ; और

(ख) चोरियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क)

साउथ एवेन्यू—२

नार्थ एवेन्यू—कोई नहीं ।

(ख) साउथ और नार्थ एवेन्यू के क्षेत्रों को चार खंडों में विभाजित कर दिया गया है और हर खंड में पुलिस दिन-रात गश्त लगाती है । अनधिकृत फेरी वालों को इन क्षेत्रों में घूमने नहीं दिया जाता है और उन पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है ।

बांडुंग में यूनेस्को सम्मेलन

†१३९३. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनेस्को और इन्डोनेशियाई विज्ञान परिषद द्वारा संयुक्त रूप से पुरस्कृत दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन दिसम्बर, १९५९ में बांडुंग में हो रहा है ;

(ख) इसमें भारत से कितने वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं ; और

(ग) क्या इन वैज्ञानिकों को भारत सरकार भेजेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) एक ।

(ग) जी, नहीं ।

केन्द्रीय सचिवालय में अनुसूचित जाति के सेक्शन आफ़िसर

†१३९४. **श्री सूर्य प्रसाद** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अनुसूचित जातियों के कितने सेक्शन आफिसर हैं ; और

(ख) क्या इन पदाधिकारियों को इस श्रेणी में पदोन्नति के लिए, गृह-मंत्रालय के आदेशों के अधीन, अर्हता सम्बन्धी कोई छूट दी गयी थी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) ऐसे पदाधिकारियों की कुल संख्या ५१ है । इनमें से ११ द्वितीय श्रेणी में हैं और ४० तृतीय श्रेणी में ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अनुसूचित जातियों के पदाधिकारियों की पदोन्नति के सब मामलों में छूट दी जाती है ।

पंजाब में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण

†१३९५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में वर्ष १९५९-६० में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए आवंटित धनराशि में से कितना धन खर्च किया गया है ; और

(ख) १९५८-५९ और १९५९-६० में अब तक किन योजनाओं पर धन खर्च किया गया ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २३]**

(ख) धन निम्नलिखित योजनाओं पर खर्च किया गया :—

१. छात्रवृत्तियां और फीस का वापस देना
२. प्रविधिक शिक्षा
३. मिलों/कारखानों में शिक्षा
४. आवास और मकानों के स्थान
५. सामुदायिक केन्द्र
६. प्रचार
७. कानूनी सहायता
८. कृषि
९. उद्योग
१०. नर्सों और दाइयों का प्रशिक्षण
११. भूमि की खरीद के लिए राज-सहायता
१२. शालिहोत्री
१३. पंचायतें
१४. चिकित्सा
१५. स्वच्छता
१६. सड़कें तथा पुल
१७. पीने के पानी के कुएं
१८. वनों का विकास
१९. सिंचाई का विकास
२०. सहकारी समितियां ।

†मूल अंग्रेजी में

आवारा लोगों को पुनर्वास

†**१३९६. श्री न० म० देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में आवारा लोगों को पुनर्वासित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : द्वितीय योजनाकाल में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को आवारा लोगों और भिखारियों की समस्या को सुलझाने के लिये अनुमोदित योजनाओं पर आवर्ती व्यय के ५० प्रतिशत तक सहायता देने का फैसला किया है ।

गढ़वाल और अल्मोड़ा के टैक्टानिक्स का अध्ययन

१३९६. श्री भक्त दर्शन : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ११ सितम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री जेम्स एफ० सेट्ज ने, जिन्होंने हिमालय के टेक्टानिक्स (बनावट) का अध्ययन करने के लिये गढ़वाल और अल्मोड़ा का दौरा किया था, इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट दे दी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी पूरी रिपोर्ट अथवा उसकी मुख्य-मुख्य बातों का विवरण टेबल पर रखेंगे ; और

(ग) उसकी सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) और (ख). जी, नहीं । रिपोर्ट का एक संक्षिप्त सारांश भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग के वार्षिक रिकार्ड्ज तथा मेमोयरज (Memoirs) मेंशामिल किया जायेगा जो कि यथासमय प्रकाशन किये जायेंगे । इस प्रकार के प्रकाशनों की प्रतिलिपियां संसद् के पुस्तकालय को हमेशा भेजी जाती हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है ।

खोये हुये व्यक्तियों को ढूंढने वाला दस्ता

†**१३९८. श्री राम गरीब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में खोये हुए व्यक्तियों को ढूंढने का दस्ता कब बनाया गया था ;

(ख) दस्ते में (श्रेणी-वार) कितने कर्मचारी नियोजित हैं ;

(ग) (प्रति-वर्ष) कितने मामलों में खोये हुए व्यक्तियों को ढूंढने वाले दस्ते को सहायता के लिये बुलाया गया ;

(घ) इस दस्ते को कितने मामलों में सफलता मिली ; और

(ङ) कितने खोये हुए व्यक्तियों का पता नहीं लगाया जा सका ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) खोये हुए व्यक्तियों को ढूढ़ने का दस्ता पहली जनवरी, १९५७ को बनाया गया था ।

(ख) से (ङ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २४]**

रूस की प्राच्य संस्कृति संस्था

†**१३९९. श्री प्र० गं० देव** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में रूस की प्राच्य संस्कृति संस्था के एक दल ने दिल्ली का दौरा किया ;

(ख) यदि हां, तो इस दल ने भारत के और किन स्थानों का दौरा किया ; और

(ग) उनके दौरे का क्या प्रयोजन था ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) से (ग). सरकार को इस बा में कोई जानकारी नहीं है ।

नय शेरपुर गांव में बनाये गये मकान

†**१४००. श्री सै० अ० मेहदी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में शेरपुर गांव में सरकार द्वारा बनाये गये सब नये मकान क्षतिग्रस्त हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की कोई जांच की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रूस और अमरीका से इस्पात का आयात

†**१४०१. श्री सै० अ० मेंहदी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ में अब तक रूस और अमरीका से कुल कितने इस्पात का आयात किया गया ; और

(ख) इस पर कितना धन खर्च हुआ ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) अक्तूबर, १९५९ तक रूस और अम ीका से क्रमशः १,९३,३२१ टन और २०,५७२ टन इस्पात का आयात किया गया ।

(ख) १०·७ करोड़ रुपये ।

---

†मूल अंग्रजी में

लोहे और इस्पात का आयात

†१४०२. **श्री पाणिग्रही :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में कुल कितने लोहे और इस्पात का आयात किया गया और भारत ने इस्पात किन देशों से आयात किया ;

(ख) क्या १९५८-५९ में आयात किया गया सारा इस्पात विश्वव्यापी टेंडरों द्वारा किया गया ;

(ग) यदि नहीं, तो आयात किये गये स्पात का मूल्य किस प्रकार निर्धारित किया गया ; और

(घ) देश में इस समय आयात किया गया कितना इस्पात बिना इस्तेमाल किया हुआ पड़ा है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २५]**

(ख) जी, नहीं । आयात आंशिक रूप से विश्वव्यापी टेंडरों द्वारा किया गया और आंशिक रूप से अन्य प्रकार से ।

(ग) जिन मामलों में खरीद टेंडरों द्वारा नहीं की गयी, उनके मूल्य बातचीत द्वारा निर्धारित किये गये ।

जहां तक गैर-सरकारी खाते पर आयात का सम्बन्ध है, आयातकर्त्ता आयात के समय चालू मूल्य पर भुगतान करते हैं ।

(घ) भंडार में लगभग १४,००० टन ।

दिल्ली में पुलिस कण्ट्रोल रूम

†१४०३. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में एक कन्ट्रोल रूम स्थापित किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयास से दिल्ली में अपराधों में अत्यधिक कमी करने में सफलता मिली है ; और

(ग) इस पर कितना धन खर्च किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) और (ख). २७ नवम्बर, १९५९ को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया था और इसने लाभदायक कार्य करना आरम्भ कर दिया है ।

(ग) कोई अतिरिक्त व्यय नहीं किया गया है क्योंकि दिल्ली पुलिस में से ही कर्मचारियों को ले लिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

शस्त्रास्त्रों का समर्पण

१४०४. श्री ले० अचौ सिंह : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में मोरे से एक बड़ी संख्या में शस्त्रास्त्रों का समर्पण हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो अस्त्रों की क्या संख्या है और वे कौन से अस्त्र हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें मनीपुर में मोरे से हाल ही में प्राप्त शस्त्रास्त्रों की संख्या और उनका स्वरूप बताया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २६]**

स्थगन प्रस्ताव

हैदराबाद में विस्फोट

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे श्री स० मो० बनर्जी से १३ दिसम्बर को बेगम बाजार, हैदराबाद में बारूद के विस्फोट के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है । उन्होंने लिखा है कि इस विस्फोट के परिणामस्वरूप १५ व्यक्तियों के चोट आई और सात व्यक्ति मारे गये । माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि इसके सम्बन्ध में केन्द्र की क्या जिम्मेदारी है । ऐसा ही एक विस्फोट आसनसोल में. . . .

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** मुझे सभा को सूचित करते हुए बड़ा खेद है कि कल हैदराबाद नगर में बड़ा गम्भीर विस्फोट हुआ जिसके कारण कितने ही व्यक्ति मर गये ।

रविवार, १३ दिसम्बर, १९५९ को हैदराबाद के बेगम बाजार में हुए विस्फोट के बारे में जानकारी मालूम करने के लिए आज आन्ध्र प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, नागपुर में विस्फोटक पदार्थों के मुख्य निरीक्षक, मद्रास के विस्फोटक पदार्थ निरीक्षक और हैदराबाद के जिलाधीश व पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट को टेलीफोन किया गया था ।

ज़िलाधीश ने यह बताया कि लगभग ८ बजे सुबह एक दो मंजिले पुराने मकान में विस्फोट हुआ जिसके फलस्वरूप मकान गिर गया । तुरन्त ही पुलिस, फायर ब्रिगेड सहित वहां पहुंची और उन्होंने मलबे में से ५ लाशों को निकाला । इन पांच में दो स्त्रियां, दो पुरुष तथा एक बालक थे । दुर्घटना के कारण सत्रह व्यक्तियों के चोटें आईं, जिनको अस्पताल ले जाया गया । पुलिस कमिश्नर ने विस्फोटक पदार्थ मुख्य निरीक्षक को टेलीफोन पर बताया है कि चोट गम्भीर प्रकार की नहीं आई है । मकान के जिस हिस्से की हालत ठीक नहीं थी उसको गिरा दिया गया और ज़िला-आधिकारियों के आदेश से मलबे को हटाया जा रहा है । पुलिस कमिश्नर द्वारा की गई प्रारम्भिक जांच से पता चलता है कि उस मकान में ९ परिवार रहते थे । विस्फोट के ठीक-ठीक कारणों

---

†मूल अंग्रेजी में

का अभी कोई पता नहीं लगा है। विस्फोटक पदार्थ निरीक्षक ज्यूंही हैदराबाद पहुंचेंगे, कारणों की जांच करेंगे। १३ दिसम्बर को दोपहरबाद विस्फोटक पदार्थ निरीक्षक को बेतार से संदेश मिला था। विस्फोटक पदार्थ निरीक्षक आज ११ बजे सुबह विमान से हैदराबाद जा रहे हैं और मध्याह्न पश्चात् हैदराबाद पहुंच जायेंगे। विस्फोटक पदार्थ मुख्य निरीक्षक आज सायंकाल नागपुर से रेल द्वारा चल देंगे और हैदराबाद कल प्रातःकाल पहुंच जायेंगे।

पुलिस कमिश्नर का विचार है कि मकान का एक निवासी फ्यूज़ या डेटोनेटर (जो प्रायः गोलों के विस्फोट के लिए काम में लाया जाता है) को तोड़ने की कोशिश कर रहा था ताकि उसमें से तांबा या कोई और धातु निकाल ली जाये और बाज़ार में बेच दी जाये। सामान्यतः फ्यूज़ में तुरन्त विस्फोट होने वाला पदार्थ होता है जो केवल जरा सी रगड़ से फट सकता है। ऐसा विचार है कि संभवतया जब उसमें से धातु निकाली जा रही थी, उस समय रगड़ लगने से विस्फोट हुआ। बताया जाता है कि फ्यूज़ तोड़ने वाला व्यक्ति विस्फोट के कारण वहीं मर गया।

जब यह निर्णय कर लिया जायेगा कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा ९क के अधीन जांच आवश्यक है तब इसके बारे में पूरी रिपोर्ट मिलने की आशा है। अब तक प्राप्त जानकारी से पता लगता है कि उस व्यक्ति के पास डैटोनेटर अनधिकृत रूप से था।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा): मैं जानना चाहता हूं कि क्या विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के प्रारम्भिक नियमों का कठोरता से पालन नहीं किया जा रहा है? क्या निरीक्षकों का केवल इतना ही काम है कि दुर्घटना के कारणों की जांच करें? ऐसी दुर्घटनायें अक्सर हो रही हैं।

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: विस्फोटक पदार्थ मुख्य निरीक्षक के कर्मचारी अपना काम बराबर कर रहे हैं। इन मामलों के बारे में जानकारी के लिए हमें राज्यों के पुलिस अधिकारियों पर आधारित रहना पड़ता है। हमें जानकारी उन्हीं से मिलती है और उसी के आधार पर हमारे निरीक्षक काम करते हैं। विस्फोटक पदार्थ मुख्य निरीक्षक के विभाग में थोड़े से ही कर्मचारी हैं। इस के साथ हैदराबाद में हमारा कोई निरीक्षक भी नहीं है। मद्रास के निरीक्षक को ही हैदराबाद का काम भी देखना पड़ता है। मैं यही बताना चाहता हूं कि हमें इस मामले के बारे में अधिकांशतः पुलिस पर भी आधारित रहना पड़ता है।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** (बरहामपुर): मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए केन्द्रीय सरकार की कितनी जिम्मेदारी है?

†**श्री अनिल कु० चन्दा**: जहां तक विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का सम्बन्ध है इसे निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। हमें अभी मामले का ब्यौरा नहीं मिला है, अतः हम नहीं जानते हैं कि इससे हमारा कितना सम्बन्ध है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर): माननीय मंत्री के वक्तव्य से यह पता लगता है कि किसी व्यक्ति ने कुछ गोले खरीदे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसकी जांच की जायेगी कि ये कहां से खरीदे गये और यह भी देखा जायेगा कि इस मकान में रखे गये और गोले भी न फट जायें। इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि देश में बहुत विस्फोट हो रहे हैं तो क्या यह सम्भव नहीं है कि वहां एक सह निरीक्षक अथवा उपनिरीक्षक नियुक्त किया जाये?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** मैंने यह नहीं कहा कि गोले बाज़ार से खरीदे गये थे। मैंने कहा था कि ऐसा मालूम होता है कि कोई व्यक्ति उसे तोड़ कर खोलने का प्रयत्न कर रहा था जिससे वह बाज़ार में धातु को बेच सके।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** संभवतया उसने उसे किसी स्टोर से खरीदा होगा अन्यथा वह उसे तोड़ने की कोशिश क्यों करता। वास्तविकता यह है कि उसमें बारूद भी होगी।

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** इस समय मैं यह नहीं बता सकता हूं कि उसको यह डैटोनेटर कहां से मिला।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फ़िरोजाबाद) : नागपुर के विस्फोटक पदार्थ मुख्य निरीक्षक ने इस मामले को प्रमुखता देकर हैदराबाद को तुरन्त प्रस्थान क्यों नहीं किया ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** हैदराबाद मद्रास के विस्फोटक पदार्थ निरीक्षक के क्षेत्राधिकार में आता है। वह संभवतया आज पहुंच गए होंगे।

†**अध्यक्ष महोदय :** वक्तव्य के आधार पर मैं स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता हूं।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : श्रीमान्, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैंने एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था परन्तु स्थगन प्रस्तावों के बारे में जो बातें सभा में अब तक बताई गई हैं उनसे मैं यह नहीं समझ सका कि आप स्थगन प्रस्ताव के महत्व को किस प्रकार आंकते हैं। मैंने बताया था कि आसाम विधान सभा में आसाम के श्रम और उद्योग मंत्री श्री के० पी० त्रिपाठी ने वक्तव्य दिया था कि तेजपुर के विकट एक रेलगाड़ी को, जिसमें सैनिक जा रहे थे उलटने का प्रयत्न किया गया था। लौंगजू पर हमारा कब्जा होने के बाद से आकाश सीमा का उल्लंघन भी बराबर हो रहा है। इसके अतिरिक्त आसाम में यह प्रचार किया जा रहा है कि हमारे पास अपने देश की रक्षा के लिये पर्याप्त हथियार वगैरह नहीं है। और भी कई प्रकार का प्रचार किया जा रहा है। परन्तु आपका विचार है कि ये सब चीजें इतनी महत्वपूर्ण नहीं कि सभा का कार्य रोक दिया जाये। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आप विषय की महत्व की किस प्रकार आकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इन सब बातों का उत्तर देने के लिये बाध्य नहीं हूं। यह आवश्यक नहीं कि माननीय सदस्य जिन मामलों को महत्वपूर्ण समझें उनको मैं भी महत्वपूर्ण समझूं कोई रेलगाड़ी उलट नहीं गई है ; कोई मरा नहीं है। माननीय सदस्य अल्प सूचना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैंने उनको अग्राह्य नहीं किया है। माननीय सदस्य जानते हैं कि यदि १० दिन की सूचना देने का समय नहीं रहता और सत्र की समाप्ति का दिन निकट होता है तो मैं सूचना देने की अवधि का ध्यान नहीं रखता हूं और सभी अल्प सूचना प्रश्नों को ग्राह्य कर लेता हूं। सत्र के शुरू में ही बहुत से अल्प सूचना प्रश्न आ जाते हैं लेकिन यदि विषय अविलम्बनीय होता है तो उन्हें भी गृहीत किया जाता है। इन मामलों में सदस्यों के अपने विचार होते हैं और मेरे अपने यदि अन्य सदस्य ने अल्प सूचना प्रश्न पूछा होता तो मैं उसे गृहीत कर लेता। मैं बराबर यही कोशिश करता हूं कि माननीय सदस्यों को जितनी जानकारी मिल सके उतनी मिलनी चाहिये। माननीय सदस्य ऐसे मामलों में प्रश्न पूछ सकते हैं या वक्तव्य की मांग कर सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब्रजराज सिंह :** मैंने भी नेफा में तथा आसाम के कामरूप ज़िले में आकाश सीमा के उल्लंघन के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। परन्तु आपने मेरे स्थगन प्रस्ताव को अनुमति न देने का कारण यह लिखा है कि एक अविलम्बनीय लोक महत्व की ओर ध्यान दिलाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। मैं समझता हूं कि ऐसे मामलों में स्थगन प्रस्ताव को हमेशा प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य जनते हैं कि स्थगन प्रस्ताव केवल अविलम्बनीय मामलों में ही स्वीकार किए जाते हैं। यदि एक दो दिन पूर्व कोई सदस्य अल्प सूचना प्रश्न अथवा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने की सूचना देता है तो जाहिर है कि विषय की अविलम्बनीयता समाप्त हो जाती है।

मैं माननीय सदस्यों को फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि स्थगन प्रस्ताव गंभीर मामलों के बारे में ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए। स्थगन प्रस्ताव असाधारण परिस्थितियों में, जब सरकार से कोई बड़ी गलती हुई हो, तब ही प्रस्तुत किये जाने चाहिये। यदि स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो सरकार को त्यागपत्र दे देना पड़ता है। या ऐसा मामला होना चाहिये जिसमें, सरकार द्वारा तत्काल महत्वपूर्ण कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता हो। वरना स्थगन प्रस्ताव का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। मुझे अफसोस है कि मुझे बार बार यह बातें दोहरानी पड़ती हैं।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री (गुड़गांव) : अध्यक्ष महोदय, मैं ने इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव दिया है जहां पर कुछ ऐसी घटनाए हुई हैं जिनके कारण उत्तर प्रदेश के यह दो बहुत बड़े और पुराने विश्वविद्यालय इस समय बन्द हो गये हैं और इसका प्रभाव प्रान्त के और भी विश्वविद्यालयों पर पड़ने जा रहा है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह विषय प्रान्त की सरकार का है परन्तु क्योंकि दूसरे विद्यार्थियों के जीवन पर और दूसरे विश्वविद्यालयों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस विषय पर यहां विचार किया जाय।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय राज्य सरकार के एक क़ानून के अधीन कार्य करता है। इस सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तो है।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह भले ही पैसा देती है लेकिन जिम्मेदारी उसकी नहीं है। लेकिन एक बात स्वयं मेरी समझ में नहीं आती। विश्वविद्यालयों में कुछ बीमारी सी फैल रही है; एक एक करके सब बन्द होते जा रहे हैं। माना कि संविधान के अन्तर्गत शिक्षा का विषय राज्यों का है लेकिन केन्द्रीय सरकार इसके लिये कुछ रुपया देती है परन्तु ज़िम्मेदारी इसकी कुछ नहीं है। जब हम विश्वविद्यालयों को धन देते हैं तो क्या हमारा उधर कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिये यद्यपि मने स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वास्तव में क्या स्थिति है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

इसके साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि छ: महीने पहले मैंने विभिन्न मंत्रालयों से यह पूछा था कि राज्य के जिन विषयों से उन का संबंध है उनमें उनकी और राज्यों की कितनी कितनी जिम्मेदारी है । मैंने कई बार लिखा है परन्तु अब तक कोई उत्तर नहीं मिला है । मेरा मंत्रियों से अनुरोध है कि इस बारे में शीघ्र उत्तर द जिससे मैं ठीक निर्णय कर सकूं ।

माननीय मंत्री का इस विषय में क्या विचार है ।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालयों के बारे में आप जानते हैं कि इनके प्रशासन की जिम्मेदारी पूर्णत: राज्य सरकार पर ही है । इनको राज्य विधान सभा के एक विधान द्वारा स्थापित किया गया था । इसलिए केन्द्रीय सरकार की कोई जिम्मेदारी इनके बारे में नहीं है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदानों के दिये जाने के बारे में एक प्रश्न पूछा गया । यह सच है कि विशेष कार्यों के लिए आयोग विश्वविद्यालयों को अनुदान देता है परन्तु आयोग अथवा केन्द्रीय सरकार किसी का भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इन पर कोई नियंत्रण नहीं है । इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि इन विषयों पर सभा में चर्चा नहीं हो सकती है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के गवर्नरों के प्रतिवेदन

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के गवर्नरों के बोर्ड की चौदहवीं वार्षिक बैठक और अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के गवर्नरों क बोर्ड की तीसरी वार्षिक बैठक म भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिय संख्या एल० टी०--१७८५/५९]

प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : मैं प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(१) इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड द्वारा तैयार किये गये कच्चे लोहे के कारखाने से चलते समय के, उचित धारण मूल्यों के पुनरीक्षण के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५८) ।

(२) टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड द्वारा तैयार किये गये कच्चे लोहे के मूल्य के पुनरीक्षण के बारे में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का प्रशुल्क आयोग को भेजा गया दिनांक १८ जुलाई, १९५८ का पत्र संख्या ६३(८)--टी आर/५८ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड द्वारा तैयार किये गये कच्चे लोहे के मूल्य के पुनरीक्षण के बारे में प्रशुल्क आयोग का वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को दिनांक १४ नवम्बर, १९५८ का पत्र संख्या टी० सी०/आई० डी०/पी–२ ।

(४) दिनांक ५ नवम्बर, १९५९ का सरकारी संकल्प संख्या एस० सी० (ए०)–२ (२१७)/५७ ।

(५) ऊपर (१) और (४) में उल्लिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति उक्त उप-धारा में निर्धारित अवधि के अन्दर सभा पटल पर क्यों नहीं रखी जा सकी, इसके कारण बताने वाला एक वक्तव्य ।

[पुस्तकालय रखी गई । देखिये संख्या एल टी—१७८६/५९]

भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमों में संशोधन

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : मैं अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २८ नवम्बर, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२९१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—१७८७/५९]

मद्रास खेतिहर किसान (उचित किराये भुगतान) अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**श्री दातार** : मैं केरल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक ३१ जुलाई, १९५९ की उदघोषणा के खण्ड (ख) के साथ पठित मद्रास खेतिहार किसान (उचित किराये का भुगतान) अधिनियम, १९५६ की धारा १७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत केरल गजट में प्रकाशित निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) दिनांक १६ जनवरी, १९५९ की अधिसूचना संख्या २८८४९-एफ० ३/५८/रेव० जिस में खेतिहार किसान (उचित किराय का भुगतान) नियम, १९५९ दिये हुए हैं ।

(२) दिनांक १५ जून, १९५९ की अधिसूचना संख्या १९२७३/एफ० ३/५९–४/रेव०

(३) दिनांक १९ अक्तूबर, १९५९ की अधिसूचना संख्या ३२९९६/एफ० ३/५९/रेव०

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी—१७८८/५९]

केरल निजी वन (प्रबन्ध ग्रहण) नियमों में संशोधन

‡**श्री दातार** : मैं केरल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक ३१ जुलाई, १९५९ की उदघोषणा के खंड (ख) के साथ पठित केरल निजी वन (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, १९५७ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत, केरल निजी वन (प्रबन्ध ग्रहण) नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली, केरल गजट में प्रकाशित दिनांक १६ अक्तूबर, १९५९ की अधिसूचना संख्या १९७०७/५७/एग्री० एफ० (बी) ४ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी—१७८९/५९]

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में संशोधन

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : मैं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, १९४४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १ दिसम्बर, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३१४ की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं ।

[पुस्पकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी—१७९०/५९]

राज्य-सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभाके सचिव से यह संदेश मिले हैं :—

(१) कि विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९५९ के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(२) कि राज्य-सभा ने ९ दिसम्बर, १९५९ को अपनी बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया है :

"कि यह सभा लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य-सभा विधि-व्यवसायियों संबंधी विधि को संशोधित और समेकित करने तथा विधि-व्यवसायी परिषद् और एक अखिल भारतीय विधि-व्यवसायी संघ स्थापित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक से सम्बन्धित दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो, और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए राज्य-सभा के निम्नलिखित सदस्य मनोनीत किए जायं :—

(१) श्री पी० एन० सप्रू
(२) दीवान चमन लाल
(३) श्री सन्तोष कुमार वसु
(४) डा० डब्ल्यू० एस० बारलिंगे
(५) श्री जगन्नाथ कौशल
(६) श्री आर० सी० गुप्त
(७) श्री ब्रज किशोर प्रसाद सिंह
(८) श्री एम० वलिउल्ला
(९) श्री एस० चन्ना रेड्डी
(१०) श्री सोनुसिंह धनसिंह पाटिल
(११) श्री पी० डी० हिम्मतसिंहका
(१२) डा० राज बहादुर गौड़
(१३) श्री फरीदुल हक़ अन्सारी
(१४) श्री हरिहर पटेल
(१५) श्री बी० डी० खोबरागडे

---

†मूल अंग्रेजी में

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति

†**सचिव :** मैं चालू सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा १६ नवम्बर, १९५९ को लोक-सभा में दी गई अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त विविध वैयक्तिक विधि (विस्तार) विधेयक, १९५९ को सभा पटल पर रखता हूं ।

सभा की बैठक से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

सत्रहवां प्रतिवेदन

†**श्री आचार** (मंगलौर) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

मैं आठवें सत्र में १५ दिन अथवा उससे अधिक दिनों के लिये लगातार सभा से अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों के नामों को दिखाने वाले विवरण की भी एक प्रति सभा-पटल पर रखता

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

दो पुलिस सिपाहियों का अपहरण

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह इसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"३० नवम्बर, १९५९ को दिल्ली यातायात पुलिस के दो सिपाहियों का अपहरण"

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** ३० नवम्बर, १९५९ को एक हेड कान्सटेबिल तथा ५ सिपाही सफदरजंग मकबरे के निकट साइकिलों की चेकिंग कर रहे थे। दोपहर २ बजे कर ४० मिनट पर उन्होंने एक ट्रक में अनुमित सीमा से अधिक भार लादे हुये देखा। ट्रक को रुक जाने का इशारा किया गया और ड्राइवर से अपने कागजात दिखाने को कहा गया। उसने उत्तर दिया कि उसके पास कागज नहीं हैं। हेड कान्सटेबिल ट्रक में चढ़ गया और उसने ड्राइवर से पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के यातायात कार्यालय में चलने को कहा क्योंकि बिना कागजों के चलने वाली गाड़ियों का मोटर गाड़ी अधिनियम के अधीन चालान किया जाता है। एक सिपाही भी ट्रक में चढ़ गया। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की ओर चलने के बजाये ट्रक ड्राइवर सफदरजंग रोड पर ट्रक चलाने लगा और उसने हेडकान्सटेबिल के सभी आदेशों की उपेक्षा की। जो सिपाही ट्रक में पीछे बैठा था उसने सीटी बजाई और एक टैक्सी ड्राइवर से पीछे आने को कहा। जब किचनर रोड तथा विलिंगडन क्रिसेंट के मोड़ पर ट्रक की रफ्तार धीमी हुई तो सिपाही ट्रक से नीचे कूद पड़ा और उसने टैक्सी में ट्रक का पीछा करना शुरू कर दिया। इसी बीच दिल्ली सशस्त्र पुलिस के एक हेड कान्सटेबिल ने, जिसने यह घटना देखी, पार्लियामेंट स्ट्रीट के थाने के कन्ट्रोल रूम को सूचित कर दिया और पुलिस की कुछ वायरलैस गाड़ियों को ट्रक का पीछा करने का आदेश

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री गो० ब० पन्त]

दिया गया। अन्ततः ट्रक बारा टूटी पर रोक दिया गया और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार करके १५ दिसम्बर, १९५९ तक के लिये हवालात में बन्द कर दिया गया।

†**श्री पु० र० पटेल** (मेहसाना) : क्या सिपाहियों के पास हथियार भी थे ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : जी नहीं, सिपाही हथियार लेकर नहीं चलते।

विनियोग (संख्या ८) विधेयक

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : मोरारजी देसाई की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों का भुगतान और विनियोग अधिकृत करने वाले विधेयक को पुरस्थापित क रने की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये भारत को संचित निधि में से कुछ और राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं।

भारतीय सांख्यिकीय संस्था विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय प्रधान मंत्री

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : प्रधान मंत्री जो प्रस्ताव रखने जा रहे हैं उसके सम्बन्ध में मैं एक औचित्य प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। मैंने संविधान सभा के वाद-विवादों को पढ़ा है। उनमें इस बात पर जोर दिया गया है कि जब किसी संस्था को राष्ट्रीय स्तर प्रदान किया जाता है तो कुछ औपचारिकतायें पूरी करनी होती हैं। परन्तु वर्तमान विधेयक में कहीं भी किसी संविहित संस्था का उल्लेख नहीं है लेकिन फिर भी हम इस संस्था को राष्ट्रीय स्तर प्रदान करने जा रहे हैं। यह संविधान की भावना के प्रतिकूल है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस दोष को दूर करने के लिये उसे एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कोई औचित्य प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य उसे प्रवर समिति को निर्दिष्ट करना चाहते हैं। इसके लिये विचार प्रस्ताव पर संशोधन रखा जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि भारतीय सांख्यिकीय संस्था (इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट) को, जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय इस समय कलकत्ता में है, एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने और कुछ तत्संबंधी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

यह एक सुविख्यात संस्था है। फिर भी मैं उसके सम्बन्ध में कुछ तथ्य उपस्थित करना चाहता हूं। इसकी स्थापना १९३० के लगभग हुई थी और तब से उसका काफी विकास हुआ है अभी तक वह भारत की एकमात्र और सबसे बड़ी संस्था है जो कलकत्ता और वास्तव में समस्त देश में सांख्यिकीय कार्य कर रही है। उसके महत्व के सम्बन्ध में संदेह नहीं किया जा सकता। वास्तव में उसके महत्व को सारे संसार द्वारा स्वीकार किया जाता है। वह न केवल भारत की वरन् विश्व भर की एक प्रमुख सांख्यिकीय संस्था है। अब जो विधेयक मैं उपस्थित कर रहा हूं वह एक औपचारिकता मात्र है क्योंकि संस्था का महत्व सर्वमान्य है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि इसके सम्बन्ध में एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये थी। मुझे यह सुन कर आश्चर्य हुआ। मैं नहीं जानता कि वह कौन सी प्रक्रिया है, जो रह गई है, सिवाय इसके कि यह विधेयक सभा के सामने रखा गया है, ताकि वह इसे स्वीकार करे।

मैं इस अवस्था पर संस्था के महत्व और कार्य के सम्बन्ध में निर्देश करके सभा का समय नहीं लेना चाहता। इस प्रकार का सांख्यिकीय कार्य सदा महत्वपूर्ण रहा है परन्तु अब हमारी योजनाओं के कारण उसका महत्व और भी बढ़ गया है। बड़े पैमाने पर सांख्यिकीय कार्य किये बिना आयोजन संभव नहीं है। वर्तमान प्रसंग में यह सांख्यिकीय कार्य केवल आंकड़ों के संकलन तक ही सीमित नहीं है वरन् उसमें आयोजन के अन्य पहलू भी आ जाते हैं जैसे बायोमीट्री और साइकोमीट्री। वास्तव में अब प्रशासन में सांख्यिकीय सूचना का महत्व अधिकाधिक बढ़ रहा है और बढ़ता जायेगा। जनगणना के आंकड़ों में भी हमें सांख्यिकीय सूचना मिलती है तथा कुछ अन्य चीजों में भी। जनगणना के महत्व को मैं मानता हूं परन्तु उसमें सब प्रकार की जानकारी नहीं मिलती जैसे उत्पादन तथा अन्य चीजें। यह ठीक है कि इस प्रकार की सूचना हमारे मंत्रालयों द्वारा अलग अलग एकत्रित की जाती हैं। परन्तु वह एक खास प्रयोजन की दृष्टि से एकत्रित की जाती है। अन्यान्य प्रकार की जानकारी एकत्रित करने के लिये यही एक संस्था काम आ सकती है।

इस विधेयक तथा तत्संबंधी कागजों में इस संस्था को दी गई या उसके द्वारा खर्च की गई एक बहुत बड़ी राशि दिखाई गई है। इस में से ५० लाख रुपए से कुछ अधिक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के लिए हैं जो प्रायः ठेके के आधार पर किए जाते हैं। पहले तो यह कार्य केवल ठेके पर ही कराया जाता था ; पहले सरकार किसी को ठेके पर काम देती थी और अगर कुछ रुपया बच जाता था तो वह अन्य कामों में लगा दिया जाता था। अब बिल्कुल उस तरह तो काम नहीं होता लेकिन फिर भी, लगभग ठेके के आधार पर ही काम होता है।

यह संस्था सांख्यिकीय गवेषणा, शिक्षा और प्रशिक्षण की मुख्य केन्द्र बन गई है। इस ने उच्च श्रेणी के सांख्यिकीय नियंत्रण, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और आर्थिक विकास की समस्याओं के अध्ययन का कार्य संगठित किया है। प्रारम्भ में यह संस्था एक गैर-सरकारी संस्था थी और

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

अभी भी एक गैर सरकारी स्वायत्तशासी संस्था है। जिसने केन्द्र तथा राज्य सरकारों के लिए ठेके पर कार्य किया है और उस कार्य के लिए भुगतान लिया है। इसके अतिरिक्त उसे हाल के वर्षों में कुछ निर्दिष्ट प्रकार के कार्यों के लिए भी धन मिला है। उसे यूनेस्को से भी सांख्यिकी का एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र बनाने के लिए कुछ धन मिला है तथा उस में भारत सरकार ने कुछ योग दान किया है ।

वर्तमान परिस्थिति में इसके महत्व के संबंध में कोई भी संदेह नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त वह समस्त संसार की एक प्रमुख संस्था है जो इस प्रकार का कार्य करती है। वह सामान्य कार्य ही नहीं करती वरन कुछ मौलिक कार्य भी करती है जिससे सांख्यिकी विज्ञान को बहुत लाभ हुआ है। इसलिए इस संस्था को अत्यन्त सम्मानित स्थान प्राप्त है ।

अब प्रश्न यह है कि इस संस्था के प्रबन्ध का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा । कुछ लोग सोचते हैं कि इस प्रकार की संस्था सरकारी संगठन होना चाहिए। इस विधेयक का उद्देश्य उसे सरकारी संगठन में बदलना नहीं है। बहुत सोचविचार के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उसका स्वायत्तशासी स्वरूप तो बनाए ही रखना चाहिए परन्तु कुछ नियंत्रनणों के अधीन, जो सरकार अथवा संसद् ठीक समझे । यह एक बड़ा प्रश्न है जिसक संबंध में संसद् को बिचार करना चाहिए । हम धीरे धीरे इस निर्णय पर आ रहे हैं कि हमारे कार्यों का अत्यधिक केन्द्रीयकरण अच्छी चीज़ नहीं है । कुछ मामलों में केन्द्रीय नियंत्रण भले ही अच्छा हो परन्तु अत्यधिक कन्द्रीय-अथवा विभागीयकरण नहीं है । मेरा विचार है कि विज्ञान तथा विज्ञान संबंधी मामलों का कार्य सामान्य सरकारी ढंग से नहीं किया जाना चाहिए। इसी प्रकार कला तथा कुछ अन्य विषय भी हैं। उनके संबंध में दैनिक रीतियों से कोई लाभ नहीं हो सकता। यही कारण है कि जिन दशों में विज्ञान की प्रगति हुई है उन में उसे अत्यधिक स्वतंत्रता दी गई है, चाहे वह संयुक्त राष्ट्र अमरिका हो अथवा सोवियत रूस यद्यपि उनका राजकीय संगठन सर्वथा भिन्न है । वे इतना नियंत्रण तो रखते हैं कि जो धन दिया जाता है उसका सदुपयोग हो परन्तु इसके अधीनस्थ उन्होंने बहुत स्वतंत्रता दे रखी है।

अब हम चाहते हैं कि हमारे देश में विज्ञान की उन्नत्ति हो तो जाहिर है कि हमें इस सवाल के मामले में उसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाना होगा अर्थात् विज्ञान को कुछ स्वतंत्रता देनी होगी। इस लिए हमने यह फैसला किया है कि इस मामले में स्वयत्तशासी संगठन को ही कायम रखना चाहिए परन्तु साथ ही सरकार इस प्रकार नियंत्रण करेगी कि क्या काम किया जाय और किस प्रकार से किया जाय।

यदि यह तरीका ठीक है तो उसे अन्य सरकारी उद्यमों में भी अपनाने का विचार किया जा सकता है क्योंकि जैसे जैसे सरकारी उद्यमों का विकास होगा, यदि उनके बारे में सरकारी अभिकरणों को निरन्तर निर्देश किया जाएगा तो उनके लिए प्रगति करना कठिन होगा। वे कितनी भी तेजी से काम करें देरी हो ही जाती है और देरी हर दृष्टि से बहुत खराब चीज है ।

इसलिए हम प्रशासकीय तथा अन्य क्षेत्रों में अधिकाधिक स्वयत्तशासन की बात सोच रहे हैं। यद्यपि इस संबंध में यह संगत तो नहीं है परन्तु फिर भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अनेक राज्य सरकारें शक्ति का विकेन्द्रीय करण करके पंचायतों आदि को अधिकार दे रही हैं। यह बहुत शुभ लक्षण हैं ।

इस कारण से तथा अनेक अन्य कारणों से हम समझते हैं कि वैज्ञानिक संगठनों को इस प्रकार की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इसलिए वर्तमान विधेयक में हमने भारतीय सांख्यिकीय संस्था के लिए यह स्वायत्तशासी आधार ही स्वीकार किया है। परन्तु साथ ही हमने अनेक प्रकार से इस बात की व्यवस्था भी कर दी है कि सरकार की इच्छानुसार ही कार्य हो। अनेक प्रतिबन्धों का उपबन्ध किया गया है। परन्तु सरकारी संचालकों आदि का उपबन्ध हमने जानबूझ कर नहीं किया है क्योंकि वैसा करने से उसका स्वरूप ही बदल जाता है। मैं समझता हूं कि बड़े लब्ध-प्रतिष्ठ व्यक्ति उस से संबद्ध हैं। संस्था के वर्तमान सभापति श्री सी० डी० देशमुख हैं जो कुछ वर्षों से उस से सम्बद्ध हैं।

इसके बाद मैं विधेयक के कुछ खण्डों की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक खण्ड सांख्यिकी की डिगरी अथवा डिप्लोमा देने के प्राधिकार के संबंध में है। किसी पुराने अधिनियम के अनुसार डिगरी तथा डिप्लोमा केवल विश्वविद्यालयों द्वारा ही प्रदान किए जा सकते हैं। परन्तु इस संस्था को यह अधिकार दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह संस्था एक समर्थ निकाय है इसलिए इस में कोई अनौचित्य नहीं है। यह कहना ठीक नहीं होगा कि ये डिगरियां सरकार के अनुमोदन से दी जानी चाहिए क्योंकि मैं समझता हूं कि यह एक विचित्र बात होगी कि सरकार का कोई सचिव यह निर्णय करे कि किसी विषय में किसको डिगरी मिलनी चाहिए।

इसलिए हम ने कहा है कि संस्था डिगरियां और डिप्लोमा देगी। वास्तव में पिछले छै या सात वर्षों में इस संस्था ने अनेक प्रकार के ८००० सांख्यिकों को प्रशिक्षण दिया है। लगभग २०० विदेशी भी यहां पर प्रशिक्षण ले चुके हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि इस संस्था को इन निर्दिष्ट विषयों में डिगरी और डिप्लोमा प्रदान करने का प्राधिकार दिया जाना चाहिए।

फिर संस्था के कोष के लेखा परीक्षकण का प्रश्न आता है। इसके संबंध में दो प्रकार के दृष्टिकोण उपस्थित किए गए हैं: एक यह है कि नियंत्रक महालेखा-परीक्षक लेखापरीक्षण करे और दूसरा यह है कि गैर-सरकारी लेखा परीक्षक ही वह काम करते रहें। दोनों पक्षों के समर्थन में बहुत कुछ कहा जा सकता है। मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि इस प्रकार की संस्थाओं का लेखा परीक्षण नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा नहीं कराया जाना चाहिए। मैं नियंत्रक महालेखापरीक्षक की योग्यता में तो संदेह नहीं करता परन्तु लेखापरीक्षण की सरकारी प्रणाली को इस प्रकार की संस्थाओं के उपयुक्त नहीं समझता हूं।

संभवतः माननीय सदस्यों को याद होगा कि इसके संबंध में श्री एपिलबी ने क्या कहा था। उन्होंने अपने प्रतिवेदन में इसका जोरदार विरोध किया था। उन्होंने कहा कि सरकारी नियंत्रण के कारण विकास में बाधा होती है। यह आंशिक रूप में ठीक भी है और आंशिक रूप में गलत भी हो सकता है। खैर, उन्होंने अपने प्रतिवेदन में इसके संबंध में विशेष रूप से लिखा था क्योंकि लेखापरीक्षक केवल यह देखता है कि जो व्यय किया गया है वह उचित ढंग से हुआ है या नहीं।

वैज्ञानिक कार्य दफ्तरों के दैनिक-कार्य से कुछ भिन्न प्रकृति का होता है। वैज्ञानिक कार्य का निर्णय वैज्ञानिक ही कर सकते हैं। (अन्तर्वाधायें) मेरे विचार से इस प्रकार के कार्यों में हमें यह देखना चाहिये कि क्या सफलता प्राप्त हुई है और क्या किया जा रहा है। परन्तु हमारे लेखापरीक्षणों में यह देखा जाता है कि जो धन व्यय किया गया है वह मंजूरी के अनुसार हुआ है या नहीं। यह ठीक है कि सरकारी कार्यों के संबंध में इस प्रकार की जांच आवश्यक है परन्तु उससे

[श्री जवाहर लाल नहरू]

भी बड़ी आवश्यकता सफलता संबंधी जांच की है। मैं आशा करता हूं कि धीरे धीरे हम अपने सारे कार्यों की जांच के संबंध में यह मानदंड रख देंगे।

यह ठीक है कि सरकारी दफ्तरों में सफलता का निर्णय करना बहुत कठिन है। संगठन तथा रीति विभाग इसके संबंध में विचार करता है कि कितने पत्र प्राप्त हुए तथा कितनों का निपटारा किया गया। यह संभवतः एक नियंत्रण है परन्तु पर्याप्त नियंत्रण नहीं है। क्योंकि हो सकता है कुछ पत्र औपचारिक हों और कुछ बहुत कठिन हों।

उदाहरण के लिए मैं आपको वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के संबंध में बताता हूं। यदि हमें चीनी प्रधान मंत्री को कोई पत्र भेजना है तो उसके संबंध में विचार करने में हफ्तों लग सकते हैं जब कि साधारण पत्र इस बीच में हजारों भेजे जा सकते हैं। इसलिए पत्रों की संख्या से उनके कार्य के महत्व का पता नहीं चलता। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के लाइसेंस विभाग में यह मानदण्ड ठीक हो सकता है। इसलिए कार्य के महत्व का आकलन करने वाली लेखा परीक्षा प्रणाली प्रारंभ करना वांच्छनीय है।

वास्तव में वह प्रणाली प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में लागू हो सकती है अर्थात् उस से यह मालूम हो सकता है कि उसके कार्य का परिणाम कैसा है। वह कितने घण्टे काम करता है यह महत्वपूर्ण नहीं है वरन् वास्तव में काम कितना हुआ यह अधिक महत्वपूर्ण है। इस सांख्यिकीय संस्था में भी प्रत्येक कर्मचारी के कार्य पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न किया गया है और जो लोग अच्छा और अधिक कार्य करते हैं उन्हें प्रोत्साहन देने का प्रयत्न किया जाता है।

इसलिए इस विधेयक में यह प्रस्ताव रखा गया है कि यह संस्था ऐसे लेखा परीक्षक नियुक्त करेगी जिन्हें केन्द्रीय सरकार भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक और संस्था के साथ परामर्श करने के बाद चुने। इस प्रकार ये लेखा परीक्षक यद्यपि गर-सरकारी होंगे परन्तु उनका चुनाव केन्द्रीय सरकार नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से करेगी। यही नहीं, विधेयक में यह उपबन्ध भी है कि केन्द्रीय सरकार लेखापरीक्षकों को उनके कर्तव्यपालन के सम्बन्ध में उचित निदेश भी जारी कर सकेगी।

इसके बाद संस्था के उद्देश्य तथा प्रयोजनों में परिवर्तन करने लिये केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध में भी खण्ड हैं। इसके बाद यह उपबन्ध है कि केन्द्रीय सरकार संस्था का कार्यक्रम तैयार करने आदि के सम्बन्ध में उतनी समितियां नियुक्त कर सकेगी जितनी वह आवश्यक समझे तथा उनमें उतने व्यक्ति होंगे जितने वह ठीक समझे। यह उपबन्ध अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

परन्तु एक उपबन्ध इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है तथा उसकी ओर मैं सभा का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं। वह उपबन्ध यह है कि केन्द्रीय सरकार इतने व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त कर सकेगी, जितने वह ठीक समझे, जो संस्था के कार्य का पुनरीक्षण एवं मूल्यांकन तथा इमारतों, उपकरणों और अन्य आस्तियों का निरीक्षण करेगी और संस्था के सम्बन्ध में किसी भी मामले में सरकार को परामर्श देगी। ये 'किसी भी मामले में' शब्द कितनी व्यापक शक्ति समिति को प्रदान करते हैं। यह समिति संस्था के कार्य का मूल्यांकन कर सकती है और सरकार से किसी भी प्रकार की सिफारिशें कर सकती है। इसी को मैं सफलता का लेखा-परीक्षण कहता हूं जो सामान्य लेखापरीक्षण से ही अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आप देखते हैं कि जो कुछ आप दे रहे हैं उसका क्या लाभ हो रहा है। मैं समझता हूं सरकार अथवा संसद् इस प्रणाली से अधिक नियत्रण रख सकती

है। इस प्रकार सभा को यह स्पष्ट हो गया होगा कि इन सब चीजों से सरकार को पर्याप्त शक्तियां मिल जाती हैं और वह प्रत्येक परिस्थिति का सामना कर सकती है।

मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि उस समिति द्वारा प्रतिवेदन दिये जाने के पश्चात केन्द्रीय सरकार संस्था को कोई भी निदेश जारी कर सकेगी और संस्था को उन्हें मानना होगा। वह निदेश किये जाने वाले कार्य की प्राथमिकताओं में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में भी हो सकता है। अन्त में यदि संस्था सरकार के निदेशों का ठीक पालन नहीं करती है तो सरकार उससे कारण बताने के लिये कह सकती है और यदि सरकार को उस कारण से संतोष न हो तो सरकार संस्था का कार्य अपने हाथ में ले सकेगी। यह अन्तिम और सब से अधिक गम्भीर कदम होगा।

इस प्रकार हमने इस विधेयक में दो मुख्य बातों---नमनीयता और कार्य में हस्तक्षेप न करना---को मिलाने का प्रयत्न किया है। संस्था अपना काम स्वतंत्रता से कर सकती है परन्तु साथ ही इस प्रकार के अनेक नियंत्रण भी रहेंगे और अन्त में सरकार को काम अपने हाथ में ले लेने का अधिकार भी रहेगा। मैं समझता हूं कि यह दो भिन्न दृष्टिकोणों के मध्य का मार्ग है जिसमें स्वतत्रता भी रहेगी और सरकार की नीति का पालन भी कराया जा सकेगा और यदि आवश्यकता हो तो सरकार संस्था का समस्त कार्य अपने हाथ में भी ले सकेगी। मैं नहीं समझता कि इनसे अधिक कठोर प्रतिबन्ध भी रखे जा सकते हैं। जहां तक लेखापरीक्षण का सम्बन्ध है यह ठीक है कि संस्था का लेखापरीक्षण सरकारी लेखापरीक्षक नहीं करेंगे परन्तु जो लेखापरीक्षक नियुक्त किये जायेंगे वे भारत सरकार और नियंत्रक महालेखापरीक्षक की सलाह के अनुसार ही लिये जायेंगे। इस प्रकार इस विधेयक में धन के उचित व्यय के सम्बन्ध में पर्याप्त उपबन्ध हैं।

परन्तु मुख्य बात यह है कि सभा इस संस्था के सम्बन्ध में क्या चाहती है। हम उसे गैर-सरकारी स्वायत्तशासी संस्था बनाए रखना चाहते हैं। यदि यह निर्णय किया जाता है कि उसे सरकार अपने हाथ में ले तो सारा संगठन बदल जाता है। अनेक लोगों ने इस प्रकार का सुझाव दिया है। मैं समझता हूं सुझाव ठीक नहीं है। यह एक वैज्ञानिक संस्था है जिसका कार्य सरकारी दफ्तरों से सर्वथा भिन्न प्रकृति का है। सरकारी दफ्तर पूर्व-दृष्टांतों का सहारा लेते हैं भविष्य में नहीं झांकते। मैं नहीं चाहता कि वैज्ञानिक संस्थायें पूर्व-दृष्टांतों से बंधी रहें। हां, काम ठीक ढंग से अवश्य होना चाहिये। इसके लिये मैं समझता हूं कि विधेयक में पर्याप्त नियंत्रणकारी उपबन्ध हैं।

यह संस्था अनेक वर्षों से वार्षिक प्रतिवदन प्रकाशित कर रही है। मैं समझता हूं कि संसद के पुस्तकालय में वे मौजूद होंगे। इसके अतिरिक्त वह 'सख्या' नामक एक त्रमासिक पत्रिका प्रकाशित करती है जिसमें सांख्यिकी सम्बन्धी सामग्री होती है। यह बड़ी अच्छी पत्रिका है जिसमें उसके कार्यों का भी पूरा ब्योरा रहता है। जो माननीय सदस्य इन विषयों से सम्पर्क रखना चाहते हैं वे इन प्रतिवेदनों को देख सकते हैं। मैं समझता हूं कि पिछला वार्षिक प्रतिवेदन और इस संस्था का इतिहास बताने वाला एक पम्फलेट माननीय सदस्यों को परिचालित किया गया था। मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि ये वार्षिक प्रतिवेदन, विवरण आदि सदा सभा-पटल पर रखे जायेंगे और मैं समझता हूं कि उसके लिये विधेयक में किसी खण्ड का रखना वांछनीय नहीं है। जिस प्रकार पहले भी वे रखे गये हैं उसी प्रकार भविष्य में भी किया जाता रहेगा। मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक को सभा द्वारा पारित किया जाय।

†**आचार्य कृपलानी** (सीतामढ़ी) : क्या यह संस्था अब भी गैर-सरकारी सस्था बनी रहेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यह एक गैर-सरकारी संस्था है। यह एक रजिस्टर्ड समिति की संस्था है जो लाभ नहीं कमा सकती। उसका नियंत्रण उसके निर्वाचित सदस्यों, सभापति आदि द्वारा किया जाता है।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन** (कोयम्बटूर) : मैं यह जानना चाहती हूं कि इस विधेयक में उस विधेयक से क्या अन्तर है जो पहले पुरःस्थापित करके वापस ले लिया गया था ? दूसरे, विधेयक के खण्ड ७(ग) में कहा गया है कि संस्था अपनी किसी भी सम्पत्ति को, जो उसने उसी के अर्जन के लिये निर्धारित राशि से अर्जित की हो, सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं बेच सकेगी। मेरा निवेदन है कि कुछ उपकरण सामान्य प्रयोजनों के लिये निर्धारित राशि में से भी लिये जाते हैं। उनके सम्बन्ध में क्या स्थिति होगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं समझता हूं कि वे इसमें नहीं आते। हरेक छोटी छोटी चीज़ के लिये सरकार के पास आना असंभव है।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। परिचालन के लिये कोई संशोधन नहीं है।

†**आचार्य कृपलानी :** मैं इस संस्था के कार्य के महत्व को स्वीकार करता हूं। हमारी विकास योजनाओं के कारण आंकड़ों का संग्रह अत्यन्त आवश्यक है। इस विधेयक द्वारा उसे राष्ट्रीय स्तर प्रदान किया जा रहा है यद्यपि वह एक गैर-सरकारी संस्था ही रहेगी। दक्षिण में ऐसी अनेक शिक्षा संस्थायें हैं जो सोसाइटीज़ अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हैं और जिन्हें सरकारी सहायता मिल रही है परन्तु उन्हें राष्ट्रीय संस्था घोषित किये जाने के उपयुक्त नहीं समझा गया। इस सांख्यिकीय संस्था के सम्बन्ध में एक असाधारण बात यह भी है कि उसे प्रति वर्ष ८० लाख रुपये राज्य द्वारा दिये जायेंगे।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** ऐसा नहीं है। ५० लाख रुपये तो ठेके के हैं। यह विधेयक हो या न हो यदि काम कराया जायेगा तो ये भुगतान करना ही होगा। यह कोई पिण्ड राशि नहीं दी जा रही है। पिछले वर्ष ५० लाख रुपये से भी अधिक ठेके सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये दिये गये थे जिसका ब्योरा प्रतिवेदन में दिया हुआ है।

†**आचार्य कृपलानी :** मेरे कहने का मतलब यह है कि संस्था को एक बड़ी राशि दी जायेगी। चूंकि आगामी वर्षों में काम बढ़ेगा इसलिये सरकार को अधिकाधिक राशि देनी पड़ेगी। पिछले वर्ष जो कुछ दिया गया वह तो न्यूनतम राशि कही जा सकती है। जब एक गैर-सरकारी संस्था को इतनी बड़ी राशि दी जायेगी तो संसद इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि उसे गैर-सरकारी श्रेणी से हटा दिया जाय।

बनारस तथा अलीगढ़ के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को इस संस्था की अपेक्षा बहुत कम राशि दी जाती है परन्तु फिर भी उनका कार्य सिनेट, कार्यकारिणी परिषद आदि परिनियत निकायों के माध्यम से होता है। जहां तक इस संस्था का सम्बन्ध है ऐसा कोई उपबन्ध नहीं किया गया है। जब हम उसे राष्ट्रीय स्तर प्रदान करने जा रहे हैं तो यह आवश्यक है कि इस विधेयक में उसके लिये पर्याप्त परित्राणों का उपबन्ध किया जाय।

यही नहीं, संस्था को मान्यता प्रदान करने वाला परिनियम ऐसा होना चाहिये जिससे वे लोग कोई गड़बड़ न कर सकें जिनके हाथों में उसका कार्य रहेगा। उसके समुचित कार्यकरण के लिये

---

†मूल अंग्रेजी में

अधिक वित्तीय नियंत्रण की व्यवस्था करनी चाहिये । विधेयक में जो लेखापरीक्षण सम्बन्धी उपबन्ध है वे शव-परीक्षा की प्रकृति के ही कहे जा सकते हैं ।

भारतीय सांख्यिकी संस्था के संगठन के अन्तर्गत परिनियत कार्यक्रम तथा मूल्यांकन समितियां होनी चाहिये जिनके प्रतिवेदन संसद् को उपलब्ध हों । यदि हम उसके राष्ट्रीय स्वरूप की सुरक्षा चाहते हैं तो भर्ती तथा तरक्की के उचित नियम निर्धारित किये जाने चाहिये । जो राशि संस्था को दी जायेगी उसका अधिकांश भाग कर्मचारियों को ही मिलेगा । मेरा विचार है कि रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित समिति एक परिनियत बोर्ड का कार्य नहीं कर सकती है । इसलिये एक भरती बोर्ड का उपबन्ध किया जाना चाहिये । तथा उसके कार्य और शक्तियां विनिहित की जानी चाहिये । अन्यथा कर्मचारियों की भरती और तरक्की के संबंध में पक्षपात किये जाने की संभावना रहेगी । ऐसा न भी हो पर संस्था के विरोधी अथवा आलोचक इस प्रकार की अफवाहें तो अवश्य ही फैलायेंगे । अतः संस्था के हित की दृष्टि से इस प्रकार का उपबन्ध बहुत आवश्यक है ।

संस्था के स्मरणपत्र को देखने से ज्ञात होता है कि किसी भी जाति अथवा रंग का व्यक्ति उसका सदस्य हो सकता है । यह अच्छी बात है । परन्तु यदि वह संसद द्वारा निर्मित परिनियत निकायों के बिना कार्य करेगी तो कुछ लोगों द्वारा एकाधिकार जमा लिये जाने की संभावना रहेगी । इन सब बातों के लिये विधेयक में परिमाण रखे जाने चाहिये । इसलिये इस विधेयक को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाना चाहिये जो इस सब बातों की जांच करे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के आशय का कोई प्रस्ताव सभा के समक्ष नहीं रखा गया है ।

†**आचार्य कृपलानी** : मैं चाहता हूं कि स्वयं प्रधान मंत्री ऐसा सुझाव उपस्थित करें ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : आगे चर्चा होने के पूर्व मैं समय का आबंटन कर देना चाहता हूं । इस विधेयक के लिये ३½ घंटे निश्चित किये गये हैं । इसमें से दो घंटे सामान्य चर्चा के लिये होंगे । इसलिये माननीय सदस्य अपने भाषण १० मिनट तक ही सीमित रखें ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) : मैं भी आचार्य कृपालानी की तरह यह समझता हूं कि यदि इस विधेयक के एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाता तो अधिक अच्छा होता क्योंकि उसके संबंध में भली प्रकार विचार करने का मौका मिल जाता । परन्तु यदि ऐसा न किया जा सकता हो तो कोई अन्य रास्ता निकाला जाना चाहिये जिससे संसद् को उस पर विचार करने के लिये अधिक समय मिल सके ।

यह एक ऐसी संस्था है जिसके लिये हम गर्व कर सकते हैं । एक छोटे से रूप में प्रारम्भ करके उसने अन्तर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त कर लिया है । इसलिये हमें प्रोफेसर महालनबीस की प्रशंसा करना चाहिये । मैं इस विधेयक से सामान्यतः सहमत हूं । परन्तु कुछ बातें ऐसी हैं जिनके संबंध में मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

ऐसा मालूम होता है कि इस विधेयक के कानून के रूप में पारित होने के पश्चात् भी इस संस्था की स्थिति कुछ विचित्र सी बनी रहेगी । मैं यह तो नहीं चाहता कि सरकार उसके स्वतंत्र कार्यकरण

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ही० ना मुकर्जी]

में हस्तक्षेप करे परन्तु फिर भी इतना अवश्य है कि इस संगठन के कार्यकरण के संबंध में अनेक प्रकार की शिकायतों को देखते हुये सरकार को इस विधेयक के संबंध में बहुत सावधानी बरतनी चाहिये।

जहां तक संस्था के शासी निकाय के संगठन का संबंध है सरकार संस्था के ज्ञापन में कल्पित स्वरूप को ही स्वीकृति प्रदान करने जा रही है। मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है क्योंकि उस ज्ञापन के संबंध में अनेक प्रकार की त्रुटियों का संकेत किया गया है।

मेरा विचार है कि संस्था और सरकार के बीच स प्रकार का संबंध होना चाहिये कि संस्था की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न किया जाये परन्तु उस पर पर्याप्त नियंत्रण अवश्य रहे। चूंकि सरकार संस्था पर एक बड़ी राशि व्यय करती है इसलिये यह नियंत्रण बहुत आवश्यक है। खेद है कि इस संस्था के कार्यकरण के संबंध में अनेक प्रकार की शिकाय ं की गई हैं।

उदाहरण के लिये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण को ले लीजिये जो इस संस्था ने किया है। उसमें कुछ ऐसे दोष हैं जिन्हें दूर किया जा सकता है। इन सर्वेक्षणों के अधिकांश परिणाम अभी तक प्रकाशित नहीं किये गये हैं। अनेक पत्र-पत्रिकाओं में हमारे देश के अर्थशास्त्रियों ने इसके संबंध में शिकायत की है। कुछ लोगों ने इस प्रकार का मत भी व्यक्त किया है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण परियोजनायें पर्याप्त नहीं रही हैं और यह सुझाव दिया है कि अन्य संगठन अधिक अच्छा कार्य कर सकते हैं। शुरू में जब यह काम नया था तब तो सांख्यिकी संस्था द्वारा ही उसका किया जाना वांछनीय था परन्तु अब वह अन्य ैनिक कार्यों की तरह सामान्य बन गया है इसलिये अन्य संस्थायें भी उसे कर सकती हैं।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की जो उपपत्तियां हैं उनके संबंध में अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों ने इस प्रकार का विचार प्रकट किया है कि वे वास्तविक महत्व की नहीं हैं। इस प्रकार की आलोचना सुनकर बहुत दुख होता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि भारतीय सांख्यिकी संस्था के कार्य में जो कमियां हैं उन्हें दूर किया जाय।

यह बड़ी खुशी की बात है कि सरकार इस संस्था को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना चाहती है। मैं समझता हूं इसके परिणामस्वरूप संस्था में गवेषणा कार्य पर अधिक जोर दिया जायेगा। परन्तु यदि संस्था के कर्मचारियों का अधिकांश समय राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण तथा अन्य विविध कार्यों में नष्ट किया जायेगा तो उसको राष्ट्रीय महत्व का बनाने से कोई लाभ नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि संस्था में सांख्यिकी के वैज्ञानिक अध्ययन पर अधिकाधिक ध्यान दिया जाये।

जहां तक संस्था के कार्यकरण का संबंध है, उसमें अनेक दोष हैं। संस्था के कर्मचारी वेतन और भविष्य के संबंध में प्रायः शिकायत किया करते हैं। विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन में बहुत असमानता है। हमने यह भी सुना है कि संस्था में एक ही व्यक्ति—संचालक—का नियंत्रण है जो प्रशासन की हर बात पर नियंत्रण रखता है। यह भी कहा जाता है कि संचालक अकसर कलकत्ता से बाहर रहा करते हैं और उनकी अनुपस्थिति में किसी भी नये काम का सूत्रपात नहीं किया जाता क्योंकि सब कार्यों में उनकी इच्छा की चला करती है। यह बहुत बुरी चीज है। संस्था के संगठन का वैज्ञानिकन होना चाहिये।

हम जानते हैं कि इस संस्था ने अनेक प्रसिद्ध व्यक्ति उत्पन्न किये हैं परन्तु वहां का वातावरण इस प्रकार का है जिसमें उन लोगों की भी नया कार्य करने की प्रेरणा खत्म हो जाती है जो विज्ञान और सांख्यिकी के क्षेत्र में लब्ध-प्रतिष्ठ हैं। इस ओर सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिये। कर्म-

चारियों के वेतन और नौकरी सुरक्षित बनाये जाने चाहियें तभी उन्हें कार्य करने की प्रेरणा मिल सकेगी ।

समाचार पत्रों में इस प्रकार की शिकायतें भी निकली हैं कि संस्था में कुछ कम्प्यूटर मशीनें बेकार पड़ी हुई हैं । उनका पूरा उपयोग इसलिये नहीं हो रहा है कि कार्य ठीक ढंग से नहीं हो रहा है । हो सकता है मेरी यह सूचना गलत हो परन्तु यदि यह ीक है तो इसके संबंध में कार्यवाही की जानी चाहिये । मैं समझता हूं कि यदि कर्मचारियों को विश्वास में लिया जाये और उन्हें कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाय तो इस प्रकार की खराबियां दूर हो जायेंगी ।

संस्था के कर्मचारियों की स्थिति अत्यन्त नाजुक है । भविष्य निधि होते हुये भी वह रजिस्टर्ड नहीं है । यदि यह ठीक है तो इसकी तुरन्त जांच की जानी चाहिये क्योंकि यह बहुत गम्भीर बात है । मैं यह नहीं कहता कि भविष्य निधि के प्रशासन के संबंध में कोई गड़बड़ हो रही है । परन्तु जब भविष्य निधि है तो उसे रजिस्टर किया जाना चाहिये ताकि किसी प्रकार के सन्देह की गुंजाइश न रहे । इन सब बातों के संबंध में हमें अधिक सूचना दी जानी चाहिये । प्रतिवेदनों में जो सूचना दी जाती है वह पर्याप्त नहीं है ।

इसलिये मेरा निवेदन है कि संस्था को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करते समय हमें उस पर पर्याप्त नियंत्रण का उपबन्ध करना चाहिये ताकि उसका कार्यकरण ठीक रहे । संस्था ने काफी काम किया है परन्तु आगे हमें इससे भी अधिक काम की आशा करनी चाहिये । मैं चाहता हूं जो लोग इस संस्था में काम करते हैं वे उसे अपना समझें ।

एक बात और है जिसका संकेत मैं करना चाहता हूं । इस विधेयक के अन्तर्गत संस्था को सांख्यिकी की डिगरी और डिप्लोमा प्रदान करने की शक्ति दी जा रही है । सके संबंध में मुझे कोई आपत्ति नहीं है । परन्तु कुछ समय पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह मत व्यक्त किया था कि वर्तमान स्थिति में संस्था को विश्वविद्यालय के स्तर का नहीं माना जा सकता । फिर वह डिगरी कैसे प्रदान कर सकेगी ? मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री इसका स्पष्टीकरण करें ।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें संस्था की सहायता तो अवश्य करनी चाहिये परन्तु साथ ही उसके कार्यकरण में जो दोष हैं उनको दूर किया जाना चाहिये ।

†**श्री मुरारका** (झुंझ ू) : मैं इस विधेयक के सिद्धांतों और उद्देश्यों का समर्थन करता हूं । देश में विश्वसनीय आंकड़ों के संग्रह के लिये एक स्थायी अधिकरण की बड़ी आवश्यकता है । इस विधेयक द्वारा भारतीय सांख्यिकी संस्था को राष्ट्रीय स्तर प्रदान किया जा रहा है । परन्तु जब सरकार किसी संस्था को सहायता देती है ो उस पर सरकारी नियं ण भी आवश्यक हो जाता है ।

सरकार ने अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था और खड़गपुर प्रौद्योगिकी संस्था को मान्यता देते समय उन पर न्यूनतम नियंत्रण रखने का उपबन्ध किया था । परन्तु उन संस्थाओं के मामले में हमने जो अनुदान दिये थे उनकी राशि त ी बड़ी नहीं थी । इस संस्था को जो राशि दी जा रही है वह बहुत बड़ी है । सलिये सरकार अथवा संसद का पर्याप्त नियंत्रण न होना अवांछनीय है ।

संस्था के ज्ञापन और अन्तर्नियमों में यह कहा गया है कि सामान्य सभा संस्था की सर्वोच्च सत्ता होगी । परन्तु प्रश्न यह है कि संस्था के कितने सदस्य सामान्य बैठक में भाग लेते हैं ? हमें यह देखना चाहिये कि क्या संस्था सार्वजनिक महत्व की है जिसमें आप अपना धन लगा सकते हैं अथवा उसमें एक ही व्यक्ति का प्राधान्य है ? मेरा निवेदन है कि मैं इस संस्था के संबं में जो कुछ जान सका हूं उससे

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मुरारका]

यही मालूम होता है कि यह संस्था एक व्यक्ति के इशारों पर ही चल रही है। इस संस्था का इतिहास प्रथम विश्व युद्ध के बाद शुरू होता है जब श्री महालनवीस ने कैम्ब्रिज से भारत आने पर इसका सूत्रपात किया था। यह संस्था १९३२ में रजिस्टर हुई थी। १९३४ में तत्कालीन वित्त सदस्य सर जेम्स ग्रिग ने इस संस्था को प्रशिक्षण और गवेषणा के लिये प्रथम अनुदान दिया था। इसके बाद अनेक विदेशी प्राध्यापकों ने संस्था का निरीक्षण किया और उस के कार्य की प्रशंसा की। परन्तु संस्था को राज्य का संरक्षण १९४६ के बाद ही मिला जैसा कि प्रतिवेदन में कहा गया है। उस समय श्री नेहरू कलकत्ता गये थे और श्री महालनवीस के निवास स्थान पर ठहरे थे। तभी उन्हें इस संस्था के कार्य की जानकारी हुई थी। १९४९ में प्रो० महालनवीस मंत्रि मंडल के अवैतनिक परामर्शदाता बनाये गये और १९५० में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का कार्य उन्हें सौंपा गया। १९५४ में उन्होंने हमारी दूसरी योजना के लिये आंकड़ों का संग्रह प्रारम्भ किया।

मैं संस्था के कार्य के महत्व को कम नहीं करना चाहता परन्तु प्रश्न यह है कि जितनी राशि हमने खर्च की है क्या उतना लाभ भी हुआ है? आंकड़ों के सम्बन्ध में तीन बातें आवश्यक हैं: वे विश्वसनीय होने चाहियें, सामयिक होने चाहियें और ऐसे रूप में प्रस्तुत किये जाने चाहियें कि समझे जा सकें। जहां तक विश्वसनीयता का प्रश्न है जिन तीन अभिकरणों—योजना आयोग, राष्ट्रीय आय समिति और खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के लिये ये आंकड़े मूलत: एकत्रित किये गये हैं उन में से किसी ने भी अभी तक उनको विश्वसनीयता के आधार पर स्वीकार नहीं किया है। मैं यह मानता हूं कि उन के संग्रह में पर्याप्त परिश्रम किया गया है परन्तु तथ्य यह है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में विश्वसनीय नहीं माना गया है। योजना आयोग ने इन आंकड़ों का बहुत सीमित प्रयोग किया है। इसी प्रकार अन्य दोनों अभिकरण भी दूसरे आंकड़ों का प्रयोग करना ही अधिक पसंद करते हैं।

आंकड़े एकत्रित करने के दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि फसल कटने के समय आंकड़े एकत्रित करने वाले स्वयं गांवों में जायें और प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करें। दूसरा तरीका है इन्टरव्यू का। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में दूसरा तरीका ही अपनाया गया है। प्रतिवेदनों से ज्ञात होता है कि गांव के लोगों से ४,००० प्रश्न पूछे गये तथा वे इस प्रकार के थे जिनका सही उत्तर कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता है। इस तरीके में आंकड़ों के गलत होने की अधिक संभावना रहती है।

दूसरे, आंकड़ों की उपयोगिता तभी हो सकती है जबकि वे सामयिक हों। परन्तु इस संस्था ने जो प्रतिवेदन प्रकाशित किये हैं उनमें से कुछ १९४९ और १९५० के सम्बन्ध में हैं। ऐसे आंकड़ों का केवल ऐतिहासिक महत्व हो सकता है, व्यवहारिक दृष्टि से उनका कोई उपयोग नहीं है। यह भी कहा जाता है कि यह संस्था समस्त आंकड़े नहीं प्रकाशित करती है वरन् अपनी सुविधा के अनुसार करती है। इन आंकड़ों के प्रकाशित न किये जाने का कारण संभवत: यही है कि उन्हें इस बात का भय रहता है कि वे गलत न हों।

इस के बाद मैं इस संस्था के उद्देश्यों पर आता हूं। संस्था के ज्ञापन के अनुसार तीसरा उद्देश्य ऐसा कोई भी कार्य करना है जो राष्ट्रीय विकास में सहायक हो। इसका मतलब यह है कि संस्था कोई भी काम कर सकती है, न केवल आंकड़ों का संग्रह ही। यही नहीं, ज्ञापन में और भी अनेक कार्य बताये गये हैं जैसे वैज्ञानिक औजार बनाना, प्रयोगशालायें खोलना आदि। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के कार्य संस्था द्वारा नहीं किये जा सकते हैं। जब हम किसी संस्था को राष्ट्रीय महत्व

की मान्यता प्रदान कर रहे हैं तो उस के उद्देश्यों को निर्दिष्ट तथा निश्चित बनाना भी आवश्यक है ।

इस के बाद मैं दो-एक छोटी-छोटी बातों का संकेत करना चाहता हूं । नवीनतम प्रतिवेदन के पृष्ठ ५३ में यह बताया गया है कि कुछ उपकरणों के लिये ८,६७,००० रुपये किराये के रूप में दिये गये । मैं जानना चाहता हूं यह राशि किराये की है अथवा खरीद की किश्त की ? यदि यह किराया है तो उन मशीनों को खरीद क्यों नहीं लिया जाता क्योंकि उनकी आवश्यकता तो हमेशा पड़ेगी ?

दूसरी बात जिसका संकेत मैं करना चाहता हूं वह यह है कि ज्ञापन में कहा गया है कि कार्यकारिणी समिति के आधे सदस्य ऐसे होने चाहिये जो कलकत्ता या दिल्ली में रहते हों ? मेरा निवेदन है कि जब इस संस्था को राष्ट्रीय स्वरूप दिया जा रहा है तो फिर इस प्रकार की प्रांतीय योग्यता क्यों रखी गई है ? यदि यह उपस्थिति की दृष्टि से रखी गई है तो ऐसा उपबन्ध होना चाहिये था कि यदि कोई सदस्य इतनी बैठकों में उपस्थित नहीं रहेगा तो वह अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा ।

अन्त में, वार्षिक प्रतिवेदनों को देखने से ज्ञात होता है कि "विदेशों के दौरे" शीर्षक के अन्तर्गत श्री महालनवीस प्रति वर्ष अपनी पत्नी सहित विदेशों को जाते हैं और भारत में बहुत कम रहते हैं । जब यह राष्ट्रीय संस्था है तो अन्य लोगों को भी बाहर जाने का अवसर मिलना चाहिये । वही दोनों व्यक्ति बार बार क्यों जाते हैं ? मैं आशा करता हूं कि इस के सम्बन्ध में कुछ किया जायेगा ।

†**श्रीमती इलापालचौधरी** (नवद्वीप) : मैं इस विधेयक का पूर्णतः समर्थन करती हूं । मैं आचार्य कृपालानी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि विधेयक में यथोचित परित्राणों की व्यवस्था नहीं है । मेरे विचार से खंड १२ के अधीन यथोचित परित्राण रखे गये हैं । जहां तक श्री ही० ना० मुकर्जी की आपत्ति का सम्बन्ध है इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि संरक्षक लोग भविष्य निधि का उपयुक्त तरीके से उपयोग करेंगे । यह भी आरोप लगाया गया है कि इस संस्था द्वारा दिये गये आंकड़ों का यथोचित उपयोग नहीं किया गया है वस्तुतः १९२२ में इस संस्था ने बंगाल में बाढ़ निवारण सम्बन्धी जो आंकड़े दिये थे उससे बहुत व्यय की बचत हुई । इसी प्रकार प्रो० महालनोबिस के बर्दवान-हुगली-हावड़ा के बहाव व सिंचाई योजनाओं से सम्बन्धित निष्कर्षों के आधार पर ही दामोदर घाटी योजना बनाई गई है ।

इस संस्था का प्रारम्भ बहुत छोटे रूप में हुआ था तथापि आज इस संस्था का विस्तार और महत्व इतना बढ़ गया है कि यह राष्ट्रीय महत्व की संस्था बन गई है । से इस स्तर तक पहुंचाने में प्रो० महालनोबिस की महान सेवाओं व आत्मत्याग का बहुत बड़ा हाथ है ।

सामान्य जनता के मन में यह धारणा बैठ गई है कि आंकड़े बेकार और झूठे होते हैं परन्तु तथ्य यह है कि आंकड़ों के आधार पर ही हमें वास्तविक स्थिति विकास व प्रगति का ज्ञान होता है । इन का वैज्ञानिक महत्व है । व्यापक और महत्वपूर्ण योजनायें आंकड़ों के आधार पर ही बनाई जाती हैं ।

श्री विमल घोष ने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि इस संस्था द्वारा दी गई उपाधि को पहिले सरकार द्वारा स्वीकृति मिलनी चाहिये मैं इसे उचित नहीं समझती न इस संस्था के वित्तीय मामलों का ही सरकारी विभागों की तरह लेखा परीक्षण किया जाना चाहिये । इस संस्था को पूर्णतः स्वायत्तशासी संस्था का रूप दिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती इलापाल चौधरी]

इसके अतिरिक्त प्रशासन के सम्बन्ध में हमें कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिये । यह एक वैज्ञानिक संस्था है यहां का छोटे से छोटा कर्मचारी सर्वोच्च कर्मचारी के साथ मिलकर काम करता है अतः गुटबंदी की भावना नहीं आनी चाहिये । ये बातें हमें पूर्णतः संस्था के निदेशकों पर छोड़ देनी चाहिये जो उत्तरदायी लोग हैं वे इस संस्था का सुचारु रूप से प्रशासन करने में पूरी तरह समर्थ हैं ।

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : मैं इस विधेयक के सिद्धांतों से सहमत नहीं हूं । मेरे विचार से सरकार का आशय एक ऐसी संस्था को अपने अधीन लेना है जिसका उपयोग सरकार द्वारा दिये गये आंकड़ों की जांच करवाने में किया जा सकता है । यह संस्था पिछले बीस वर्षों से स्वायत्तशासी स्वतंत्र और स्वालंबी संस्था रही है अब इस विधेयक के द्वारा सरकार इस संस्था पर अंकुश लगा कर इस के कार्यक्रम तैयार करने तथा समय समय पर निदेश लेने का अधिकार अपने हाथों में ले लेना चाहती है ।

मेरे विचार से कल्याणकारी राज्य में ऐसी संस्थाओं का होना आवश्यक है जोकि सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की गल्तियां जनता को बता सके इस प्रकार जनता को बहकने से रोक सके । अतः मेरे विचार से इस संस्था का स्वतंत्र बने रहना ही अधिक उचित है ।

इस विधेयक से सम्बन्धित ९३ लाख रुपये की **मांग** मांग संख्या ५२ के अधीन आती है । यह मांग गृह मंत्रालय के अधीन है । तब क्या कारण है कि इसे प्रधान मंत्री ने प्रस्तुत किया और क्या कारण था कि इस विधेयक को १९५६-५७ में वापस ले लिया गया ।

सरकार ने खंड ४ के अधीन इस संस्था को उपाधियां और मान पत्र वितरित करने का अधिकार दिया है जब कि १९५८-५९ के प्रतिवेदन के अनुसार स्वयं इस संस्था के निदेशक ने कहा कि वे उपाधियां देने के अधिकार लेने के पक्ष में नहीं हैं। इसी सम्बन्ध में श्री सी० डी० देशमुख ने भी यही राय व्यक्त की है कि वे इस संस्था को विश्वविद्यालयों का दर्जा प्रदान करने योग्य नहीं समझते । तथापि सरकार ने इस संस्था को उपाधियां देने का अधिकार दे दिया है ।

इस संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया जा रहा है । यद्यपि इस संस्था ने कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है तथापि इसे प्रो० हाल्डेन की अध्यक्षता में उपाधियां देने व परीक्षायें लेने का कार्य दिया गया है ।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि इस समय आंकड़े एकत्र करने का कार्य अन्य कई संस्थायें भी कर रही हैं । केन्द्रीय सांख्यिकीय एकक की स्थापना १९४९ में हुई थी तत्पश्चात राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की स्थापना १९५० में हुई । इसके पश्चात् केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन १९५९ में स्थापित किया गया । इस केन्द्रीय संस्था का अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम है तथा वह परीक्षायें भी लेती है तब मेरी समझ में यह नहीं आता कि देश में इतनी सांख्यकीय संस्थाओं की क्या आवश्यकता है ।

अंत में मेरा निवेदन है कि भारतीय सांख्यिकीय संस्था को स्वतंत्र ही रहने दिया जाय तथा राज्य इस संस्था को अपने नियंत्रण में न लेवे ।

†**श्री खाडिलकर** : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ क्योंकि इससे एक ऐसी संस्था को राष्ट्रीय महत्व प्रदान किया जा रहा है जिसने आंकड़ों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया । तथापि

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस संस्था के लिये हम जितनी भी वित्तीय व्यवस्था कर रहे हैं उसके एवज में संसद का इस संस्था पर कितना नियंत्रण रहेगा। आश्चर्य की बात यह है कि बिना तत्संबंधी कानून बनाये हुए ही हम इसको राष्ट्रीय महत्व की संस्था बनाने जा रहे हैं। इस विधेयक की व्यवस्था के अनुसार इसे इंगलेंड की रायल स्टेटिस्टिकल इंन्स्टीट्यूट से भी अधिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

मैं प्रधान मंत्री की इस बात से सहमत हूं कि वैज्ञानिक अध्ययन संबंधी संस्थाओं को यथा संभव स्वतंत्र रहना चाहिये। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि सरकारी सहायता या अनुशासन के अधीन रहने से ये संस्थायें भी सरकारी नीति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित होने लगती हैं।

सरकार इस संस्था को प्रति वर्ष ८० लाख रुपयों से ९० लाख रुपये तक दे रही है। इस विधेयक के द्वारा सरकार इस संस्था का प्रशासन अपने हाथों में लेना चाहती है मेरे विचार से यदि महा लेखापाल या उसके द्वारा नामनिर्देशित व्यक्तियों को इस संस्था के लेखाओं की जांच करने का अधिकार दिया जाता तो अधिक अच्छा था।

सरकार ने बिना अधिकार पत्र प्रदान किये हुए इस संस्था को उपाधि प्रदान करने का अधिकार दे दिया है। मेरे विचार से यह बात अनुचित है। सरकार बिना विशिष्ट शर्तें विहित किये हुए इस संस्था को राष्ट्रीय महत्व प्रदान कर रही है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं अतः इस विधेयक को जल्दी में पारित न कर इसे प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाना चाहिये।

इस विधेयक में कहीं भी वहां काम करने वाले कर्मचारियों के हित संबंधी कोई बात नहीं कही गई है। यह बात गलत है उनके हितों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिये।

वस्तुतः सरकार को यह बात स्पष्ट रूप से विहित करनी चाहिये कि वे इस संस्था को किस प्रकार की स्वतंत्रता देना चाहते हैं इन बातों पर विचार करने के लिये इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजना उचित होगा।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : (कुम्बकोणम्): इस अवसर पर कई सदस्यों ने भारतीय सांख्यिकीय संस्था की प्रशंसा की है। मेरे विचार से ऐसा करना उचित ही है स्वयं प्रधान मंत्री जी ने इस संस्था की रजत जयन्ती के उपलक्ष्य में संदेश भेजते हुए कहा था कि इस संस्था ने योजना के संबंध में महत्वपूर्ण कार्य किया है और इसकी प्रतिष्ठा देश विदेश में फैल गई है।

प्रो० फिशर के अनुसार भारत में आंकड़े जमा करने का कार्य अन्य देशों की अपेक्षा कठिन है क्योंकि यहां जनता शिक्षित नहीं है और उत्तर देने में हिचकिचाती है। तो भी आंकडों के आधार पर देश के कई भागों में महत्वपूर्ण कार्य किये गये हैं। उदाहरणार्थ फरीदाबाद नगर के निर्माण म श्री पीताम्बर पंत और उनके सहयोगियों का बहुत बडा हाथ है। यह कार्य नमूने के सर्वेक्षण द्वारा ही सफल हो सका है।

इस विधेयक के द्वारा सरकार को संस्था पर पर्याप्त नियंत्रण प्राप्त होगा। खंड ६ में यह उपबंध किया गया है कि सरकार लेखापरीक्षा को लेखापरीक्षा करने का निदेश दे सकती है। खंड ९ के अनुसार केन्द्रीय सरकार इस संस्था के कार्य का मूल्यांकन करने के लिये समिति नियुक्त कर सकती है। खंड ११ के अधीन केन्द्रीय सरकार संस्था को निदेश दे सकती है। इस प्रकार स्वयं विधेयक में ही ऐसे पर्याप्त उपबंध रखे गये हैं जिन से हम संस्था

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री च रा० पट्टाभिरामन्]

पर सरकार का काफी नियंत्रण और अंकुश रहेगा। अब यह संस्था सातवीं अनुसूची की मद संख्या ६४ के अधीन आ गई है अतः सरकार आश्वकतानुसार निदेश जारी कर सकती है।

संस्था को इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि जो आंकड़े एकत्र किये जाते हैं या जो गवेषणा की जाती है वह तत्काल प्रकाशित की जाय अन्यथा उसका कोई उपयोग नहीं है। यह भी आरोप लगाया गया है कि सारी संस्था एक व्यक्ति के इशारे पर चल रही है। यदि सरकार आवश्यक समझेगी तो इस संबंध में निदेश जारी कर सकती है। संस्था को चाहिये कि वह यथाशीघ्र भविष्य निधि को पंजीयित करवा ले। मेरे विचार से यह संस्था शिक्षार्थियों को उपाधियां और प्रमाणपत्र देने में समर्थ है उसे यह अधिकार मिलना चाहिये।

मेरे विचार से इस संस्था का नियम ३ जिसमें यह कहा गया है कि दिल्ली अथवा कलकत्ते के व्यक्तियों से ही परिषद के सदस्य चुने जाने चाहिय आज की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नितांत अनुचित है। यदि संस्था अपने को किसी विशेष क्षेत्र अथवा प्रांत से संबद्ध रखेगी तो सभा को पूरा अधिकार होगा कि उसकी आलोचना करे।

मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूँ।

†**श्री रंगा :** (तेनाली): ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधान मंत्री ने इस विधेयक का भली भांति अध्ययन नहीं किया अन्यथा वे इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का समर्थन करते।

सदस्यों ने इस वधेयक पर दो प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं। कुछ का कथन है कि इस संस्था पर अंकुश रखने व इस पर अधिक नियंत्रण रखने के लिये ही यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। कुछ सदस्यों का कथन है कि इस संस्था पर इतना भी नियंत्रण नहीं रखा जा रहा है जितना की केन्द्र द्वारा व्यवस्थापित या सहायताप्राप्त विश्वविद्यालयों में रखा जाता है। अतः इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजना चाहिये जिससे इस बात का निर्णय हो सके कि किस सीमा तक नियंत्रण रखना उचित होगा।

यह संस्था अल्पाधक रूप से एक ही व्यक्ति के संकेत पर चल रही है। तथापि यह आवश्यक नहीं है कि वह व्यक्ति अच्छा प्रशासक भी हो और विशेषतः अब जब कि इस संस्था में १००० व्यक्ति काम कर रहे हैं हमें एक अच्छे प्रशासक की आवश्यकता है तथा इस बात की आवश्यकता है कि कर्मचारियों की नियुक्ति पदोन्नति, इत्यादि की उचित व्यवस्था की जाय।

समझ में नहीं आता कि इस विशेष संस्था को ही यह विशेषाधिकार क्यों दिया जा रहा हैं। जब कि देश में कई सांख्यकीय संस्थायें हैं जिन्होंने कम महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया है। इसका परिणाम यह होगा कि अन्य संस्थाओं की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी और जो वर्तमान संस्थायें हैं वे भी पनप नहीं सकेंगी।

देश में आंकड़े जमा करने के लिये केन्द्रीय मंत्रालयों के व राज्य सरकारों के भी कई विभाग हैं उनका आपस में क्या सामंजस्य और समायोजन होगा इस संबंध में कोई बात नहीं कही गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

संसद का संस्था के प्रशासन में क्या अंकुश रहेगा, यह बात भी विधेयक में विहित नहीं की गई है।

कई मौकों पर जबकि खाद्य और कृषि संगठन ने संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में देश में सांख्यकीय गोष्ठियां करने का निश्चय किया तो यह कार्य नहीं किया गया। प्रधान मंत्री जी को चाहिये कि वे इस संस्था के कार्यों पर आलोचनात्मक दृष्टि से गौर करें और इसे भारत की प्रतिनिधि संस्था बनाने में सहयोग दें।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** कुछ माननीय सदयों ने पूछा कि इस विधेयक का संचालन मैं क्यों कर रहा हूं और गृह-कार्य मंत्री क्यों नहीं कर रहे है। इसका उत्तर यह है कि यह विषय मंत्रीमंडल सचिवालय के अधीन है और मैं स्वयं इसे देखता हूं।

अनेक बातें उठाई गयी हैं लेकिन उनमें से बहुत सी प्रांसगिक नहीं हैं। कर्मचारियों आदि की बातें, उनकी भरती की बातें आदि विधेयक के अधीन नहीं आतीं। इसका प्रबन्ध एक स्वायत्तशासी संगठन कर रहा है जो कर्मचारियों की समस्याओं को देखता है। कमंचारियों को शिकायतें कहां नहीं होतीं। मेरा ख्याल है सभी बातों को देखते हुये इस संगठन ने काम बहुत संतोषजनक प्रकार से किया है। यह भी कहा गया कि वहां एक ही व्यक्ति सर्वेसर्वा है। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। इसका डायरेक्टर डायरेक्टर की हैसियत से नहीं बल्कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक होने के कारण —अपने सभी साथियों के ऊपर है, जो कि सब महत्वपूर्ण साथी हैं। जहां तक प्रशासन आदि का प्रश्न है, सारा काम कार्यकारिणी परिषद के हाथ में है, जिसमें श्री सी० डी० देशमुख, श्री धीरेन मैत्रा जैसे तथा अन्य प्रसिद्ध लोग हैं। इस परिषद की बैठकों में डायरेक्टर तो हमेशा उपस्थित भी नहीं होता। पर जहां पर मुख्य वैज्ञानिक निदेशों का संबंध होता है, स्वाभाविक है, इसमें उसका बड़ा हाथ होता हैं।

प्रो० रंगा ने सांख्यकीय विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों तथा अन्य लोगों के झगड़े की बात कही। हो सकता है अपने अपने दृष्टिकोण में उनमें मतभेद हो, जैसे बड़े–बड़े राजनीतिज्ञों में मतभेद होता है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

इस संस्था ने धीरे-धीरे काफी तरक्की की है। यदि यह न होती तो इसे ऐसी संस्था बनाने की बात सोचनी पड़ती क्योंकि राष्ट्र की गतिविधियों, आयोजन आदि में सांख्यकी का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बिना किसी भी प्रकार का आयोजन संभव नहीं हैं। सौभाग्य से हमारे देश में यह संस्था है, जिसका विकास हो गया है। अनेक वर्षों से ठेके के आधार पर यह सरकार का कार्य करती रही है। स्वतंत्रता के पूर्व भी यह संस्था यह काम करती थी। इसे ठेके के अनुसार धन दिया जाताहै। कोई संस्था इस काम को इस स्तर पर नहीं कर सकती। अलग–अलग कामों व परियोजनाओं का काम तो हो सकता है। इस सम्बन्ध में भिन्न भिन्न मंत्रालयों तथा विभागों में कुछ काम किया जा रहा है और ठीक भी है। पर यदि हम किसी मंत्रालय या किसी व्यक्ति से कहें कि वह स्वयं अपने हिसाब-किताब की जांच-पड़-ताल करे, तो हमेशा इस बात का खतरा रहेगा कि वह उसमें अपना कुछ पक्षपात कर ले। यहां तक कि मंत्री भी इस पक्षपात से अछूते नहीं हैं। अतः बाहरी लेखा परीक्षक से हिसाब-किताब की जांच कराना अच्छा समझा जाता है। इसी तरह सांख्यकी के काम में इस प्रकार के पक्षपात की आशंका रहती है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि आंकड़ों में भिन्नता होती है और आप मनमाने आंकड़े तैयार कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है। पर यदि कोई गैर-सरकारी, बाहरी संस्था द्वारा यह काम

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

कराया जाये, तो इस प्रकार के पक्षपात की गुंजाइश बहुत कम रहती है। सरकारी आंकड़ों के सम्बन्ध में हम नियंत्रण रखें तो अच्छा है। इन प्रतिवेदनों के प्रकाशन में इतना विलम्ब होने का एक कारण यह भी है कि एक सरकारी विभाग द्वारा तैयार किये गये कुछ आंकड़ों का अन्य आंकड़ों के साथ मेल नहीं बैठता था, अतः उनको मिलाया जा रहा था औरउन का परीक्षण किया जा रहा था। भविष्य में ऐसी बात कम हद तक होगी क्योंकि विभिन्न सरकारी अभिकरण जो कुछ भी काम करेंगे, उनके कार्यों में समन्वय रखा जायेगाप। आंकड़ों के सम्बन्ध में भी यह वांछनीय पाया गया है कि उसी प्रकार के आंकड़ों को दो भिन्न तरीकों से इकट्ठा किया जाये और उसके बाद उनका मिलान किया जाय। यदि मिलाने पर दोनों में थोड़ा ही अन्तर हो, तो यह महसूस होता है कि आंकड़े उससे अधिक सही होंगे जितने कि सिर्फ एक तरीके से इकट्ठा किये गये आंकड़ होते। नमूना सर्वेक्षणों की बात ले लीजिये। यदि आप दो नमूना सर्वेक्षण करें और उनके परिणाम मिलाने पर एक-से हों, तो उन्हें अधिक विश्वसनीय माना जा सकता है--हो सकता है कि उनमें एक आधे प्रतिशत का फर्क हो। अतः ऐसी एक संस्था की बड़ी जरूरत थी ; सांख्यकीय के सम्बन्ध में दूसरी कोई संस्था नहीं है।

प्रो० रंगा ने मुझसे पूछा था कि कृषि तथा अन्य बातों के लिये आप ऐसी कोई संस्था क्यों नहीं बनाते। मैं उनकी बात का जवाब यहां नहीं दे सकता। यदि आवश्यकता पड़ी और ऐसी कोई संस्था बन सकी, तो अच्छी बात होगी। भारतीय कृषि गवेषणा परिषद इस सम्बन्ध में बहुत अच्छा काम कर रही है। वह लगभग पूर्णतः एक सरकारी संस्था है। उसे विशेष प्रकार की संस्था का रूप देने की बात भविष्य की बात है।

मेरा कहना है कि ऐसी संस्था का पूर्णतः सरकारी न होना ही अच्छा है क्योंकि सरकारी होने पर सरकारी तथा अन्य आंकड़ों की छानबीन में कुछ पक्षपात होने की गुंजाइश हो जायेगी। साथ ही ऐसी संस्था को बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक मनमानी करने तथा धन व्यय करने की छूट भी नहीं दी जा सकती। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि यह एक नया ढंग व तरीका है और यदि यह सफल रहा, तो अन्य प्रयोजनों के लिये भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यह तरीका काफी विकेन्द्रीकृत, स्वायत्तता पूर्ण तथा स्वतंत्र है, फिर भी सरकार का कई प्रकार से इस पर प्रभाव--छानबीन आदि के रूप में--रहेगा, जहां तक कि निदेश देने, उनके काम की छानबीन करने तथा उसके बारे में जांच पड़ताल करने का सम्बन्ध है। यह सब से अधिक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि जब आप धन व्यय करते हैं तो आपको यह भी देखना पड़ता है कि धन का ठीक उपयोग हुआ है या नहीं और क्या उसका वांछित परिणाम निकला है या नहीं। धन का ठीक ढंग से इस्तेमाल होना ही काफी नहीं है बल्कि उसका उचित परिणाम भी निकलना चाहिये।

अतः काफी विचार के बाद यह उपाय निकाला गया है। मैं श्री रंगा को विश्वास दिलाता हूं कि इस मामले पर बहुत अच्छी तरह विचार कर लिया गया है। विभिन्न मंत्रालयों तथा बहुत से व्यक्तियों से इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर लिया गया है। यदि अब भी कुछ त्रुटि हों, तो वे हमारी मानवीय ुटियां हैं और हम उनको काबू में नहीं कर सकते।

छोटी-छोटी कई बात उठाई गईं। लेकिन मेरा निवेदन है कि सरकारी देखभाल तथा निदेश आदि के अधीन एक स्वायत्तशासी संगठन बनाने की बात एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उसके सामान्य कार्यक्रम तथा आन्तरिक कारबार में सरकार का नियंत्रण नहीं होगा। यह कहना ठीक नहीं है कि

इस संस्था का संचालन केवल एक व्यक्ति कर रहा है। इतनी बड़ी किसी संस्था को कोई भी व्यक्ति अकेले नहीं चला सकता। वह निदेश भले ही दे सकता है, और कार्य के ढंग आदि का सुझाव दे सकता है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि इस संस्था का प्राण प्रो० महलनवीस ही रहे हैं। उन्होंने ही इसे शुरू किया। हमारा सौभाग्य है कि इतना महान व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण काम कर रहा है। केवल भारत में ही नहीं, बल्कि सारे संसार में उन्हें ख्याति मिल चुकी है। एशिया, यूरोप तथा अमरीका की सरकारों से उन्हें निरन्तर आमंत्रण मिल रहे हैं। उनका कुछ समय बाहर भी बीता है। एक माननीय सदस्य ने पूछा कि वह हमेशा अपनी पत्नी को अपने साथ क्यों ले जाते हैं। जब उन्हें कोई देश बुलाता है, तो वहां उनका तथा उनकी पत्नी का भी खर्च देता है। काफी समय से वेतन न लेने के कारण उनकी जमा तनख्वाह में से भी कभी-कभी धन ले लिया जाता है जो कि उनकी यात्रा आदि पर व्यय होता है--उनकी यात्रा का खर्च अनुदान की राशि से नहीं किया जाता। यदाकदा कुछ नवयुवकों को भी वह अपने साथ ले जाते हैं, जो उनकी मदद करते हैं और प्रशिक्षण भी लेते हैं। उनके कुछ अच्छे साथी उनके साथ बाहर हो आये हैं। और परिक्षा भी ल आये हैं जब कुछ दिनों तक लेक्चर देने के लिये उन्हें बुलाया जाता है, तो वह अन्य लोगों को अपने साथ नहीं ले जा सकते।

कोई संवधानिक बात भी उठाई गई थी, मैं उसे समझ नहीं पाया। पर यह कहना कि इस संस्था या संगठन का कोई स्वरूप नहीं है, ीक व सही नहीं है। इसका एक स्वरूप है। यदि आपको वर्तमान स्वरूप पसन्द नहीं है, आप उसे ठीक कर ले उसे सुधार लें पर इस संस्था का एक स्वरूप अवश्य है।

जिस ढंग से इस संस्था को मान्यता देने की बात कही गई है उसका एक मतलब यह भी है कि इस संस्था को अधिक स्थायित्व प्रदान किया जाये। वहां पर लोगों के भरती किये जाने के सम्बन्ध में मुझे कहना है कि लोगों को अनियत समय के लिये, जैसे १० या १५ वर्ष के लिये भरती नहीं किया जा सकता। एक निश्चित अवधि के लिये लोगों को ठेके पर लिया जाता है क्योंकि उन्हें यह पता नहीं होता कि आगामी वर्षों में उनके पास कितना काम रहेगा। यदि सरकार उन्हें काम न दे, तो बहुत से व्यक्तियों को निकाल दिया जायेगा अतः यदि इस संस्था को अधिक स्थायित्व प्रदान किया जायेगा, तो कर्मचारियों तथा अन्य लोगों के लिये भी यह अच्छा होगा।

†**श्री विमल घोष** (बैरकपुर) : क्या आप कर्मचारियों को स्थायी बनाने की बात कह रहे हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं यह नहीं कह रहा हूं। वैज्ञानिकों को ठेके के आधार पर कुछ वर्षों--५ वर्ष या लगभग इतने ही वर्षों के लिये--लिया जा सकता है। यह स्वयं उनके लिये तथा संस्था के लिये भी अच्छा होगा।

किसी ने यह भी कहा कि इनकी भरती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा या अन्य ऐसे ही तरीकों से क्यों न हो ?

†**श्री रंगा** : उनका मतलब था कि किसी आन्तरिक संविहित व्यवस्था द्वारा भरती हो पदोन्नति हो।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : आन्तरिक व्यवस्था द्वारा ही लोगों की भरती की जाती है। मेरा स्वयं का अनुभव है कि सांख्यकीय विशेषज्ञों की भरती में बड़ी सावधानी बरती जाती थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

संघ लोक सेवा आयोग सरकारी कर्मचारियों की भरती के लिये एक प्रशंसनीय संस्था है। सरकारी कर्मचारियों को जो काम करना पड़ता है, उसी दृष्टिकोण से वह भरती करता है। पर वैज्ञानिकों की भरती के लिये वह दष्टिकोण ठीक नहीं बैठता। दूसरे, मैंने संघ सेवा आयोग में देखा है कि एक बहुत ही बुद्धिमान वैज्ञानिक, जो प्रश्नों का उत्तर देते समय लड़खड़ा गया अर्थात प्रश्नों का ठीक उत्तर नहीं दे सका, नहीं लिया गया और अन्य व्यक्ति जो उससे कम योग्य थे, ले लिये गये। मैं आयोग को कोई दोष नहीं देता क्योंकि वह तो हाजिरजवाबी आदि के आधार पर चुनाव करता है। यदि कोई घबरा जाता है तो आयोग उसे कम अंक देता है। वैज्ञानिक प्रायः ऐसे प्रश्नों के सम्बन्ध में घबरा जाते हैं। मैंने देखा कि बुद्धि कम होने पर भी हाजिरजवाब लोग ऐसे अवसर पर सफल हो जाते हैं। इसमें किसी का दोष नहीं है। यदि मैं आयोग में होता, तो मैं भी ऐसा ही करता। अब आयोग में भी कुछ सुधार किया गया है। जब वह किसी वैज्ञानिक या विशेषज्ञ का चुनाव करता है, तो किसी वैज्ञानिक या विशेषज्ञ को भी आयोग में ले लिया जाता है, जिसकी बात का कुछ प्रभाव होता है। पर मैं नहीं समझता कि वैज्ञानिकों और विशषज्ञों की नियुक्ति के लिये कानूनन ऐसा कोई विशेषज्ञ बोर्ड बनाया जाना चाहिये। डिग्रियों का अपना महत्व अवश्य है पर मुख्य बात सफलतापूर्वक काम सम्पन्न करने की योग्यता है। अपनी योग्यता तथा अच्छे काम के ही बल पर कोई व्यक्ति तरक्की करके ऊंचे तक पहुंच पाता है। सेना को ही ले लीजिये, कुछ छोटे-छोटे पदों को छोड़ कर अन्य पदों के लिय सेवा काल आदि का ही महत्व नहीं होता बल्कि कार्यकुशलता का सर्वाधिक महत्व होता है।

टेबुलेटिंग मशीनों के किराये के रूप में अमरीका व ब्रिटेन की कुछ संस्थाओं को ८ या ९ लाख रुपया दिये जाने की बात भी उठायी गई। मैंने पता लगा लिया है कि ये मशीनें भारत में उपलब्ध नहीं हैं। जब तक वह उपलब्ध नहीं हो जातीं, उन्हें किराये पर विदेशों से मंगाना होगा। इन जटिल मशीनों को खरीदा भी नहीं जा सकता। अन्य देश भी सामान्यतः ऐसा ही करते हैं। भारतीय सांख्यकीय संस्था ने कुछ सांख्यकीय मशीनें बनाई हैं जिनका वे इस्तेमाल कर रहे हैं और जिन्हें वे बेच भी रहे हैं। आशा है कि वे अन्य प्रकार की मशीनें भी बनायेंगे।

जहां तक प्रशिक्षण का प्रश्न है। नियमित रूप से यहां प्रशिक्षण दिया जाता है। सैकड़ों विदेशी प्रतिवर्ष यहां प्रशिक्षण के लिये आते हैं क्योंकि वह यहां के प्रशिक्षण को अच्छा समझते हैं। यहां ८००० भारतीयों के अतिरिक्त लगभग २४० विदेशी व्यक्तियों को भी प्रशिक्षण दिया जा चुका है। यह एक उच्च श्रेणी का प्रशिक्षण केन्द्र है और यह ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र है कि युनेस्को भी इसे आर्थिक सहायता देता है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का काम अच्छा नहीं रहा है। शायद ऐसा हो, मैं नहीं जानता। पर सामान्य रूप से इसका काम अच्छा रहा है और इसने सुधार भी किया है। जहां इन्सान काम करते हैं वहां गलती हो ही जाती है। पर ऐसा देखा गया है कि नमूना सर्वेक्षण प्रायः अधिक सही होते हैं पूर्ण जनगणना के बजाय। ऐसा क्यों होता है ? इसलिये कि इसे गैर-प्रशिक्षित लोग तैयार करते हैं। इस काम के लिये आपको सैकड़ों या हजारों प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं मिल सकते, जब कि नमूना सर्वेक्षण का काम प्रशिक्षित व्यक्ति करते हैं। नतीजा यह होता है कि चाहे नमूने के ही लिये हो, वे अधिक सही फल प्राप्त कर पाते हैं। आज नमूना सर्वेक्षण का महत्व कुछ स्थानों पर बहुत बढ़ गया है।

मेरा निवेदन है कि सभा इस विषय पर विस्तृत पहलू को सामने रख कर विचार करे। हम एक महान संस्था का विकास करने जा रहे हैं। अन्य संस्थाओं का विकास होता है, तो अच्छा ही है

पर इस प्रकार की एक बड़ी संस्था हमारे यहां दूसरी नहीं है। हम इसे एक निश्चित मान व स्थान प्रदान करने जा रहे हैं।

जहां तक धन का सम्बन्ध है, हम इसे धन देते रहे हैं। संस्था को नहीं, बल्कि हम इससे कुछ काम करवाते रहे हैं उसके बदले में। भारत में अन्य कोई संस्था उन कामों को इतनी अच्छी तरह नहीं कर सकती थी। हम इस संस्था को यह मान व स्थान इसलिये देना पसन्द करते हैं कि हमारा काम और भी अच्छा हो और उस संस्था को प्रगति के लिये प्रेरणा मिले और वह सुन्दर भविष्य के लिये तैयारी करे। साथ ही हम चाहते हैं कि हमारे देश में अच्छे सांख्यकीय विशेषज्ञ पदा हों।

डिग्री आदि देने के सम्बन्ध में, किसी ने बताया कि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसके विरुद्ध कुछ कहा था। पर उन्होंने इसके विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने यह कहा है कि इसे विश्वविद्यालय न कहा जाये, यह उससे भिन्न संस्था है। उन्होंने डिग्री आदि देने के बारे में ऐसी कोई बात नहीं कही।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि भारतीय सांख्यकीय संस्था को, जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय इस समय कलकत्ते में है, एक राष्ट्रीय महत्व को संस्था घोषित करने और कुछ तत्सम्बन्धी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे। पहले खण्ड २ लिया जायेगा।

†**श्री नरसिंहन्** (कृष्णगिरि) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। वित्तीय ज्ञापन में, पैरा ४ में कहा गया है :

"संस्था को खर्च के लिये दिया गया सारा धन संस्था की निधि माना जायेगा।"

विधेयक में कोई ऐसा उपबन्ध नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** इस शब्दावली को ठीक कर लिया गया है। अब वाक्य इस तरह है :

"संस्था को खर्च के लिये दिया गया सारा धन संस्था के हिसाब में जमा कर दिया जायेगा।"

अतः स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड ३–(भारतीय सांख्यकीय संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करना

†**श्री अ० चं० गह** (बारसाट) : भारतीय सांख्यकीय संस्था विधेयक पर चर्चा करना एक बड़ी प्रसन्नता का विषय है। इस सांख्यकीय संस्था का विकास एक ही व्यक्ति के निरन्तर

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० चं० गुह]

परिश्रम, अध्यवसाय और उद्यम का फल है। और अब उसके बल पर ही इस संस्था ने अपने क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है। इस संस्था ने विदेशों से आने वाले विद्यार्थियों को भी प्रशिक्षित किया है और ठेके के आधार पर केन्द्रीय सरकार तथा कुछ अन्य सरकारों का भी काम किया है।

इसी प्रकार की एक अन्य संस्था--व्यवहारिक आर्थिक गवेषणा संस्था--दिल्ली में बनी है। उसे भी कई राज्य सरकारों ने काफी महत्वपूर्ण कार्य सौंपा है। इस प्रकार की कई और भी संस्था हैं, जैसे कि बंगलौर की संस्था। भारत सरकार ने इन संस्थाओं के लिये काफी राशि मंजूर की हैं। फिर भी ये निजी सस्थायें भारत सरकार के सीधे नियत्रण में नहीं हैं और न भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक उनके लेखों की लेखा-परीक्षा ही करते हैं।

यह सही है कि भारत सरकार इस सांख्यकीय संस्था को हर साल लगभग ८० या ९० लाख रुपये के अनुदान देती रही है लेकिन वह संस्था द्वारा की जाने वाली सेवाओं के बदले ही। इसलिए उसकी लेखा-परीक्षा का प्रश्न ही नहीं जठजता।

इस विधेयक के खण्ड ६ में व्यवस्था की गई है कि सरकार इस संस्था को गवेषणा कार्य या संस्था के विकास के लिये जितना भी रुपया ठेके के आधार पर देगी, उसके उचित व्यय की जांच करने का अधिकार सरकार को रहेगा। इस सम्बन्ध में, मेरा सुझाव है कि सरकार को लेखा परीक्षक का जो प्रतिवेदन दिया जाये, उसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ सभा में प्रस्तुत किया जाये। इससे श्री विमल घोष को भी संतोष हो जायेगा।

मुझे श्री महन्ती की इस आपत्ति से बड़ा आश्चर्य हुआ है कि इस संस्था को डिग्रियां और डिप्लोमा देने का अधिकार न दिया जाये।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा) : इस संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करना सर्वथा उचित है। पूरे एशिया और अफ़्रीका में उसके जोड़ की कोई संस्था नहीं है। इसकी स्थापना १९३२ में गई थी और एक ही व्यक्ति ने इसका कार्य शुरू किया था। आज उसमें २,००० कार्यकर्त्ता काम कर रहे हैं।

भारत सरकार को ऐसी संस्था को जीवित रखना चाहिये।

आचार्य कृपालानी ने इस संस्था के बारे में उड़ती हुई जिन अफवाहों का जिक्र किया है उनके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं। श्री मुकर्जी ने नियुक्तियों के बारे में जो भी कहा है, मैं उससे सहमत हूं। इससे काम करने वाले कार्य कर्त्ताओं की नियुक्तियों, उनकी पदावधि, पदोन्नति और निवृत्ति-वेतनों, इत्यादि के बारे में संविहित नियम और विनियम बनने चाहियें। इन सुझावों पर विचार करना चाहिये।

इस संस्था की यह आलोचना बेमतलब है कि इसके पीछे केवल एक ही व्यक्ति है, जो इसे चलाता है और इसका सर्वेसर्वा है। हर संस्था के पीछे, उसकी स्थापना और उसके संचालन के पीछे, एक ही व्यक्ति की प्रेरणा काम करती है। कांग्रेस दल के बारे में भी यही कहा जाता है। इस संस्था को तो १९३५ में ही सर जेम्स ग्रिग जैसे व्यक्ति ने ५,००० रुपये का दान दिया था। श्री देशमुख, श्री एडवर्ड बेन्थल और श्री नलिनीरंजन सरकार जैसे व्याक्त इस संस्था के सभापति रह चुके हैं। इसी से इस संस्था का महत्व जाना जा सकता है।

---

†मूल अग्रेजी में।

और, सांख्यकी का महत्व इतना बड़ा है कि उसके बिना सरकार का कोई भी काम नहीं चल सकता ।

दूसरी चीज़ यह है कि हमें प्रोफेसर महलनवीस को उनकी विदेश-यात्रा के दौरान में उनकी अपनी पत्नी को साथ ले जाने की अनुमति देनी चाहिये । प्रोफेसर महलनवीस की अवस्था ६० या ७० वर्ष है । श्री मुरारका को मानवीयता का भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिये । उन्हें इस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिये ।

अखिल भारतीय चिकित्सा प्रतिष्ठान भी एक स्वायत्त संस्था के रूप में चल रहा है, फिर आचार्य कृपालानी को इस संस्था को भी स्वायत्तता देने पर क्यों आपत्ति है ? इस संस्था ने हमारे राष्ट्रीय और सार्वजनिक जीवन के विभिन्न पहलूओं पर कई बड़े अच्छे पैम्फलेट तैयार किये हैं । इसलिये मैं कहता हूं कि यह एक बड़ा महत्वपूर्ण विधेयक है ।

†**श्री विमल घोष :** मैं इस बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं कि इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद इस संस्था की संस्थिति क्या होगी ? मैं मानता हूं कि इस संस्था ने, और इसके निदेशक ने, सांख्यकीय गवेषणा, प्रशिक्षण और संग्रह के बारे में बड़ा सराहनीय कार्य किया है । लेकिन यह उचित नहीं है कि यह सभी कार्य एक ही संस्था करे । इसलिये कि हमारे देश में सांख्यकीय कार्य करने वाली ऐसी तीन संस्थायें और भी मौजूद हैं । उनमें काम का उचित बंटवारा होना चाहिये ।

क्या इस संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित कर देने के बाद भी, यह सरकार का काम ठेके के आधार पर ही करती रहेगी ? मैं तो समझता हूं कि यह उचित नहीं है, क्योंकि कई प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने शिकायत की है कि यह संस्था बहुत अधिक फीस लेती है ।

इस विधेयक से स्पष्ट ही नहीं होता कि इसके पारित हो जाने के बाद भी सरकार इस संस्था को इसके कार्य-संचालन के लिये निधियां देती या नहीं, और यह संस्था सरकारी काम ठेके के आधार पर ही करती रहेगी या किसी अन्य आधार पर ? इसीलिये मैं चाहता हूं कि इसका स्पष्टीकरण किया जाये ।

मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री इस प्रश्न पर विचार करें कि इस संस्था को सांख्यकीय गवेषणा और प्रशिक्षण का कार्य ही दिया जाये और ऐसी ही अन्य संस्थाओं को सांख्यकीय संग्रह और गणना का काम दिया जाये या नहीं । मैं तो समझता हूं कि ऐसे बंटवारे से इस संस्था का काम और भी अच्छे ढंग से चलने लगेगा ।

†**श्री च० क० भट्टाचार्य** (पश्चिम-दीनाजपुर): मैं इस खण्ड का हार्दिक स्वागत करता हूं । इस संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करना देश के लिये बड़ा उपयोगी होगा ।

कुछ माननीय सदस्यों ने ऊपरी ढंग से तो इस विधेयक की बड़ी प्रशंसा की है, लेकिन फिर बाद में इसकी आलोचना की है । यह कोई अच्छा रुख नहीं है । इस विधेयक की व्यवस्थायें भारतीय सांख्यकीय संस्था के नियंत्रण के लिये ही हैं । उसकी सहायता के लिये अधिक कुछ नहीं किया जा रहा है । आशा है कि आगे चल कर सरकार इस संस्था की पूरी-पूरी सहायता करेगी ।

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री च० क० भट्टाचार्य]

आचार्य कृपालानी ने यह भय प्रकट किया है कि इसे निजी या गैर-सरकारी संस्था बनाये रखने से शायद इस पर कुछ लोगों का कब्जा हो सकता है। कब्जा तो संविहित निकायों पर भी हो सकता है और हुआ भी है।

मैं प्रधान मंत्री को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस संस्था को सरकार के विभागीय नियंत्रण में नहीं रखा है। हमारी प्रशासकीय व्यवस्था ऐसी है कि उससे कभी-कभी लोगों की पहलकदमी और कार्य क्षमता का दम घुट जाता है। इस विधेयक में इसका ध्यान रखा गया है। श्री मुरारका और प्रोफेसर रंगा ने जिस नियम का उल्लेख किया है वह आज तक कभी भी प्रवृत्त नहीं हुआ। इसलिये उनका भय निराधार है। उस नियम को कभी भी प्रभावी नहीं बनाया गया।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि इस संस्था का सर्वेसर्वा एक ही व्यक्ति है। महान् प्रतिभाशाली व्यक्तियों के साथ अक्सर यही होता रहा है। हमारे देश की कई बड़ी-बड़ी संस्थायें इसी प्रकार महान प्रतिभाशाली व्यक्तियों के अकेले परिश्रम और अध्यवसाय के बल पर ही स्थापित हुई और फली-फूली हैं। इस पर किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

†**श्री नरसिंहन्** : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किसी भी संस्था को डिग्रियां प्रदान करने का अधिकार दे सकता है और उसे अनुदान भी दे सकता है। फिर इस संस्था के लिये आयोग की उस शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं किया गया ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : सरकार को इसे अनुदान देने में अब तक कोई अड़चन महसूस नहीं हुई। इसे अनुदान दिये भी गये हैं। इसलिये यह सवाल ही नहीं उठता।

मैं एक-दो बातों की कुछ सफ़ाई करना चाहता हूं। श्री गुह का सुझाव है कि सरकार को एक प्रथा बना देनी चाहिये कि लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट जो सरकार को भेजी जाये, उसे नियंत्रक महालेख परीक्षक के पास भेजा जाये, और उसे फिर उनकी राय के साथ सरकार संसद् में पेश कर दे। मैं इसे बिल्कुल सही मानता हूं। असल में हमारा भी यही मंशा है। मैं इस संस्था की सालाना रिपोर्ट भी संसद् के सामने रखूंगा।

एक माननीय सदस्य ने पूछा है कि इस संस्था का स्तर क्या होगा। इस सवाल का जवाब देना थोड़ा कुछ मुश्किल है, इसलिये कि 'स्तर' एक ऐसी चीज़ है जिसे बिलकुल साफ़-साफ़ ढंग से ठीक-ठीक बताना मुश्किल होता है। मैं तो सिर्फ़ मान क्रमपत्र पूर्वता अधिपत्र (वारन्ट ऑफ़ प्रीसीडेन्स) को समझता हूं कि किसके पहले किस को रखा जाये। लेकिन यहां तो वह सवाल नहीं।

हां, मैं इस बात को कतई ठीक नहीं समझता कि खोजबीन और सिखाने-पढ़ाने के काम को अमली काम से अलग रखा जाये। इससे दोनों ही काम बिगड़ेंगे। असलियत तो यह है कि आजकल सिखाने-पढ़ाने के काम में भी कुछ अमली काम शामिल किया जा रहा है। अगर इन दोनों को अलग कर दिया जाये तो सिखाने-पढ़ाने और खोजबीन का काम करने वाले अपनी एक अलग ही दुनिया में रहने लगेंगे। आम जनता से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं रह जायेगा। उन्हें बाहर की दुनिया और उसके हालात की कोई जानकारी ही नहीं रहेगी। इसलिये इन दोनों को मिला जुला कर ही रखना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री घोष ने पूछा है कि क्या आगे भी यह संस्था ठेके के आधार पर ही काम करती रहेगी ? जी, हां, जरूर। अगले खण्ड में कहा गया है कि सरकार जितना भी जरूरी समझेगी इस संस्था को उतना अनुदान या कर्ज़ देगी। मेरा ख्याल है कि काफी काम ठेके के आधार पर ही होगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ४—संस्था द्वारा डिग्रियों और डिप्लोमाओं का प्रदान किया जाना

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम खण्ड ४ लेते हैं । श्री घोष अपना संशोधन रख रहे हैं ?

†**श्री विमल घोष** : प्रधान मंत्री ने मेरी बात को ग़लत समझा। मेरा आयश यही था कि सरकार को इस बात की जानकारी होनी चाहिये कि डिग्रियां कैसे प्रदान की जा रही हैं और उनका मानदण्ड क्या है। इस विधेयक में इसे पूरी तौर से संस्था पर ही छोड़ दिया गया है। मैं चाहता हूं कि सरकार को भी इसकी कुछ जानकारी रहनी चाहिये। वह ज्यादा अच्छा होगा। इसी दृष्टि से मैं अपना संशोधन संख्या २ प्रस्तुत करता हूं।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस क्लाज़ ४ के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। माननीय प्रधान मंत्री ने अभी बताया कि इस संस्था को वह स्वतंत्र रखना चाहते हैं और यह नहीं चाहते हैं कि सरकार का उस पर ज्यादा नियंत्रण रहे। इस संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया जाये, इस में तो मैं समझता हूं कि किसी भी सदस्य को विरोध नहीं होना चाहिए। यह बहुत ही गौरव की बात है कि एक व्यक्ति विशेष के उत्साह और उद्यम से स्थापित की हुई संस्था राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की हो गई है और इस माननीय सम्मानित सदन को उस को राष्ट्रीय संस्था घोषित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। जैसा कि अभी हमने क्लाज़ २ में पास किया है, इस इंस्टीच्यूट के रूल्ज़ और रेगुलेशन्ज़ और मेमोरडम आफ़ एसोसियेशन सोसायटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट (संस्था पंजीयन अधिनियम) के मुताबिक बनेंग। वही नियम और कायदे अभी इस संस्था के रहेंगे, लेकिन आगे चल कर क्लाज़ ७ में यह प्रोवाइड (व्यवस्था) किया गया है कि यह संस्था नियमों में तब तक परिवर्तन नहीं कर सकती है, जब तक कि सरकार को अनुमति या मन्जूरी न ली जाय। मैं इस का स्वागत करता हूं। लेकिन जब इस संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया जा रहा है और इस क्लाज़ क ज़रिये से उस को डिग्री और डिप्लोमा देने का अधिकार दिया जा रहा है, तो अच्छा होता कि इस विधयक में—— स कानून में——हम संस्था का संगठन, उसके कार्य क्षेत्र, उस के मुख्य-मुख्य काम और उस को चलाने वाले प्रशासक मंडल या परिषद के बारे में प्रिसाइज़ली, संक्षिप्त रूप में एक विवरण दे दिया जाता। जिस तरह जब हम कोई यूनिवर्सिटी बनाते हैं, जिस को डिग्री और डिप्लोमा देने का अधिकार देते हैं, तो वह उनके लिए चार्टर के तौर पर होता है। एक एकैडेमिक कौंसिल होती है और उसके द्वारा स्टेच्यूट्स (संविधि) बनाए जाते हैं। उन स्टैच्यूट्स म जब परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है, तो यूनिवर्सिटी के विज़िटर जो होते हैं, उनको सरकार की तरफ़ से उन में परिवर्तन करने का अधिकार होता है। एक महत्वपूर्ण काम इस संस्था को दिया जा रहा है। यद्यपि ये शब्द नहीं हैं कि वह शिक्षा देगी या नहीं देगी, लेकिन हम ने देखा है कि वर्तमान मेमोरडम आफ़ एसोसियशन

†मूल अंग्रेजी में

[श्री श्रीनारायण दास]

के मुताबिक वह एक स्कूल जैसी संस्था चला रही है। मैं समझता हूं कि पढ़ाने का अधिकार भी उस को है । डिग्री और डिप्लोमा देने का अधिकार उस को दिया जा रहा है। जो डिग्री और डिप्लोमा देने वाले होंगे, जो संस्था का काम करने वाले होंगे, जिन की राय से डिग्री और डिप्लोमा दिए जाएंगे, इस विधेयक में उनके कार्य-क्षेत्र, इस संस्था के निर्माण और उस के कांस्टीच्यूशन वगैरह का विवरण अगर दिया गया होता, तो अच्छा होता। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि खड़गपुर इंस्टीच्यूट भी एक संस्था थी, जो सरकार से सहायता पाती थी, लेकिन वह राष्ट्रीय महत्व की संस्था नहीं थी। कई बरस पहले हमने ऐसी संस्थायें बनाई थीं। अभी भी खड़गपुर इंस्टीच्यूट और दूसरी संस्थायें अपने काम में स्वतंत्र हैं और उन के हर एक काम में सरकार का नियंत्रण नहीं है, लेकिन फिर भी जिस विधेयक के द्वारा उनको राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया जाये, उस में इन संस्थाओं के निर्माण की बात भी रहे। मेरा ख्याल है कि यह विधेयक सम्पूर्ण नहीं मालूम पड़ता है, यद्यपि जहां तक मेरा ख्याल है आगे चल कर क्लाज़ ७ के ज़रिये से जब कभी भी आवश्यकता होगी, तो सरकार उन नियमों में परिवर्तन ला सकेगी। ऐसा मेरा विश्वास है, फिर भी मेरा ख्याल है कि इस संस्था के संगठन का या उस के कार्य-क्षेत्र का पूरा विवरण इस में संक्षेप में दिया गया रहता, तो यह ज्यादा स्वागत के योग्य बात होती ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं श्री घोष का संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता । मैं यह नहीं मानता कि सरकार को डिग्रियां वगैरह के मामले में अनुमोदन करने की शक्ति रहनी चाहिये। बात मेरी समझ में नहीं आती । श्री घोष को डर है कि डिग्रियों का दर्जा, ऊंचा नहीं रहेगा । उसके लिये सरकार हिदायतें भेजेगी या जांच भी करा सकेगी। यह ठीक है, और इसकी गुंजाइश इस में रखी गई है । मुझे तो पूरा यकीन है कि डिग्रियां देने के मामले में यह संस्था किसी भी सरकारी दफ्तर से ज्यादा क़ाबलियत रखती है ।

संशोधन संख्या २ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब श्री हाल्दर का संशोधन संख्या १० है। जिस में नये खण्ड जोड़ने का प्रस्ताव है ।

†**श्री हाल्दर** (डायमण्ड हार्बर --रक्षित--अनुसूचित जातियां) : मैं अपना संशोधन संख्या १० प्रस्तुत करता हूं ।

हालां कि इस विधेयक में भारतीय सांख्यकीय संस्था के सोमा-नियम और अन्तर्नियम भी शामिल हैं, फिर भी सदस्यों को पूरी तौर से उनकी जांच करने का अवसर नहीं दिया गया । सरसरी निगाह से देखने पर इतना तो पता चल ही जाता है कि वे त्रुटिहीन नहीं हैं। इस संस्था की परिषद् के बारे में कोई भी परस्पर व्यवस्था नहीं की गई है। यह भी व्यवस्था नहीं है कि उस में सरकार के प्रतिनिधि रहेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस संस्था के कार्य कर्ता संस्था के रूप और उसके काम के ढंग में कुछ परिवर्तन चाहते हैं, इसीलिए परिषद् में उनके भी प्रतिनिधि रहने चाहियें। ऐसी भी शिकायतें सुनने में आई हैं कि कार्यकर्त्ताओं की नियुक्तियों, उनकी पदावधि और सेवा की शर्तों के बारे में बड़ी मनमानी होती है। कार्य कर्त्ताओं ने अपना ज्ञापन प्रधान मंत्री के पास भी भेजा था। उस से पता चलता है कि उनका दृष्टिकोण बड़ा रचनात्मक है। इसीलिए परिषद् में उनके प्रतिनिधि भी लिये जाने चाहियें।

और, इस संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने पर यह भी जरूरी हो जाता है कि सेवा और नियुक्तियों के बारे में स्पष्ट नियम बनाये जायें। यही मेरा दूसरा संशोधन है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। यह संस्था के अन्दरूनी मामलों से ताल्लुक रखता है, जिसका इस विधेयक से कोई ताल्लुक नहीं। मैं आपको यह भी बता दूं कि संस्था की परिषद् में वहां काम करने वालों के चुने हुए कई नुमाइंदें हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं संशोधन को मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन संख्या १० मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

खण्ड ५—केन्द्रीय सरकार द्वारा संस्था को अनुदान, ऋण इत्यादि

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब हम खण्ड ५ लेते हैं।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : हमारे भाई श्री आल्वा ने कहा है कि एशिया में यह इंस्टीच्यूशन अपने ढंग का एक इंस्टीच्यूशन है। मैं कहना चाहता हूं कि एशिया और अफ्रीका दोनों महाद्वीपों में यह इंस्टीच्यूशन एक ढंग का है, लेकिन इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक हिन्दुस्तान का सम्बन्ध है, इस वक्त वह एशिया और अफ्रीका में जापान के बाद सैकंड शिपिंग पावर है। इस वक्त हम डिपेंड (निर्भर) करते हैं लायड रजिस्टर पर। इंग्लैंड में लायड रजिस्टर एक इंस्टीच्यूशन है। वह स्टैटिस्टिक्स (आंकड़े) तैयार करती है और न सिर्फ़ सारा एशिया, बल्कि सारी दुनिया उस पर डिपेंड करती है। उस के स्टैटिस्टिक्स एक तरफ़ा होते हैं। हिन्दुस्तान का उस में बहुत कम हवाला दिया जाता है। लिहाज़ा हमारी सिर्फ़ एक प्रार्थना है कि शिपिंग के संबंध में समय समय पर स्टैटिस्टिक्स दिए जायें और वे इस ढंग से दिए जायें। कि .....

उपाध्यक्ष महोदय : क्या ग्रान्ट्स देने के वक्त वह लिख दें कि शिपिंग के लिए इतना खर्च हो।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक शिपिंग का सम्बन्ध है, जापान में भी अभी तक स्टैटिस्टिक्स तैयार नहीं होते हैं। सारी दुनिया लायड रजिस्टर पर डिपेंड करती है। इस लिए मैं कहता हूं कि एशिया और अफ्रीका की अवस्था को देखते हुए ऐसे स्टैटिस्टिक्स तैयार किए जायें, जो कि शिपिंग इंडस्ट्री के विकास में हम को सहायता दें।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं समझता हूं कि इस में उत्तर की कोई आवश्यकता नहीं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ५ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड ५ विधयक में जोड़ दिया गया

†**उपाध्यक्ष महोदय :** नया खण्ड ५क जोड़ने का श्री मुरारका का संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है अब हम खण्ड ६ लेते हैं।

खण्ड ६—संस्था के लेखों का लेखा-परीक्षण

†**श्री विमल घोष :** प्रधान मंत्री के आश्वासन को देखते हुए मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं करूंगा ।

†**श्री नरसिंहन्** : मैं अपना संशोधन संख्या ९ प्रस्तुत करता हूं ।

इस विधयक में प्रर्याप्त वित्तीय परिमाणों की व्यवस्था नहीं है । प्रधान मंत्री ने संस्था के वार्षिक प्रतिवेदन को संसद् के सामने रखने का आश्वासन तो दिया है, लेकिन वह काफ़ी नहीं है । संस्था के लेखों की लेखापरोक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये।

इस विधेयक के अन्तर्गत न तो संस्था को स्वायत्तता दी जा रही है और न वित्तीय सहायता देने वाली संसद को उस संस्था पर नियंत्रण रखने की शक्ति ही प्रदान की जा रही है । मैं जानना चाहता हूं कि वित्तीय परिमाणों के अभाव की पूर्ति के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

†**श्रीमती रेणुका राय** (मालदा) : प्रधान मंत्री ने आश्वासन दे दिया है कि लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पास अवश्य भेजा जाया करेगा, इसलिए मैं अपना संशोधन नहीं रखना चाहती । भारतीय सांख्यकीय संस्था तो पहले ही राष्ट्रीय महत्व की एक संस्था बन चुकी है, इसलिये उसे वैधानिक रूप में मंजूर करना उचित ही है । मैं चाहती हूं कि प्रधान मंत्री के इस आश्वासन को विधेयक में कहीं सम्मिलित कर दिया जाये ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : मैं उपखण्ड (२) के बारे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहता हूं। हालांकि लेखा-परीक्षक स्वतंत्र होते हैं फिर भी इस विधेयक में यह व्यवस्था क्यों की गई है कि लेखा-परीक्षा के मामले में सरकार निर्देश देगी ? लेखा-परीक्षकों को निदेश देने की क्या आवश्यकता है ? वे अपना कर्तव्य भली भांति समझते हैं। इसलिये इस उपखंड (२) को हटा देना चाहिये ।

†**श्री अ० चं० गुह** : मेरा विचार है कि उपखण्ड (२) को हटाया नहीं जाना चाहिये । केन्द्रीय सरकार को कुछ ऐसी जानकारी हो सकती है जिसके लिये लेखा परीक्षक को निदेश देने की आवश्यकता पड़े।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : आम तौर पर लेखा परीक्षण का मतलब यही होता है कितने की मंजूरी दी गयी थी और उसमें से उसके मुताबिक कितना खर्च हुआ। केन्द्रीय सरकार लेखा-परीक्षक से कह सकती है कि वह एक किसी खास नजरिये से हिसाब की जांच पड़ताल करे, और हमें उसको सही-सही बातें बताये। यह लेखा-परीक्षक का काम सीमित करने के लिये नहीं, बल्कि उससे कुछ और जानकारी जुटाने के लिये है ।

संशोधन संख्या ९, सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ६ विधेयक का अंग बने :"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** खंड ६क प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है : प्रश्न यह है :

"कि खंड ७ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** खंड ७ के प्रस्तावक श्री मुरारका उपस्थित नहीं हैं । इसलिये हम खंड ८ से १० तक को लेते हैं । प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

"कि खंड ८ से १० तक विधेयक का अंग बने ।"

†**श्री अ० चं० गुह :** प्रधान मंत्री ने श्री विमल घोष के संशोधन का उल्लेख करते हुये कहा था कि शिक्षा और पाठ्यक्रम, इत्यादि के बारे में शायद सरकार संस्था को कुछ निदेश दे सकेगी । लेकिन इस विधेयक के अनुसार तो केवल खंड ११ के अन्तर्गत ही निदेश दिये जा सकते हैं । और उसका क्षेत्र बहुत ही सीमित है । फिर सरकार वैसे निदेश किस तरह दे सकेगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मुझे तो इसमें कोई मुश्किल नजर नहीं आती । अधिनियम वगैरह की बात छोड़ दीजिये, तो भी कोई आसानी से केन्द्रीय सरकार की हिदायतों को अनदेखा नहीं कर सकता, वरना सरकार रुपया पैसा देना बन्द कर देगी । यही काफी है । बिलकुल साफ है कि अगर उसकी जांच के लिये कोई समिति बनाई जाती है, और वह कहती है कि वहां जो सिखाया-पढ़ाया जाता है उसका दर्जा ऊंचा नहीं है, तो सरकार जरूर संस्था से उसकी बाबत कहेगी । बिलकुल साफ है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ८ से १० तक विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ८ से १० विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** खंड १०क के बारे में संशोधन संख्या ७ प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है ।

खण्ड ११—(संस्था को निदेश जारी करने की शक्ति)

खण्ड १२—नियन्त्रण के कृत्यों को अपने हाथ में लेने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति

†**श्री नरसिंहन् :** खंड १२ में कहा गया है कि आदेश केवल दो वर्ष तक ही प्रभावी रहेगा । इससे अधिक काल तक क्यों नहीं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** आखिर हमें कोई सीमा तो रखनी ही पड़ेगी । कोई भी आदेश हमेशा के लिये तो नहीं हो सकता । दो साल का अर्सा काफी है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ११ और १२ विधेयक के अंग बनें ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ११ और १२ विधेयक में जोड़ दिये गये

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** (गुरदासपुर) : मेरे विचार से यह विधेयक बहुत देर बाद प्रस्तुत किया गया है । वस्तुतः इस विधेयक को बहुत पहिले प्रस्तुत हो जाना चाहिये था । इस संस्था ने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों तथा उसके पश्चात् बहुत उपयोगी कार्य किया है और देश की प्रगति को ध्यान में रखते हुये इस संस्था की उपयोगिता बढ़ती जा रही है ।

इस संस्था के प्रसिद्ध निदेशक के संबंध में कई बातें कही गई हैं मेरा अनुभव है कि वे बहुत योग्य, ईमानदार और अपने विषय के विशेषज्ञ हैं । मेरा अपना अनुभव है कि इस संस्था में प्रांतीयता इत्यादि बातें नहीं हैं । मेरा सरकार से निवेदन है कि वे इस संस्था को काफी काम देवें और इसके अध्यापन विभाग के विकास तथा अन्य उपयोगी कार्यों के लिये मुक्तहस्त होकर अनुदान देवें जिससे यह समाज विज्ञान के प्रसार के लिये महत्वपूर्ण कार्य कर सके ।

†**श्री विमल घोष :** मैं प्रधान मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां के कर्मचारी ठेके पर काम करते हैं तथा उनकी सेवाओं की कोई सुरक्षा नहीं है । इस स्थिति की ओर ध्यान देकर इसे सुधारने का प्रयास करना चाहिये ।

†**श्री अ० चं० गुह :** इस विधेयक को मान्यता मिलने से प्रो० महालनोविस की एक महत्वकांक्षा पूर्ण हो रही है । संस्था की छोटी मोटी त्रुटियों की आलोचना करके इस संस्था के नाम पर कलंक लगाना उचित नहीं है । मैं आशा करता हूं भविष्य में भी यह संस्था अपनी प्रसिद्धि के अनुरूप सिद्ध होगी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

त्रिपुरा भू-राजस्व तथा भूमि सुधार विधेयक— जारी

†**उपाध्यक्ष महादय :** सभा अब श्री दातार द्वारा ११ दिसम्बर, १९५९ को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा करेगी :

"कि त्रिपुरा के संघ राज्य क्षेत्र में भू-राजस्व संबंधी कानून को समेकित और संशोधित करने तथा सम्पदाओं के अर्जन और भूमि सुधार संबंधी कुछ अन्य उपायों का

---

†मूल अंग्रेजी में

उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की ३० सदस्यों की संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें २० सदस्य अर्थात्, श्री बांगशी ठाकुर, श्री रुंगसंग सुइसा, श्री वसुमतारी, श्री मधुसूदन राव, श्री घनश्याम लाल ओझा, श्री विभूति मिश्र, श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी, श्री गुलाम मोहीदीन, श्री शोभाराम, श्री राजा राम मिश्र, श्री जं० ब० सिं० विष्ट, श्री नि० बि० माईति, श्री सिद्धनंजप्पा, श्री दशरथ देव, श्री ले० अचौ सिंह, श्री प्रेम नाथ बनर्जी, श्री त्रिदिव कुमार चौधरी, श्री रामचन्द्र माझी, श्री वि० चं० प्रधान और श्री दातार इस सभा के हों और १० सदस्य राज्य सभा के हों,

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी,

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देगी,

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष द्वारा किये जायें ; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम लोक सभा को बतायें।"

†**श्री अमजद अली** (धुबरी) : मैं तथा मेरा दल इस विधेयक से पूरी तरह सहमत है। इस विधेयक के द्वारा त्रिपुरा में पहिली बार

[श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् पीठासीन हुए]

भूमि सुधार और भू-राजस्व प्रशासन संबंधी विधियों को समेकित किया गया है और इस प्रकार भूमिहीन किसानों और जमींदारों का विभेद समाप्त कर किसानों के अधिकारों का विनियमन और भूमि की अधिकतम सीमा निश्चित की गई है।

मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि त्रिपुरा एक आदिम जाति क्षेत्र है जहां आदिम जाति के लोगों को पीढ़ियों से कुछ अधिकार मिले हुये हैं यथा उन्हें बिनास्वामित्व दिये हुये लकड़ी काटने, मछली मारने इत्यादि का अधिकार मिला हुआ है। इनका इस विधेयक में कहीं भी जिक्र नहीं है।

अधिकार अभिलेखों को तैयार करने संबंधी जो उपबन्ध किये गये हैं उनसे भी त्रिपुरा के आदिम निवासियों की आवश्यकतायें पूरी नहीं होतीं हैं। मैं संयुक्त समिति से आग्रह करूंगा कि वे इस मामले पर गौर करें।

खंड १५ के संबंध में मेरा यह सुझाव है कि झूम खेती पद्धति को प्रोत्साहन देना ठीक नहीं है। इससे भूमि का कटाव बढ़ता है और मैदानी भूमि को हानि पहुंचती है।

खंड ८ के संबंध में मेरा निवेदन है कि एक दो अधिकारियों के हाथों में सारे कार्यालयों का प्रबन्ध सौंप देना उचित नहीं है इससे राजस्व प्रशासन को भी कोई लाभ नहीं होगा।

खंड १४९ के संबंध में मेरा निवेदन है कि उस खंड से परन्तुक और दृष्टांत हटा लिया जाय क्योंकि उससे उस खंड का वास्तविक अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अमजद अली]

मैं भूमि के छोटे छोटे टुकड़े करने से रोकने की व्यवस्था से सहमत हूं। भूमि के अलाभकारी टुकड़ों से किसी को लाभ नहीं होता है तथापि जब सम्पत्ति का पीढ़ी दर पीढ़ी आवंटन होता है तो ये टुकड़े अलाभकारी हो जाते हैं। अतः इनको रोकने की यह व्यवस्था होनी चाहिये कि अन्य अंश-धारियों को अंश खरीदने की पूरी छूट हो जिससे भूमि का अपखंडन न होने पाये।

†श्री रंगा (तेनालि) : इस विधेयक में कई भूमि सुधार और भू-राजस्व संबंधी विधियों को समेकित किया गया है। इस प्रकार यह विधेयक बहुत उपयोगी है तथापि समें कई जटिल उद्देश्य एक साथ सन्निहित किये गये हैं, यथा भूमि को अपखंडन से रोकना, अन्तस्थ व्यक्तियों का उन्मूलन करना, प्रतिकर निर्धारण, भूमि की अधिकतम सीमा विहित करना इत्यादि। ये विषय इतने जटिल हैं कि इस विधेयक को संयुक्त समिति में भेजना उचित है। अतः मैं इस विधेयक की विस्तृत आलोचना भी इस विधेयक के संयुक्त समिति से वापस आने के पश्चात् करूंगा।

मैं इस बात से सहमत हूं कि किसानों को भूमि पर स्वामित्व, बपौती व हस्तांतरण के अधिकार दिये गये हैं। मेरा सुझाव है कि लगान, कम से कम निश्चित किया जाय तथा प्राकृतिक आपदाओं पर किसानों को लगान से छूट देने की यथोचित व्यवस्था की जाय।

विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि रैय्यत की भूमि खरीदने का प्रथम अधिकार उसके उपरैय्यत को होगा यह ठीक है तथापि भूमि की दर भी उचित होनी चाहिये वह न इतनी कम हो कि उसे खरीदने के पश्चात् भी उपरैय्यत की कोई साख न रहे, न इतनी अधिक हो कि वह कभी उसे खरीदने का स्वप्न ही न देख सके। इसकी दर संयुक्त समिति को निश्चित करनी चाहिये।

अब मैं भूमि की अधिकतम सीमा को लेता हूं त्रिपुरा में जहां भूमि की कमी नहीं है वहां भूमि की अधिकतम सीमा निश्चित करने की क्या आवश्यकता है। मेरे विचार से योजना आयोग के दबाव पर ऐसा किया गया है। योजना आयोग ने यह सिद्धांत रखा है कि किसी व्यक्ति को भूमि में होने वाली अधिकतम आय ३६०० रु० वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिये। शायद इसी आधार पर २५ एकड़ की सीमा निर्धारित की गई है। लेकिन मेरे विचार से भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण करना अनुचित, अवांछनीय अन्यायपूर्ण है। क्योंकि यदि केन्द्रीय सरकार अधिकतम सीमा निर्धारण करना चाहती है तो वे सभी क्षेत्रों पर करें आंशिक रूप से ऐसा करना उचित नहीं है। अतः मैं इस बात का सिद्धांततः विरोधी हूं।

मैं चाहता हूं कि यह अधिकतम सीमा २५ एकड़ से बढ़ाई जाय। गांव के उच्च वर्ग को भी अपनी उन्नति व विकास के पूरे साधन दिये जायें। उनके विकास व सुविधाओं पर रोक लगाना उचित नहीं है, अन्यथा एक दिन ऐसा आयेगा जबकि वे लोग खुले आम अपना विरोध प्रगट करेंगे।

मेरा सुझाव है कि परिवार की व्याख्या को और अधिक विस्तृत बनाना चाहिये जिससे कि एक भाई की मत्यु के उपरांत अन्य भाई उस मृतक की पत्नी व बच्चों को अपने परिवार में शामिल कर सके।

राजस्व अधिकारियों को यह अधिकार देना कि वे लगान न देने पर किसान की खड़ी फसल को न काटने दें, अनुचित है। ऐसे अन्यायपूर्ण तरीके केवल जमींदारी पृथा के जमाने में प्रयुक्त किये जाते थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकार ने विधेयक में यह व्यवस्था की है कि अगस्त १९५७ के पश्चात् से भूमि के जो भी सौदे या हस्तांतरण हों वे अवैध ठहरा दिये जायेंगे। यह सरासर अनुचित और अन्यायपूर्ण है। समझ में नहीं आता कि उक्त तारीख ही क्यों विहित की गई है तब क्या उस दिन गांव गांव में यह घोषणा करवा दी गई थी कि अमुक विधेयक पारित होने जा रहा है जिससे किसान लोग सावधान हो जाते। यदि ऐसा नहीं किया गया तो सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि जो सौदे हो चुके हैं उन्हें भूतलक्षी अवधि से अमान्य ठहरा देवे। सरकार भूतलक्षी अवधि से लाभ प्रदान कर सकती है लेकिन दंड नहीं दे सकती है। अतः मेरा निवेदन है कि यह तारीख विहित न की जाय।

†**श्री बांगशी ठाकुर** : (त्रिपुरा–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां) : मैं इस विधेयक का दो कारणों से समर्थन करता हूं। पहिला इसमें अन्तस्थः व्यक्तियों के उन्मूलन करने और किसानों को भूमि देने की व्यवस्था की गई है।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक दो बातों की ओर दिलाना चाहता हूं पहिला यह कि खंड (२) के उपखंड (ढ) के अधीन निर्योग्य व्यक्तियों को जो अधिकार दिये गये हैं वे खंड १५ (१) की व्याख्या (१) से भंग हो जाते हैं क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि निर्योग्य व्यक्तियों की सारी भूमि उनके गांव या मकान के निकट ही हो।

अब मैं खंड १५ की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। त्रिपुरा की भूमि विषम होने के कारण बाहर के लोगों को भूमि आबाद करने के लिये सरल शर्तों पर आमंत्रित किया गया। परिणाम स्वरूप बहुत से आदिम जाति के लोग, शरणार्थी तथा अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वहां आ कर बस गये अब इस खंड के अधीन इन लोगों को अनाधिकृत कब्जा करने के अधीन निकाला जा सकेगा यह उचित नहीं है। इससे आदिम जाति के लोगों व शरणार्थियों पर आघात होगा।

विधेयक का उद्देश्य यह जान पड़ता है कि धान की पैदावार अधिक हो और उत्पादन में वृद्धि हो इस दृष्टि से मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

†**श्री राघेलाल व्यास** (उज्जैन) : सरकार ने त्रिपुरा, मनीपुर और दिल्ली के भूमि सुधारों के संबंध में तीन पृथक विधेयक रखे हैं। मैं इन तीन पृथक विधेयकों के अध्ययन से इस परिणाम पर पहुंचा कि, केवल कुछ बातों को छोड़कर ये विधेयक अल्पाधिक रूप से एक ही तरह के हैं। तब तीन विधेयक प्रस्तुत करने की क्या आवश्यकता थी। सरकार को चाहिये कि वे तीनों विधेयक समेकित करे। इससे काफी खर्च की बचत होगी।

खंड १२ के संबंध में मेरा संयुक्त समिति को यह निवेदन है कि किसान की भूमि पर खड़े वृक्षों पर किसान का पूरा अधिकार हो और वे उसका उपयोग कृषि प्रयोजनों के लिये कर सकें।

खंड १७ के संबंध में मेरा सुझाव है कि नदी के कछार की एक एकड़ भूमि पर लगान छोड़ना उचित नहीं है हां आधे एकड़ भूमि को छूट दी जा सकती है।

खंड २० के संबंध में मेरा सुझाव है कि कृषि के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिये भूमि हस्तांतरण करते समय अधिकारी को सरकार की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होना चाहिये। इस संबंध में अधिकारी को खुली छट देना उचित नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राघेलाल व्यास]

खंड ३५ के उपखंड (१) और खंड ३९ के (३)(ख) के द्वारा प्रशासक को बहुत व्यापक अधिकार दे दिये गये हैं, जो उचित नहीं हैं। खंड ४० में भी संशोधन और परिवर्द्धन करने की आवश्यकता है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

खंड ४२ में यह व्यवस्था होनी चाहिये कि यदि अधिक कर वसूल कर लिया गया हो तो उसकी वापसी किसान को कर दी जाय। खंड ४४ के उपखंड (३) के अधीन यह व्यवस्था होनी चाहिये कि अधिकारों के अभिलेख के प्रकाशन के समय इसकी संक्षिप्त प्रतियां प्रत्येक किसान को दी जायें जिससे वे अपना लगान व कब्जा इत्यादि की जानकारी कर सकें। खंड ४५ के अधीन सरकार भी किसी भूमि संबंधी विवाद में अन्तर्ग्रस्त हो तो व्यवहार न्यायालयों को उसके निपटारे का अधिकार होना चाहिये। खंड ४९ के संबंध में मेरा सुझाव है कि पटवारी का यह कर्तव्य होना चाहिये कि वे भूमि के हस्तांतरण की जानकारी सरकार को देवें।

खंड ४९ के अधीन कहा गया है कि नाप-जोख करने और नक्शे बनाने का व्यय किसानों से लिया जायेगा। यह गलत है किसान से यह व्यय लेना तभी उचित है जबकि वह किसान के लिये किया जाय। खंड ६२ में कहा गया है कि वृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित लगान ही सही समझा जायगा। यह भी संभव है कि वह गलत हो अतः इस खंड में संशोधन की गुंजायश है। इसकी शुद्धि के लिये पुनः प्रक्रिया का उपबन्ध किया गया है मेरे विचार से यह अनावश्यक है यदि यह सिद्ध हो जाय कि यह लगान गलत है तो उसको शुद्धि का पूरा उपबन्ध होना चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं।

हसन मंगलौर रेलवे लाइन*

†**श्री अवार** (मंगलौर) : गत फरवरी में आय व्ययक वाद विवाद के समय रेलवे मंत्री श्री जगजीवन राम ने कहा था कि तीन नई लाइनें आरम्भ की जायेंगी। हमें आशा थी कि इनमें हसन-मंगलौर लाइन को प्राथमिकता मिलेगा। बाद में दो लाइनों के लिये उन्होंने अतिरिक्त मांग भी रखी पर इस लाइन को छोड़ दिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

*आध घंटे की चर्चा

इस लाइन के संबंध में मैंने व श्री त० ब० विट्ठल राव ने कई बार प्रश्न भी पूछे पर हमेशा यही उत्तर मिलता रहा है कि अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है। मामला विचाराधीन है।

१७ फरवरी, १९५९ को माननीय रेलवे मंत्री ने कहा था कि वह इस लाइन को बनाने के लिये संभवतः एक अनुपूरक मांग पेश करेंगे। श्री सें० वें० रामस्वामी ने भी एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में कुछ निर्णय कर लिया है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है अतः इस बारे में तुरन्त निर्णय कर लिया जाना चाहिये।

भारत का नक्शा देखने पर इस लाइन का अभाव सभी को बहुत खटकता है। देश के सब क्षेत्रों को मिलाने वाली यह लाइन-(मंगलौर-बम्बई) न होना बहुत आश्चर्य की बात है। इसके कई कारण हैं। एक समय ब्रिटिश युग में उत्तम कनारा व दक्षिण कनारा जिले ए में थे। उनकी उपेक्षा की गयी; उनका विकास नहीं किया गया। यही कारण है कि इस लाइन की भी उपेक्षा की गयी और इसे बनाया नहीं गया। धार समिति ने भी यही कहा था कि इस क्षेत्र की विकास की दृष्टि से उपेक्षा की गई है।

यह बात नहीं कि यहां जनसंख्या की कमी हो और यातायात का अभाव हो। यहां काफी जनसंख्या है और यातायात का भी अभाव नहीं है। एक टेकनिकल-आर्थिक सर्वेक्षण हाल में किया गया था, जिससे पता लगता है कि मंगलौर पत्तन से जो यातायात है वही १० लाख टन से कम नहीं है।

बम्बई या दिल्ली से मंगलौर आने-जाने वाले व्यक्ति को सम्पूर्ण क्षेत्र का चक्कर लगा कर मद्रास हो कर आना-जाना पड़ता है। यदि हसन-मंगलौर लाइन बना दी जाये तो बम्बई व मंगलौर का फासला बहुत कम हो जायेगा और लोगों को चक्कर लगा कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

इस लाइन को बनाने का काम काफी समय से विचाराधीन रहा है और कहा गया है कि इस का सम्बन्ध मंगलौर पत्तन के विकास के साथ सम्बद्ध है। मुझे खेद है कि जब तटीय क्षेत्र के अन्य सभी पत्तनों को परस्पर रेलों द्वारा मिला दिया गया है, तो मंगलौर की उपेक्षा क्यों की गई है। पत्तन के विकास के साथ इस लाइन के निर्माण के प्रश्न को सम्बद्ध करना ठीक नहीं है। अन्य लाइनों के सम्बन्ध में ऐसी नीति कभी भी नहीं अपनाई गई।

अतः मेरा निवेदन है कि माननीय रेलवे मंत्री इस बात पर शीघ्रता से विचार करें और इसे निर्माण करने के प्रश्न को शीघ्रता से निबटायें। तीसरी योजना में इस को अवश्य रखा जाना चाहिये।

आशा है कि माननीय मंत्री इस प्रश्न को पत्तन के विकास के प्रश्न के साथ न जोड़ा जाये।

†**श्री सिद्धनंजप्पा** (हसन) : क्या किसी पत्तन के विकास के साथ सम्बद्ध किये बिना इस लाइन को बनाने का प्रश्न उचित नहीं है ?

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम्) : क्या सरकार को पता है कि खनिज विकास निगम ने भी सरकार से निवेदन किया था कि यह लाइन बना दी जाये ताकि लोहे तथा मैंगनीज़ की खनिज को ढोने का काम सरल हो जाये। एक अफ़वा यह भी थी कि शक्तिशाली सड़क परिवहन हितों के दबाव में आकर सरकार इस लाइन के निर्माण कार्य को रोके हुये है.

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री टे० सुब्रह्मण्यम्** (वेल्लारी) : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि उस क्षेत्र से लोहे की खनिज बाहर भेजी जाती है और इस लाइन का सर्वेक्षण भी पूरा कर लिया गया है, मैं जानना चाहता हूं कि लाइन को न बनाये जाने के और क्या कारण है ?

†**श्री बासप्पा** (तिपतुर) : चूंकि इस क्षेत्र के विकास का सम्बन्ध मलनाद विकास योजना के साथ था अतः सरकार ने क्या इस बात पर विचार किया है कि इस लाइन के निर्माण का काम शुरू कर दिया जाये, जैसा कि रेलवे बोर्ड ने निर्णय किया है

†**श्री सिदय्या** (मैसूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य व्यापार निगम ने इस लाइन के तुरन्त बनाये जाने की सिफारिश की है ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैसूर के माननीय सदस्य तथा उस क्षेत्र की जनता की भावनाओं का मुझे पता है। इस लाइन के बनाने का औचित्य खनिजों के परिवहन पर आधारित है। हमारे सर्वेक्षण से पता लगा है कि खनिजों तथा बन सम्पत्ति की दृष्टि से यह क्षेत्र बहुत सम्पन्न है। अतः खनिजों तथा वन सम्पत्ति का परिवहन रेल से होगा।

कच्ची लौह धातु के परिवहन की बात कही गई। माननीय सदस्यों का कहना है कि मंगलौर से लोहे की धातु को निर्यात किया जायेगा। दो प्रश्न हैं। एक, क्या इतना धातु है कि उसका निर्यात किया जाये ? और दूसरे, क्या मंगलौर की इतनी क्षमता होगी कि वह इतनी मात्रा में खनिज का निर्यात कर सके। इन दोनों प्रश्नों पर विचार करना है। एक माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या राज्य व्यापार निगम ने इस लाइन को तुरन्त बनवाने की सिफारिश की है। राज्य व्यापार निगम २० लाख टन खनिज के निर्यात की संभावना की छान-बीन कर रहा है। यदि उसे विदेशी बाजार मिल भी गया तो प्रश्न यह होगा कि क्या मंगलौर इतने परिवहन के लिये सक्षम ही होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि मंगलौर पत्तन का विकास किया जाना चाहिये। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि मंगलौर पत्तन के विकास का प्रश्न परिवहन मंत्रालय के सामने विचाराधीन है।

मैं इस प्रश्न के ब्योरे को नहीं लेना चाहता कि इस लाइन के बनाने तथा मंगलौर पत्तन के विकास तथा तत्संबंधी अन्य कार्यों में कितना धन खर्च होगा। इन खर्चों के अनुदान का संकेत समय-समय पर दिया जा चुका है। मैं माननीय सदस्यों को यह भी बता देना चाहता हूं कि सभी लोग इस लाइन के बनाने के बारे में आतुर हैं।

श्री विट्ठल राव ने पूछा कि क्या सड़क परिवहन इतना प्रभावशाली है कि उसने रेलवे लाइन के बनने के काम में अड़ंगा डाल रखा है। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि रेलवे मंत्रालय ऐसे प्रभावों में नहीं आता। हम हर बात को उसके गुण-दोषों के आधार पर देखते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं और फिर बताना चाहता हूं कि रेलवे मंत्रालय इस लाइन के बनाने के मामले की महत्ता को समझता है। पर सब पहलुओं को ध्यान में रख कर ही इस प्रश्न को लिया जायेगा।

श्री आचार ने कहा कि छोटे पत्तन भी रेलवे से सम्बद्ध हैं। उनका मामला उचित था। पर इस मामले में सिर्फ लोहे की धातु के परिवहन का सम्बन्ध है अतः इसकी संभावना पर विचार करना आवश्यक है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जगजीवन राम]

यह बात भी है कि इस लाइन के बनन के बाद अनेक स्थानों से इसकी दूरी बहुत कम हो जायेगी। यह बात ठीक है। पर इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में मुख्य विचारणीय बात खनिज तथा बन सम्पत्ति के परिवहन की है, जिस पर विचार करना पड़ेगा। सभी लोगों ने इस बात पर जोर दिया है। अतः इस पर विस्तार पूर्वक विचार किया जायेगा।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस योजना को अन्तिम रूप देने के लिये हम भी बहुत आतुर हैं। राज्य व्यापार निगम, योजना आयोग तथा रेलवे मंत्रालय तीनों इस मामले में बहुत आतुर हैं। देर होने का एक मुख्य कारण यह है कि मंगलौर पत्तन के विकास सम्बन्धी टेकनिकल निष्कर्षों पर अभी विचार समाप्त नहीं हो पाया है। अतः यह योजना मंगलौर पत्तन की विकास योजना के साथ बंधी हुई है। यदि मंगलौर पत्तन के समुचित विकास के बिना यह लाइन बना दी गई, तो लाइन बनाने का सारा उद्देश्य ही अधूरा रह जायेगा।

अन्त में मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हम सभी सम्बद्ध लोग इस सम्बन्ध में सचेत हैं पर यह मामला कुछ ऐसा है ही कि इसमें देर लग रही है। आशा है कि शीघ्र ही सब पहलुओं पर विचार करके एक अन्तिम निर्णय शीघ्र ही लिया जायेगा।

†**श्री आचार :** पत्तन के विकास के अलावा भी यह मामला तय किया जा चुका है। अब पुनः इस मामले पर विचार क्यों किया जा रहा है ?

†**श्री जगजीवन राम :** सब बातें बताई जा चुकी हैं। स्पष्ट उत्तर यह है कि खनिज यातायात को छोड़ कर अन्य यातायात इतना नहीं है कि इस लाइन को बनाना उचित हो।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब सभा स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार १५ दिसम्बर, १९५९/२४ अग्रहायण, १८८१ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

[सोमवार, १४ दिसम्बर, १९५९
२३ अग्रहायण, १८८१ (शक)]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२३२१—४२
तारांकित प्रश्न संख्या		
८२७	अन्दमान में उच्च शिक्षा	२३२१-२२
८२८	कीरीबूरू की लोहा अयस्क खान	२३२२-२३
८२९	रूसी अन्तरिक्ष राकेट	२३२३—२५
८३०	हिन्दू धार्मिक न्यास	२३२५—२७
८३१	पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता उच्च न्यायालय की बैंच	२३२७-२८
८३२	टेक्निकल अध्यायक प्रशिक्षण प्रोग्राम	२३२८—३०
८३३	जम्मू तथा काश्मीर में लिग्नाइट व कोयला	२३३०-३१
८३४	भारतीय गजेटियरों का पुनरीक्षण	२३३१—३३
८३६	भारत-विद्या केन्द्र	२३३३-३४
८३७	तेल छिद्रण उपकरण का निर्माण	२३३४-३५
८३८	राउरकेला में कच्चा लोहा ढालने की मशीन	२३३६—३८
८३९	बम्बई में तेल छिद्रण	२३३८
८७३	ज्वालामुखी में तेल छिद्रण	२३३८—४०
८४०	उच्च शिक्षा निर्धारण समिति	२३४०—४२
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२३४२—८२
तारांकित प्रश्न संख्या		
८३५	शतरंज	२३४
८४१	दिल्ली में बम विस्फोट	२३४
८४२	कोणार्क मन्दिर	२३४
८४३	विद्युत् भट्टियां	२३४३—४
८४४	बर्मा के भारतीय पेंशनर	२३४
८४५	विकास ऋण निधि	२३४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

८४६ प्रविधिक पुस्तकों का अनुवाद २३४५
८४७ भूतत्व शास्त्र का प्रशिक्षण २३४५
८४८ त्रिवेन्द्रम के संग्रहालय के निदेशक के खिलाफ़ जांच २३४६
८४९ विश्वविद्यालयों में ग्राम शिशिक्षा योजना २३४६
८५० त्रिपुरा में आग बुझाने वाला दस्ता २३४६–४७
८५१ उड़ीसा में बवंडर से क्षति २३४७
८५२ नहर कटिया बरौनी पाइपलाइन २३४७
८५३ चीन के स्वर्ण डालरों का पकड़ा जाना २३४७–४८
८५४ निशान लगाकर मत देने की प्रणाली २३४८
८५५ सरकारी कर्मचारियों के आचरण नियम, १९५५ २३४८
८५६ तेलुगु उपन्यास 'नारायण राव २३४८–४९
८५७ उत्तर प्रदेश में तेल सर्वेक्षण २३४९
८५८ घाना सरकार द्वारा भारतीय विमानों की खरीद २३४९
८५९ अफीम की खेती २३४९–५०
८६० इम्फाल में चोरियां और डाके २३५०
८६१ बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तांन्तरण) अधिनियम, १९५६ २३५०–५१
८६२ भारत के लोक गीत २३५१
८६३ मद्य निषेध संबंधी केन्द्रीय समिति २३५१
८६४ कोयला खनन संबंधी उपकरणों का आयात २३५२
८६५ प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति २३५२–५३
८६६ टैगोर जन्म शताब्दी समारोह २३५३
८६७ सरकारी सम्पत्ति पर दिल्ली नगर निगम कर २३५३
८६८ पंजाब में जूनियर टेक्निकल स्कूल २३५३–५४
८६९ नेपाल सीमा पर सीमाशुल्क संबंधी जांच २३५४
८७० नागा विद्रोही २३५४–५५
८७१ हिन्दुस्तान स्टील लि० को घाटा २३५५
८७२ आसाम में प्राकृतिक गैस २३५५–५६
८७४ कर्मचारियों की भर्ती २३५६

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)	
	अतारांकित	
	प्रश्न संख्या	
१३४८	बम्बई राज्य में टेक्निकल शिक्षा	२३५७
१३४९	बम्बई की संस्थाओं को संगीत नाटक अकादमी के अनुदान	२३५८
१३५०	बम्बई में समाज कल्याण विस्तार परियोजनायें	२३५८-५९
१३५१	बम्बई के छात्रों के लिये छात्रावास	२३५९
१३५२	दिल्ली विश्वविद्यालय	२३५९
१३५३	पाकिस्तान को भेजा गया कोयला	२३५९-६०
१३५४	प्रतिरक्षा सामान का आयात	२३६०
१३५५	राजस्थान के लिये पवन चक्कियां	२३६१
१३५६	दिल्ली स्कूलों में पाठ्य-पुस्तकें	२३६१-६२
१३५७	व्यय-कर	२३६२
१३५८	यूनोस्को सचिवालय में भारतीय	२३६२
१३५९	भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा	२३६३
१३६०	प्रबन्ध में श्रमिकों का भाग लेना	२३६३
१३६१	राष्ट्रमण्डलीय शिक्षा सम्मेलन	२३६३
१३६२	दुष्कृति में सरकार का दायित्व	२३६४
१३६३	भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड	२३६४
१३६४	रिपब्लिक फोर्ज कम्पनी, लिमिटेड	२३६४-६५
१३६५	आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरण	२३६५
१३६६	दिल्ली में केन्द्रीय बुनियादी स्कूल	२३६५
१३६७	साक्षरता	२३६५-६६
१३६८	नयाय प्रशासन के सम्बन्ध में विधि आयोग की सिफ़ारिशें	२३६६
१३६९	उड़ीसा राज्य में कुएँ	२३६६
१३७०	जाल साजी निरोधी दस्ता	२३६६-६७
१३७१	युद्ध सामग्री कारखानों में उत्पादन	२३६७
१३७२	बेकार सैनिक गाड़ियां	२३६७
१३७३	युद्ध सामग्री कारखाना, भण्डारा	२३६७
१३७४	ताड़ी निर्माताओं की सहकारी समितियां	२३६८
१३७५	पूंजी	२३६८
१३७६	युद्ध सामग्री कारखानों में अप्रयुक्त रेशमी कपड़ा	२३६८
१३७७	विदेशों में भारतीय पांडुलिपियां	२३६९

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१३७८.	दिल्ली नगर निगम का नया हेडक्वार्टर	२३६९
१३७९	हिन्दी विश्व कोष .	२३६९-७०
१३८०	विश्वविद्यालयों में हॉबी वर्कशाप . .	२३७०-७१
१३८१	सिंगरेनी कोयला . .	२३७१
१३८२	केरल के सरकारी स्कूलों में शुल्क .	२३७२
१३८३	शाहदरे का बांध . . .	२३७२
१३८४	नियमित अस्थायी कर्मचारी वर्ग की सूची में ग्रेड १ के क्लर्कों का कोटा	२३७२-७३
१३८५	पी० एल० ४८० ऋण	२३७३-७४
१३८६	थल-वायु युद्ध कर्म स्कूल	२३७४
१३८७	अन्तः ग्रह राकेट	२३७५
१३८८	पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट . .	२३७५
१३८९	इम्फाल के डी० एम० कालिज में बी० टी० का कोर्स	२३७५
१३९०	पुलिस कर्मचारियों को आवास स्थान	२३७६
१३९१	केरल में कालिजों के अध्यापक .	२३७६
१३९२	नार्थ और साउथ ऐवेन्यू में चोरियां	२३७७
१३९३	बांडुंग में यनेस्को सम्मेलन . .	२३७७
१३९४	केन्द्रीय सचिवालय में अनुसूचित जाति के सेक्शन आफ़िसर	२३७७-७८
१३९५	पंजाब में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण	२३७८
१३९६	आवारा-गर्दी लोगों का पुनर्वास	२३७९
१३९७	गढ़वाल और अलमोड़ा के टेक्टानिक्स का अध्ययन	२३७९
१३९८	खोये हुए व्यक्तियों को ढूंढने वाला दस्ता .	२३७९-८०
१३९९	रूस की प्राच्य संस्कृति संस्था . .	२३८०
१४००	नये शेरपुर गांव में बनाये गये मकान .	२३८०
१४०१	रूस और अमरीका से इस्पात का आयात	२३८०
१४०२	लोहे और इस्पात का आयात	२३८१
१४०३	दिल्ली में पुलिस कन्ट्रोल रूम	२३८१
१४०४	शस्त्रास्त्रों का समर्पण . . .	२३८२

विषय पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव २३८२—८६

अध्यक्ष महोदय के १३ दिसम्बर, १९५९ को हैदराबाद नगर में हुए विस्फोट के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव को जिस की सूचना श्री स० मो० बनर्जी ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र २३८६—८८

(एक) अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुनिर्माण और विकास बैंक के गवर्नरों के बोर्ड की चौदहवीं वार्षिक बैठक और अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के गवर्नरों के बोर्ड की तीसरी वार्षिक बैठक में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल के प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(१) इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड द्वारा तैयार किये गये कच्चे लोहे के कारखाने से चलते समय के, उचित धारण मूल्यों के पुनरीक्षण के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५८)।

(२) टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड द्वारा तैयार किये गये कच्चे लोहे के मूल्य के पुनरीक्षण के बारे में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का प्रशुल्क आयोग को भेजा गया दिनांक १८ जुलाई, १९५८ का पत्र संख्या ६३(८) टी आर/५८।

(३) टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड द्वारा तैयार किये गये कच्चे लोहे के मूल्य के पुनरीक्षण के बारे में प्रशुल्क आयोग का वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को दिनांक १४ नवम्बर, १९५८ का पत्र संख्या टी० सी/आई डी/पी–२।

(४) दिनांक ५ नवम्बर, १९५९ का सरकारी संकल्प संख्या एस सी(ए)–२(२१७)/५७।

(५) ऊपर (१) और (४) में उल्लिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति उक्त उप-धारा में निर्धारित अवधि के अन्दर सभा पटल पर क्यों नहीं रखी जा सकी इसके कारण बताने वाला एक वक्तव्य।

(तीन) अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २८ नवम्बर, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२९१ की एक प्रति।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र (क्रमश :)

(चार) केरल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक ३१ जुलाई, १९५९ के उद्घोषणा के खण्ड (ख) के साथ पठित मद्रास खेतिहर किसान (उचित किराये का भुगतान) अधिनियम, १९५६ की धारा १७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत केरल गजट में प्रकाशित निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ।

(१) दिनांक १६ जनवरी, १९५९ की अधिसूचना संख्या २८८४९--एफ० ३/५८/रेव० जिस में खेतिहर किसान (उचित किराये का भुगतान) नियम, १९५९ दिये हुये हैं ।

(२) दिनांक १५ जून, १९५९ की अधिसूचना संख्या १९२७३/एफ० ३/५९–४ ।

(३) दिनांक १९ अक्तूबर, १९५९ की अधिसूचना संख्या ३२९९६–एफ० ३/५९/रेव० ।

(पांच) केरल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक ३१ जुलाई, १९५९ की उद्घोषणा के खंड (ख) के साथ पठित केरल निजी वन (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, १९५७ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत, केरल निजी वन (प्रबन्ध ग्रहण) नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली, केरल गजट में प्रकाशित दिनांक १६ अक्तूबर, १९५९ की अधिसूचना संख्या १९७०७/५७/एग्री० एफ० (बी) ४ की एक प्रति ।

(छ) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, १९४४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १ दिसम्बर, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३१४ की एक प्रति ।

राज्य सभा से सन्देश २३८८

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना दी :—

(एक) कि राज्य सभा को लोक-सभा द्वारा ४ दिसम्बर, १९५९ को पारित किये गये केरल विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९५९ के बारे में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(दो) कि राज्य सभा ने अपनी ९ दिसम्बर, १९५९ की बैठक में विधि व्यवसायी विधेयक, १९५९ को संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ।

विषय पृष्ठ

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति २३८९

सचिव ने संसद् की दोनों सभाओं द्वारा चालू सत्र में पारित किये गये और १६ नवम्बर, १९५९ को सभा को दी गई अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त विविध दैयक्तिक विधियां (विस्तार) विधेयक, १९५९ की एक प्रति सभा पटल पर रखी।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित २३८९

सत्रहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना २३८९-९०

श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ३० नवम्बर, १९५९ को दिल्ली यातायात पुलिस के दो सिपाहियों के अपहरण की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाया।

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पंत) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

विधेयक पुरस्थापित . . . २३९०

(१) विनियोग (संख्या ८) विधेयक, १९५९।

(२) भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, १९५९।

विधेयक पारित . . . २३९०—२४१८

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने प्रस्ताव किया कि भारतीय सांख्यकीय संस्था विधेयक पर विचार किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार विचार के बाद विधेयक पारित हुआ।

विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—विचाराधीन . . २४१८—२२

त्रिपुरा भूराजस्व तथा भूमिसुधार विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा जारी रही। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

आधे घण्टे की चर्चा . . . . . २४२२—२५

श्री आचार ने हसन—मंगलौर रेलवे लाइन के बारे में २५ अगस्त, १९५९ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ७८९ के उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा आरम्भ की।

रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

मंगलवार, १५ दिसम्बर, १९५९/२४ अग्रहायण, १८८१ (शक) के लिये कार्यावलि—

त्रिपुरा भूराजस्व तथा भूमि सुधार विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा तथा उसे स्वीकार करना तथा मनीपुर भूराजस्व तथा भूमि सुधार विधेयक तथा दिल्ली जोत (अधिकतम सीमा) विधेयक को संयुक्त समितियों को सौंपने के प्रस्तावों पर विचार करना तथा उन्हें स्वीकार करना।